महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 24 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

'मृत्युदंड मामले में दोषी किसी भी वक्त चुनौती नहीं दे सकता'

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

मृत्युदंड को 'अंतिम स्तर पर पहुंचाने' को अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दोषियों को यह धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मृत्युदंड के मामले में वे किसी भी वक्त उसे चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली में 2012 में घटे निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में मौत की सजा पाए चार दोषियों द्वारा एक बाद एक याचिकाएं दाखिल करने और उनकी फांसी में विलंब होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि इसे कानून के अनुसार करना होगा और न्यायाधीशों का भी समाज व पीड़ितों के प्रति कर्तव्य है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा पाने वाली महिला और उसके प्रेमी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 2008 में घटी इस सनसनीखेज वारदात में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता-पिता, दो भाइयों, उनकी पत्नियों और 10 महीने के भांजे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

पीठ ने दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाए जाने के 2015 के अपने फैसले के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा, 'कोई किसी चीज के लिए अनवरत नहीं लड़ता रह सकता।' दोषियों के वकीलों आनंद ग्रोवर और मीनाक्षी अरोड़ा ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की मौत की सजा को इस आधार पर कम करने की मांग की कि उन्हें सुधरने बाकी पेज 8 पर

कॉलिजियम ने हाई कोर्ट के जजों के लिए नामों को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने चार वकीलों को क्रमशः ओड़ीशा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और बंबई हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में कॉलिजियम ने छह न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दे दी है।

कॉलिजियम ने वकील सावित्री राठो, मनीष सिसोदिया और अभय कुमार आहूजा को ओड़ीशा, राजस्थान और बंबई हाई कोर्ट का न्यायाधीश बाकी पेज 8 पर

ट्रंप के कश्मीर संबंधी बयान पर भारत की दो टूक

तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

भारत ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है और अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ सामान्य संबंधों के प्रति गंभीर है तो उपयुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी उसकी (पाकिस्तान) है। यह माहौल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त होना चाहिए। तभी दोनों देशों के बीच कोई अर्थपूर्ण बातचीत हो सकती है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के संबंध में विश्व समुदाय उसके दोहरे मानदंड को समझ गया है। पाकिस्तान को अपनी धरती से परिचालित आतंकी समूहों पर विश्वसनीय, ठोस और पुष्टि किए जाने योग्य कार्रवाई करने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से भारत एवं पाकिस्तान के बाकी पेज 8 पर

संबंध सामान्य बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर : विदेश मंत्रालय

'कश्मीर मामले पर हमारा रुख स्पष्ट और स्थिर है। कश्मीर मामले पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई द्विपक्षीय मामला आता है तब दोनों देशों को द्विपक्षीय ढंग से सुलझाया जाना चाहिए जो शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र के तहत हो।'

-रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

भारत की खरी-खरी...जब भी बोलता है जहर उगलता है पाक

संयुक्त राष्ट्र, 23 जनवरी (भाषा)।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 'जहर उगलने और मिथ्या बयानबाजी' करने पर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि वह बहुत सहजता से नफरत फैलाने वाले भाषण देता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई को लेकर 'अंधेरे' में रखता है। भारत ने यह बात पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के संदर्भ में कही।

पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर इसे लगातार उठाता रहा है लेकिन उसे बाकी पेज 8 पर

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि नागराज नायडू ने कहा

पाक में धर्मांतरित हिंदू लड़की को महिला सुरक्षा केंद्र भेजा

कराची, 23 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 15 साल की हिंदू लड़की को अदालत के आदेश के बाद महिला सुरक्षा केंद्र भेज दिया गया है। जबरन धर्मांतरण के बाद उसकी मुसलिम व्यक्ति से शादी करा दी गई थी।

नौवीं कक्षा की छात्रा महक कुमारी का 15 जनवरी को जैकबाबाद जिले से अली रजा सोलंगी ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था, जिसने बाद में उससे शादी कर ली थी। लड़की के पिता विजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि सोलंगी ने उनकी बेटी का अपहरण करने के बाद जबरन उससे शादी की।

नौवीं कक्षा की छात्रा महक कुमारी का 15 जनवरी को जैकबाबाद जिले से अली रजा सोलंगी ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था, जिसने बाद में उससे शादी कर ली थी।

अधिकारियों के अनुसार, कुमारी और सोलंगी को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से लड़की को महिला पुलिस सुरक्षा केंद्र में भेज दिया गया। अदालत ने चांदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लड़की की आयु के बारे में तीन फरवरी तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून बाकी पेज 8 पर

अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह करेगा निगरानी

नौ हजार शत्रु संपत्तियों का होगा निपटारा

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों के निपटारे की निगरानी करेगा। इससे करीब एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की संभावना है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, शत्रु संपत्ति कानून के तहत भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक विभाग के अंतर्गत आने वाली अचल शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के लिए दो अन्य उच्चस्तरीय समितियां भी बनाई जाएंगी। एक समिति का नेतृत्व मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा और अन्य की सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे।शत्रु संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो उन लोगों ने बाकी पेज 8 पर

कोर समूह बनेगा

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, व्यय विभाग के सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, विधि विभाग के सचिव, शहरी विकास सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्तियों को बेचने पर सचिवों के कोर समूह का गठन किया जाएगा।

बन सकता है वैकल्पिक तंत्र

आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार गृह मंत्री शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के तहत वैकल्पिक तंत्र का गठन कर सकती है।

किसकी कितनी संपत्ति

भारत में पाकिस्तान के नागरिकों की 9,280 संपत्तियां और चीन के नागरिकों की 126 संपत्तियां हैं।

मेघालय में चीनियों की सबसे ज्यादा संपत्ति

चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सबसे ज्यादा संपत्तियां मेघालय में हैं जिनकी संख्या 57 है।

यूपी में पाक नागरिकों की सबसे ज्यादा संपत्ति

पाकिस्तान के नागरिकों की सबसे ज्यादा 4,991 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद 2,735 संपत्तियां पश्चिम बंगाल और इसके बाद 487 दिल्ली में हैं।

अजहर और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

औरंगाबाद, 23 जनवरी (भाषा)।

पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन और दो अन्य के खिलाफ एक ट्रैवल एजंट के साथ 20 लाख 96 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजहर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि वह आरोप लगाने वाले मोहम्मद शाहाब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ट्रैवल्स एजंसी के मालिक शाहाब ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में अजहर के बाकी पेज 8 पर

निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह, चार अन्य को 15 दिन की एनआइए हिरासत

जम्मू, 23 जनवरी (भाषा)।

आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक दविंदर सिंह को गुरुवार को यहां विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उसे और चार सह-आरोपियों को 15 दिन की एनआइए हिरासत में भेज दिया गया।

एनआइए ने सिंह के साथ गिरफ्तार हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के भाई सैयद इरफान को भी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे भी अदालत में पेश किया।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह को उन दो आतंकवादियों के साथ विशेष एनआइए अदालत में पेश किया गया जिन्हें वह जम्मू-कश्मीर से बाहर भेजने में मदद कर रहा था। इनके दो सहयोगियों को भी अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने सभी पांच लोगों से पूछताछ के लिए उनकी 15 दिन की हिरासत मांगी। अदालत ने आग्रह स्वीकार कर लिया। आरोपियों को बख्तरबंद वाहन बाकी पेज 8 पर

पवन वर्मा जहां चाहें, वहां जाएं; कोई एतराज नहीं : नीतीश कुमार

पटना, 23 जनवरी (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री और जद (एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा को लिखे पत्र को सार्वजनिक किए जाने पर एतराज जताते हुए गुरुवार को कहा कि जहां जाना है वहां जाएं कोई ऐतराज नहीं। इस बीच, जद (एकी) महासचिव पवन वर्मा ने गुरुवार को कहा कि वे अपनी आगे की रणनीति का फैसला अपने खत पर पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का जवाब आने के बाद करेंगे।

पवन वर्मा के लिखे पत्र में नीतीश से उनकी बातचीत की चर्चा है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। नीतीश ने गुरुवार को यहां पवन के बारे में कहा, 'जहां जाना है वहां जाएं इस पर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए जद (एकी) को समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के बयान से जद (एकी) को मत देखिए।' उन्होंने कहा, 'जद (एकी) बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करता है और कुछ चीजों पर हम लोगों का जो अपना रुख होता है, वह बहुत ही साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हमें बाकी पेज 8 पर

जद (एकी) बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करता है और कुछ चीजों पर हम लोगों का जो अपना रुख होता है, वह बहुत ही साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं रहता। *-नीतीश कुमार*

जद (एकी) महासचिव पवन वर्मा ने गुरुवार को कहा कि वे अपनी आगे की रणनीति का फैसला अपने खत पर पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का जवाब आने के बाद करेंगे।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है
Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
Where every individual is committed

नए परिवर्तनों के साथ, समृद्धि की ओर

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिए
पुनरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ माह (पुनरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	564261	1697993	512798	2053677
2.	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	25641	65099	(271748)	(363077)
3.	अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ/ (हानि) (अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	25641	65099	(271748)	(363077)
4.	अवधि के लिए कर के पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	20166	44024	14496	5499
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य)	137021	137021	63277	137021
7.	प्रारक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)				1602972
8.	प्रति शेयर आय (₹10/- प्रति का) (जारी तथा बंद हुए परिचालनों के लिए)				
	मूल (₹ में) वार्षिकीकृत नहीं)	1.47	3.21	2.29	0.77
	हासित (₹ में) (वार्षिकीकृत नहीं)	1.47	3.21	2.29	0.77

टिप्पणियां :
1. यह सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों www.bseindia.com/www.nseindia.com एवं बैंक की वेबसाइट : www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है।
2. नए भारतीय लेखा मानक (इन्ड ए. एस.) अभी भारत में बैंकों पर लागू नहीं हैं।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 23 जनवरी, 2020

(विजय दुबे)
कार्यकारी निदेशक

(मुकेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

71वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

मीडिया से दूर — निशाना बनाए जाने से नाराज, प्रशासनिक सुधारों पर भरोसा

इमरान न पढ़ते हैं अखबार और न देखते हैं टीवी

दावोस, 23 जनवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि मीडिया में उन्हें निशाना बना कर बड़े पैमाने पर नकारात्मकता फैलाई जा रही है। इसी कारण उन्होंने सुबह अखबार पढ़ना और शाम को टीवी पर चैट शो देखना बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की ओर से लागू किए जा रहे गहरे संस्थागत और प्रशासनिक सुधारों के लाभ हासिल करने के लिए पाकिस्तान को एक पीड़ादायक प्रक्रिया से तो गुजरना ही था। उन्होंने सब लोगों से इसके परिणामों के लिए 'संयम' बरतने की अपील की।

खान ने यहां जलपान सत्र में कहा, 'यह ऐसा है जैसे आप जन्नत जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। यह बुरा उदाहरण हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ट्यूमर को हटवाना तो चाहते हैं, लेकिन सर्जरी का दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहते।' खान ने इस दौरान प्रवासी पाकिस्तानियों और वैश्विक नेताओं के सामने पाकिस्तान और उसकी आर्थिक संभावना पर अपने विचार रखे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहा, '40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं और इसलिए आलोचना का आदी हूं लेकिन पिछले डेढ़ साल में मीडिया में मुझे बुरी तरह निशाना बनाया गया।' उन्होंने कहा, 'सबसे बेहतर मैं यही कर सकता था कि मैं अखबार पढ़ना और शाम में चैट शो देखना बंद कर दूं।

खान यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक 2020 में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका नजरिया पाकिस्तान को 'मानवीय, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज' के तौर पर बनाना है जिसकी परिकल्पना बाबा-ए-कौम (जिन्ना) ने की थी।

उन्होंने कहा, '40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं और इसलिए आलोचना का आदी हूं लेकिन पिछले डेढ़ साल में मीडिया में मुझे बुरी तरह निशाना बनाया गया।' उन्होंने कहा, 'सबसे बेहतर मैं यही कर सकता था कि मैं अखबार पढ़ना और शाम में चैट शो देखना बंद कर दूं। समस्या यह है कि मेरे अधिकारी इन्हें देखते हैं बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

We, Priya Shankar and Raju Sonkar Resident of 4032/34, First Floor, Reghar Pura, Karol Bagh, New Delhi - 110005 have changed the name of our Son from Sahil Shankar to Virat Sonkar. 0040528686-1

It is for general information that I, Shiv Prasad S/O Ramlal Yadav R/O-151Pisaiyya Pisaiyya Gonda Kauria (U.P.)-271122, declare that name of mine and my father has been wrongly written as Shivprasad S Singh and Kishan in my service record.The actual name of mine and my father are Shiv Prasad and Ramlal Yadav respectively.Which may be amended accordingly.

0040528715-4

It is for general information that I, Mafeed Ahmed S/O Suleman Ahmed R/O E-229 Gali no.71Mahavir Enclave Part-3 West Delhi-110059, declare that name of mine and my father has been wrongly written as Mafeed and Mohd. Suleman in my birth certificate, passport no.M0094003,Aadhar Card,Pan Card,Voter Identity card and all Educational Documents. The actual name of mine and my father are Mafeed Ahmed and Suleman Ahmed respectively.Which may be amended accordingly. 0040528715-3

I,Suman Yadav,W/o-Anil Kumar Yadav,R/o-5/14,Basahtra Line,Sadar Bazar,Delhi Cantt.-10,inform that in my some documents my D.O.B. has wrongly mentioned as 07.11.1974 instead of 21.11.1974. 0040528702-6

I,Shailendra Prasad S/o Narottam Prasad R/o-43, J-Block,Mangol Puri,Delhi-110083,have changed my name to Shelender Prasad.

0040528668-4

I,Rakshit alias Rakshit Bhatnagar S/o-Rakesh Soni R/o-B-508,Nanda Devi Apartment,Plot.no-19,Sector-10,Dwarka,ND-110075,have changed my name to Rakshit Bhatnagar for,all purpose

0040528735-2

I,No.14678555F Sep Lalit Kumar,S/o-Satyapal Singh,R/o-VPO-Dinkarpur,Teh-Khatauli,Distt-Muzaffarnagar,U.P.-251318, hereby declare that,I want to change my son's name from Amol Kumar Tyagi to Karnik Tyagi for all future purposes.

0040528702-1

I,No.14645363K NK Netke Vishavas Dattu,S/o-Netke Dattu Sitaram,R/o-VPO+Teh-Karjat,Distt.-Ahmadnagar,MH-414402,hereby declare that,I want to change my daughter's name from Gauri to Gauri Vishavas Netke for all future purposes. 0040528702-3

I,No.14645363K NK Netke Vishavas Dattu,S/o-Netke Dattu Sitaram,R/o-VPO+Teh-Karjat,Distt.-Ahmadnagar,MH-414402,hereby declare that,I want to change my daughter's name from Vaishnavi to Vaishnavi Vishavas Netke for all future purposes.

0040528702-2

I,No.14623156X Hav Kamla Kant Yadava,S/o-Hardev Yadav,R/o-Village-Khajura,Teh-Mehnagar,Distt- azamgarh, U.P.-276126,is hereby declared that my wife name was wrongly written as Bindoo Devi.Her correct name is Bindu Devi for all future purposes. 0040528702-4

I,Jitender Pal Singh, S/o-Inderjeet Singh R/o-I-12,I-Block,Lajpat Nagar-I,New-Delhi-110024,inform that Jitinder Pal Singh and Jitender Pal Singh both name are same person.

0040528722-1

I,Auti Sitaram Sahebaro,R/o-Near-380,ka,autimala,ralegan,shindhi,ahmadnagar,mahaarashtra-414302,inform that my,wife name,changed from fathangade sunita to auita sunita sitaram,for all,future purposes.Both,name belongs to,Same.Person 0040528737-1

I, geetanjali D/o sh. Harbans lal arora , R/o H.No. 499, sector 7, urban estate, arya vidya mandir school, gurugram. Have changed my name from geetanjli to geetanjali for all future purposes. 0040528697-1

I, Yogi Das@Jogi Ravidas S/o-Jagdish Ravidas, F-39 Gazipur-Village,Delhi-110096,have changed my name & shall hereafter be known as Jogi Ravidas. 0040528736-9

I, Vipin Goel,R/o-M-1 Satyawati-Colony Ashok-Vihar. Phase-3 Delhi-110052. changed my minor son's name Harishit Goel to Harshit Goel. 0040528687-1

I Beena W/O-Rajesh Kumar Malhotra, A-96, Gali-Number-8 Indranagar-Adarshnagar, Delhi-33. Have Changed My Name To Suman. Permanently

0040528687-5

I Asma W/O-Mohd Sajid R/O-8894 1st-Floor Gali-Haji Wali-Naya-Mohalla AzadMarket Delhi-110006.Have Changed Name To Asma Naaz.

0040528687-4

I Aarti alias Arti W/o Pawandeep Suman R/o-WZ/N-19 Vishnu-Garden New-Delhi have changed my name to Aarti Suman. 0040528722-8

व्यक्तिगत

I, Ved Parkash,S/O Sh.Shiv Charan Sheel,R/o-B-602,Block-A,Weavers-Colony,Ashok-Vihar,Phase-4,Delhi-110052,have changed my name Ved Parkash to Ved Prakash,for all purposes.

0040528750-1

I, Sushil Kumar Pahwa,S/o Sant Lal Pahwa R/o-A-71, 3rd-Floor Lok-Vihar Pitampura Delhi-110034,changed my name to Sushil Pahwa.

0040528736-1

I, Sheeba W/o Allauddin R/o H.No.B-7, B-Block, Nizamuddin, Delhi-110013 have changed my name to Sheeba Allauddin.

0040528704-3

I, Satish Kumar s/o Ram Khelavan r/o C-224, Chirag Delhi, Malviya Nagar, Delhi have changed my name to SATEESH KUMAR.

0040528674-1

I, Rukhsana Khatoon,W/o Yasin Ansari R/o-E-201 Block-H, Gautam-Nagar, Andrews-Ganj, Defence-Colony, Delhi.have changed my name to Ruksana Begum,for future

0040528736-8

I, Rameshwari W/o Satish Kumar R/o-J-157, Jhuggi, RPF-Line, Dayabasti, NewDelhi. that Radha and Rameshwari are same and one person.

0040528704-4

I, Nitin Kumar Singhal S/o Dinesh Kumar Singhal R/o KC-138, Kavi-Nagar, Ghaziabad. have changed my name to Nitin Singhal. 0040528704-6

I, Nishant Paul S/O Yudhishithar R/O-263/9, Old-Housing Board-Colony, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Nishant Pal. 0040528704-9

I, Mumta Singh W/o Anil Dass R/o Flat No.3-D-502, AWHO, Gurjinder Vihar, Sector-Chi-1, Pocket-P-5, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar(U.P.) have changed my name to Mamta Dass for all future purposes. 0040528661-1

I, Abhishek Mishra S/o Raj Kumar Mishra R/o-WZ-22, Golden Park,Rampura,New Delhi-110035,have changed my minor son name VIDYAN to VIDYAN MISHRA for all future purposes. 0040528668-1

I, Mohd.Shamsuzzama,S/o-Mohd.Zahir Ahmad R/o-4/80,E-1,Kabeer-Colony, Jamalpur,Koil,Aligarh,Uttar-Pradesh-202001,that in my high school-certificate issued by Bihar Vidyalaya Pariksha Samiti my name has been wrongly-written as Mhd. Shamsuzamma instead of Mohd Shamsuzamma.

0040528736-5

I, Milan,S/o Lal Bahadur R/o-C-278, Gali.No.6,Nikhil-Vihar,Ismailpur,Sector-91,Faridabad,Haryana,have changed my name Milan to Milan Karki,for all future purposes. 0040528736-4

I, Manpreet Singh S/o Jasbir Singh R/o-L-2/62, S.F., New Mahavir-Nagar, New-Delhi-18, changed my name to Manpreet Singh Chadha.

0040528722-3

I, MD PARWEZ S/O Jaheer Khan residing at H.NO. 138A, R-Extension, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to PARVEZ KHAN vide affidavit dated 21.01.2020 at Delhi

0050161289-1

I, Kumari Supriya W/o Pradeep Kumar Karn residing at New Colony, Ward No-9, Nagar Parishad, Saharsa, Bihar-852201, declare that name of mine has been wrongly written as Supriya Karn in my minor son Avi Karn aged 6 years in his Birth Record. The actual name of mine is Kumari Supriya 0070694238-1

I, Km Rimpi Singh,W/O Sunil Kumar H.No-591/7, Block-E, Gali.No-13, A.P.School, Dabua-Colony,Faridabad,Haryana-121001.Have Changed My Name To Rimpy Singh.

0040528736-3

I, Kashmir Singh Tomer S/o Fateh Singh R/o-C-83 Shiv-Vihar Nilothi New Delhi-110041. chahege my name to Kashmir Nilothi. 0040528704-2

I, Jesmeen R/o D 28 ansal villa farm Satbari New Delhi-110074 have changed my name spelling to Jasmine

0070694229-1

I, Ishdeep Kaur D/O-Charanjeet Singh R/O-108, Raj-Nagar, Pitampura, Delhi Changed Name to Ishdeep Kaur Mediratta. 0040528722-5

I, Iffat Parveen,D/o-Naseem Ahmed R/o-S-7, Nafees-Road, Joga-Bai-Extn., Jamia-Nagar Okhla, ND-110025,have changed my name Iffat Parveen Naseem.

0040528722-10

I, Honey Katyal S/o Ramesh Katyal R/o Villa No.3, ATS Village, Sector – 93A, Noida, District Gautam Budh Nagar UP do hereby solemnly inform that have changed my minor son's name from YUVRAJ KATYAL to YOUVRAJ KATIYAL for all future purposes. 0040528711-1

I Gurinder Kaur W/o Dalbir Singh R/o Dakghar Mari Tanda Teh, Batala, Khokhowal, Gurdaspur, Punjab-143515, have changed my name to Gurinderjit Kaur

0070694240-1

I Dinkar Singh Ranu S/o Rajeshwar Singh R/O-G-1/14 First-Floor, Sector-11, Rohini Delhi-85, changed my name to Dinkar Singh, Permanently

0040528722-7

I, Gurusharan Singh S/O Trilok Singh R/O-17/68, Subhash Nagar, Delhi-110027.Have Changed My Name To Gursharan Singh.

0040528704-8

I, Gurmeet Singh Sohal S/O, Late S.Lachhman Singh, R/O-S-1/116, 2 nd Floor, Old Mahavir Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110 018, have changed my name from GurmeetSingh Sohal to Gurmeet Singh, for all future purpose and will be called as GurmeetSingh.

0040528623-1

I, Gourav Phawa S/o Jamana Dass Khurana R/o-B4/262B, Keshav Puram,Delhi-35,have changed my name to Gourav Khurana. 0040528668-2

I, Gourav Phawa R/o-B4/262B, Keshav Puram,Delhi-35, declares that correct name of my father is Jamana Dass Khurana instead of Nrander Pal. 0040528668-3

I, Fahad Kazi S/O J.M. Kazi R/o-Z-430B, Sector-12, Noida, Gautam Budh Nagar UP, have changed my Fahad Kazi to Fahad Jalil Kazi. 0040528688-1

I, Chander Pal S/o-Brahma Nand R/o-C-1/61,Sector-20, Rohini, Delhi-110086, have changed my minor daughter's name,from Leeza to Radhika,for all purposes.

0040528722-4

I, Ashvani Kumar S/o Bakhat Mal R/o-4/77, Second-Floor, Ramesh-Nagar, N.Delhi-110015. have changed my name to Ashwani Kumar.

0040528704-5

I, Asgar Alam S/o Mohd Ali R/o F-45, Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave Part-2, Jamia Nagar, Delhi-110025, name of my father has been wrongly written as Md. Ali Mian in my Passport, as Md Alimian in Matriculation Certificate and as Md. Ali in Domicile Certificate, Graduation Degree and Engineering Certificate. Actual name of my father is Mohd Ali

0070694234-1

I, Arshad Husain S/O-Liaqat Hussain R/O-5206, Sadar Thana-Road, Sadar-Bazar, Delhi-110006,Have Changed My Name To Arshad Hussain,For All Future Purposes. 0040528722-2

I, Apul Agarwal S/o-Ganga Sharan Agarwal R/o-326-B, Gulmohar Greens, Mohan-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad.have changed my name to Apul Kumar Agarwal.

0040528704-7

I, Anupma Dhiillon w/o Jasvinder Singh Dhillon r/o L-34, SF, West Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to ANUPMA DHILLON. 0040528628-1

I, AMANDEEP S/o Parshan Singh R/o C-105, 25yards Raghubir Nagar, Tagore Garden, Delhi-27 have changed my name to Amandeep Singh for all purposes 0040528750-2

I hitherto known as Dileep Krishnan S/O Shri Gopal Krishnan. M R/O AQ 01-06 IInd floor BPTP Parkland Park-81 Sector-81 Faridabad Haryana-121002 have changed my name and shall hereafter be known as Dilip Krishnan.

0040528715-2

I Zameer Ahmed S/o Zaki Ahmed R/o 1110, Neem Wali Gali, Shish Mahal, Kishan Ganj Chowk, Near Masjid Imli Wali, Tali Wara, Azad Market, Delhi-110006 have changed my name to Zameer Ahmed Jumlana for all purposes.

0040528626-3

I Yasmeen,W/o Shri.Jamshed Ali R/o-H.No.-20, Masjid-Wali Gali.No-1, Babarpur,Shahdara,Delhi-110032.have changed my name,from Km.Yasmeen Saleem to Yasmeen after-my-marriage,for all purposes.

0040528736-2

I Vikas Bashore S/0-Ram Kishore R/0-Qtr.No-729 Type-2 New Central Jail-Tihar Maya Puri Delhi-110064. Changed My Name To Vikas.

0040528687-9

I Vaibhao Rameshrao Kawale S/O, Ramesh Narayanrao Kawale R/o H.No.B360 A, Road No-6, Block-B, I Vasant Kunj Enclave. Pincode-110070 have changed my name to Vaibhav Rameshrao Kawale

0040528647-1

I Sunil Kumar S/o Sh. Ramesh Singh R/o Plot No.100, First Floor, Niti Khand-I, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. have changed the name of my minor son from Bhuvanshu Phore to Sameer Phore for all purposes.

0040528626-1

I Sumit Asthana, R/O-D-2075a, First-Floor,Palam-Vihar, Gurgaon,Haryana-122017,Changed My Minor Child Name Arav Asthana To Aarav Asthana. 0040528736-6

I Shikha Bawa W/o Ajay Bawa R/o House No-A, 21/B, Hardev Nagar, Jharoda Mazra, Burari, Delhi-110084, have changed my name to Meghna Bawa

0070694230-1

I Hitherto known as Abdul Kadir alias Abdul Qadir,Son of,Ramzani,Residing at, HouseNo.257B,Gali.No.4,Moonga-Nagar,Karawal-Nagar Delhi-110094,have changed my name and shall hereafter be known as Abdul Qadir.

0040528736-10

I Harish@HARISH Arora,S/O-Prakash Chand Arora R/O-C-502 Third-Floor VikasPuri Delhi-110018.Have Changed Name To Harish Kumar Arora. 0040528687-3

व्यक्तिगत

I Shahida Begum W/o Ali Ausat R/o 281, Gram Chandpatti, Chand Patti, Azamgarh, UP-276122, have changed my name to Shamsun Nisha

0070694239-1

I Seema Dalal W/O Sanjay Kumar Add:W4c, Western-Avenue, Sainik Farm, New-Delhi-110066, Changed My Name To Seema Rani.

0040528687-7

I Ram Singh S/O, K S Singh R/o D-8a/202 Street No.25 Madhu Vihar Delhi-110092 have changed my name to Ram Pratap Singh for all purposes.

0040528642-1

I Satish Kumar Garg S/o Shri chaturbhuj Garg R/o G-11, Gali No. 5, Arjun Nagar, Delhi 110051 have changed my name from Satish Kumar Garg to Satish Garg for all future purpose. 0040528627-1

I Sarvesh Gupta, S/O Shri Madhav Prasad Gupta R/O J-4,Dakshinpuri New Delhi-62.Declare that I have changed my name from Sarvesh Kumar to Sarvesh Kumar Gupta in all respects

0040528650-1

I Sameena Bano, W/O Mohd. Riyaz R/O J-222, Near PVR Saket, New Delhi-17. Declare that I have changed my name from Sameena Banu to Sameena Bano for all purposes. 0040528657-1

I Sabahat D/o Mohammad Din W/o Khalid Rehman R/o 2225, Naya Mohalla, Gali Qasim Jaan, Near Rabia Girls School, Ballimaran, Delhi-110006 have changed my name to Sabahat Khalid for all purposes.

0040528626-2

I Rajesh Aggarwal S/o-Mool Chand Aggarwal R/o-C-155, Mansarover-Garden Delhi-15 have changed my name to Rajesh Gupta. 0040528704-1

I Rajbahadur S/O-Gangadin Yadav R/O-184, Baribaja-Lalganj Ajhara Rampur U.P.229410. Have Changed my Name to Raj Bahadur.

0040528722-6

I Rajani Kalra W/O-Anil Kalra R/O-Wz-12, A-35 Third-Floor Tihar-Village New-Delhi-11018 Have Change My Name Rajni Kalra. 0040528687-10

I Pawandeep S/o Chaman Lal R/o WZ/N-19 Vishnu-Garden New Delhi have changed my name to Pawandeep Suman.

0040528722-9

I Pardeep Singh S/o-Satbeer Singh R/o-Village-Wazirpur, Tehsil & District-Gurgaon. Have Changed My Name To Pardeep Kumar. 0040528687-2

I Om Parkash S/0-Kanhiya Lal H.No-5552 Gali. No-74 Raigar-Pura KarolBagh Delhi-110005. Changed My Name To Om Prakash. 0040528687-8

I Mukul S/O Suraj Khatter, D-26 Lord Krishna-Road Adarshnagar Delhi-33. Have Changed My Name To Mukul Khatter. Permanently.

0040528687-6

I Mansi Sharma W/o Bal Kishan Sharma R/o RZ E-669/26, Gali No-18C, Sadh Nagar-2, Palam Colony, Delhi-110045, have changed my name to Pramila Devi

0070694233-1

I Khamosh Chawla D/o Kailash Chand Chawla R/o Jogiyo Ka Mohalla, Pragpura, Jaipur, Pragpura, Rajasthan-303107, have changed my name to Khushi Chawla 0070694231-1

I Kamaljeet Kaur w/0 Naresh Singh, r/0 WZ-51, Plot No 5, GF, Shyam Nagar Extension, Vishnu Garden, Delhi-110018, have changed my name to KAMLESH KAUR. 0040528678-1

I Ramesh Chand Chopra, S/o Late.Om Parkesh R/o-DG-3/337 Vikaspuri New-Delhi-110018. have changed my name to Ramesh Chopra.

0040528736-7

I,Lakhmipriya Senapati,W/o-Rajendra Kumar Sahoo,R/o-H.No.P-69/8,CVD line,Delhi Cantt.-110010,have changed my name Lakhmipriya Senapati to Laxmi Priya Sahoo (DOB-01.02.1985)for all future purposes.

0040528702-5

I, Raghav Ram Father Of Abhisek Kumar R/o Flat No.1129, 2nd Floor, Jay Ambey Apartment, 1350 DDA LIG Flats, New Kondli, Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096 HAVE Changed My Name Ragho Ram Ojha To Raghav Ram for All Future Purposes.

0040528630-1

सूचना

सूचित हो कि मैं आर्मी नं. 14621432 डब्लू ईक, हवलदार कालिका प्रसाद पुत्र स्व0 राम कुमार पाण्डेय, निवासी पंडित दीनदयाल नगर, देवकाली बाईपास, मीखापुर, फैजाबाद (अयोध्या) उ.प्र. ने अपनी पुत्री का नाम कुमारी प्रिया पाण्डेय जो कि मेरी सेवा पुस्तिका में त्रुटिवश अंकित है से बदलकर प्रिया पाण्डेय सभी उद्देश्यों हेतु कर लिया है।

— NOTICE —

This is to inform that, I **Pushpita Sawant**, D/o B.N. Ghosh, W/o Ravi Savant. DOB-14.12.1975 residing at 563/88, Chitra Gupta Nagar, Alambagh Lucknow, have changed my name to **Pushpita Savant** for all purpose.

खोया+पाया

I Baljeet Singh Maan,S/O Late Shri.Ram Swaroop,R/O-Flatno.1505 Sec-B,PKT-1,VasantKunj New-Delhi-110070.have lost my conveyance deed dated-16/10/2015 having registration no.16068 founder Contact:9250956581.

0040528749-9

I, MANPREET Kaur D/o-Narender singh R/o-S-22 main-road Anarkali krishna-nagar Delhi-51.have lost my original-certificate class -10th year-2017 Rollno-8153453 CBSE-Delhi. 0040528749-10

I,Sargun Chhabra,S/O.Kuldeep Rai Chhabra,R/O-A-2/234, Paschim-Vihar,New Delhi-110063.Declare On Oath That My Certificate-Having Passed The Secondary-Examination In-2014, Vide Roll.No..8173784 Issued By The Central Board Of Secondary-Education, From K R Mangalam World-School,VikasPuri, New-Delhi,Has Been Actually-Lost/Destroyed. 0040528749-1

It is notified for the information that my original Certificate of Senior Secondary Examination year-1993 and Roll No.5214973 issued by CBSE has been actually lost.Name of candidate Maneesh Kumar Dubey S/O Sh.Raj Deo Dubey R/O H.no.279 Vikram Vihar Shankar Vihar Delhi Cantt.-110010 Mob.8403982349

0040528715-1

Lost my original Certificate & Marksheet of main-10th Exam Year-2006, Roll-No.1539901, Passout-from Board of High-School and Intermediate Education U.P. Mohan Kumar Jatav. CN-20, Rajapur Village, Sector-9, Rohini, Delhi-110085 (M)-9873328868 0040528660-1

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary / Senior Examination of Year-2012 and-2014 Roll.No.8184391 and-9180337 issued by CBSE has been actually lost.Babita,R/o-839-A/4,Haibatpura-Najafgarh, New-Delhi-110043 Mobile.9990428325.

0040528750-4

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my clients **Sh. Gyan Kaushal** S/O Late Sh. Karthaiya Lal Kaushal R/o Kaushal Bhawan, 75-A, New Lahore, Gali No.11, Shastri Nagar, Delhi-31, have disowned his son namely **Rohit Kaushal** and his wife namely **Priya @ Rakhi**, their daughter **Bhoomi** & son **Paras** and they shall have no right or concern with my clients or any of my client's moveable & immoveable properties. In future, my client shall not be held liable & responsible for the acts & deeds of said **Rohit Kaushal** & his wife namely **Priya @ Rakhi** & their daughter **Bhoomi**.

Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Apptts., Mayur Vihar-I, Delhi

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents, that my client Sh. Ashwani Kumar S/o late Sh. Hans Raj R/o House No. G-1/264, Dal Mill Road, P.O. Mohan Garden (West), Uttam Nagar, New Delhi-110059 has severed all his relations from his both sons namely Brijesh Kumar and Hitesh Kumar and their wives Smt. Pinki @ Poonam W/o Sh. Brijesh Kumar and Smt. Nancy W/o Sh. Hitesh Kumar and had debarred them from his movable and immovable properties, including his above said residential propety as both above said sons of my client in connivance with their respective wives had started acting contrary to the interest of my client which has resulted in harassment, mental pain and agony to my client and has caused hurdles and obstacles in peaceful life of my client in his old age, even by lodging false complaints in the Police Station Uttam Nagar, Delhi and Higher Authorities of Police resulting in apprehension of threat to life and property of my client. Henceforth, whosoever deals with above said sons of my client and with their wives shall do so, at his own risk or responsibilities. My client shall not be liable for the same for any consequences whatsoever.

Sd/-
(VINOD KUMAR KHANNA)
Advocate
Chamber No. 281, Block-II,
Delhi High Court, New Delhi

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In the Court of Sh. Siddhant Sihag, Civil Judge-02, SOUTH EAST SAKET COURTS

SUIT No. CS SCJ-880/2019
PUNJAB & SIND BANK ...Plaintiff
Against
MR. SUNNY KUMAR ... Defendant
To
SUNNY KUMAR
S/O SH. ANIL PRASAD
H. NO. 1 JAGDAMBA COLONY,
ALI VIHAR, SARITA VIHAR
NEW DELHI-110076
ALSO AT-
SAI COMMUNICATIONS
102 GF, HARI NAGAR ASHRAM
NEW DELHI- 110014

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 25.02.2020 the day fixed for the final disposal. It will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 09.12.2019.

Sd/-
Judge
Civil Judge-02 (SE) Saket Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Plot no. K11/24 on road K-11 admeasuring about 250.56 sq. mtrs. Situated in the village Sarhaul DLF Qutab Enclave complex Gurugram Tehsil & District Gurugram was registered in the name of Late Sh. Deepak Desai S/o Late Sh. B.B. Desai R/o C-15 Nizamuddin west New Delhi-110013 also at C/O Ms. J. G. Glass Ltd. Post office Visbhadra Rishikesh who has expired on 30-06-1999 Leaving behind 2 legal heirs namely Mrs. Ratna Desai and Mrs. Maha Desai is being noted in DLF's record in respect of the captioned plot. If anybody has any objection to this, he or she may approached M/s DLF Ltd. Or the undersigned within 21 days of publication of this notice.

Nisha Yadav Advocate
District Courts, Gurugram

सार्वजनिक सूचना

मेरा मुवक्किल श्री हरीचंद पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप निवासी मकान नं. 4471, गली मित्रा, रोशनारा रोड, दिल्ली-110007 अपने पुत्र किशोर कुमार उम्र 34 साल को उसके दुर्व्यवहार के कारण मेरा मुवक्किल का कहना ना मानने व गलत गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में उसके लेन-देन व गतिविधियों के प्रति मेरा मुवक्किल एवं उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निशान सिंह (अधिववक्ता)
सीट नं. एम-16, नजदीक एस.बी.आई. तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सिंदर सिंह राना पुत्र श्री अमर सिंह राना निवासी मकान नं0 जी-52, जी-ब्लाक, शाहदरा, पूर्वी, दिल्ली-110032, में रहते है। मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र श्री शगुन राना व अपने छोटे पुत्र श्री साहिल राना दोनो पुत्र श्री सिंदर सिंह राना को अपनी चल व अचल सम्पत्ती से बेदखल कर दिया है और श्री शगुन राना व श्री साहिल राना से मेरे मुवक्किल व उसके परिवार का कोई रिश्ता नही है। अतः भविष्य में श्री शगुन राना व श्री साहिल राना अपने समस्त कार्यो व लेन देन के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे।

अली अशफाक (ऐडवोकेट) ऐफ-602, कड़कड़डूमा कोर्ट, शाहदरा दिल्ली-110032

PUBLIC NOTICE

'Be it known to all that my clients Sh. Chand Kumar Chawla S/o Sh. Mehar Chand Chawla and Smt. Neelu Chawla W/o Sh. Chand Kumar Chawla, Both R/o A-213, Deswal Nagar, Near Shakti Nagar Telephone Exchange, Model Town, Delhi-09, have lost their confidence in their son namely Sh. Vinay Chawla and his Wife Smt. Puja Bhosle W/o Sh. Vinay Chawla, because of their unlawful/illegal conduct with general public as well as with my clients. I hereby inform all of you that my clients have debarred their son and daughter-in-law from their personal life and also from their movable/immovable properties. Any person dealing with them please take note of it that my clients would not be responsible for any legal/illegal/unlawful conduct of their son and daughter-in-law above named.

S.B. Pandey (Advocate)
Ch. No. 257, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my client **Ishwari Devi** W/o Ram Prasad, R/o H.No.130, Vikas Vihar, Kiran Suleman Nagar, Delhi-110086, have disowned/debarred her younger son **Tika Ram**, his wife **Smt. Binita** and their children from all her immovable properties and moveable assets, and severed all relations with them due to their disobedience and misbehavior. Anybody dealing with them, will do at his/her/their own risks, costs and responsibility and my client and all her other family members shall not be responsible for any acts done by themselves. **J.C. Trikha** (Advocate) M-4, Civil Lines Tis Hazari Courts, Delhi

Public Notice

My clients Mr. Aslam Ali S/o late Shaukat Ali and Mrs. Yasmeen Begum W/o Mr. Aslam Ali both R/o V-393, Street 26, Vijay Park, Delhi-110053 have debarred and disowned their daughter namely Aaleema Khanum @ Roshani of their own free will and consent from all their movable and immovable properties as she changed her religion and got married against the will of my clients and misbehaved with them and is beyond their control and supervision. So my clients have already severed all relations with her and disowned her since the day she changed and got married against their will. And whosoever deals with her shall be doing so at his own risk and responsibility and my client will not be liable/responsible for any of her acts.

Sd/- **MOHD. FURQAN**
ADVOCATE
Ch.No. 273-A, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Public at large is put on notice that my client, Sh. Surender Pal Singh, S/o Late Kirpal Singh R/o C-85, Shakti Nagar Extn., Ashok Vihar, Phase-3, Delhi-52, has lost the original Sale Deed along with the original site plan of Property No. GF, H.No. 5833, Plot-34, North Area No. 14, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Delhi-06. Misuse of the documents would invite penal action. Finder of the aforesaid documents may please contact-9816704510.

D. S. Kohli, Advocate
Kirti Nagar, New Delhi

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO GENERAL PUBLIC THAT MY CLIENT SMT. KRISHNA W/O LEHNA SINGH R/O 1297, DADA SHAAHAD, POOTH KHURD, NORTH WEST DELHI-110039 HAS DISOWNED AND DEBARRED HIS SON NAMELY SH. SUNIL AND HIS WIFE SMT. SONI KUMARI FROM ALL HER MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES. MY CLIENT AND HIS OTHER FAMILY MEMBERS HAVE SEVERED ALL THEIR RELATIONS WITH THEM AS THEY ARE NOT IN CONTROL OF MY CLIENT AND DUE TO THEIR HOSTILE BEHAVIOUR. IF ANYBODY DEALS WITH THEM HE/SHE SHALL DO SO AT HIS/HER OWN RISK AND MY CLIENT AND HIS OTHER FAMILY MEMBERS SHALL NOT BE RESPONSIBLE.

Sd/-
PARVESH DABAS
ADVOCATE
CH. NO. 335, 3RD FLOOR,
LAWYERS CHAMBER BLOCK,
ROHINI COURTS, DELHI-110085
MOBILE NO. 9911774445

PUBLIC NOTICE

I, Akshay Gupta S/o Sh. Bhuvnesh Kumar R/o B-62, 2nd Floor, Block-B, Vivek Vihar Phase-II, Delhi- 110095 have lost my original Civil Engineering Degree of year 2017, Roll Number 1303000015, Enrollment Number 130300005696 issued by Dr. APJ, Abdul Kalam Technical University, Lucknow, U.P. If anybody found or seen, please contact 8802450460.

Sd/-
AKSHAY GUPTA
S/O BHUVNESH KUMAR
R/O B-62, SECOND FLOOR,
B-BLOCK, VIVEK VIHAR
PHASE-II, DELHI-110095

PUBLIC NOTICE

I, Amit Singh, S/o Shri Rajendra Singh have misplaced one of the GPA within the chain of title documents of my Flat situated at Flat No.3118, Sector-A, Pocket-B & C, Vasant Kunj, New Delhi-70 in the name of Mrs. Supriya Kanwar W/o Ajay Kanwar registered as Document No.2299 in Addl. Book No.IV, Volume No.922 on Page No.57 to 69 Dated 14/02/1997. If anyone finds the same, please contact at below address.

Amit Singh
3412/ D1, Vasant Kunj
New Delhi-70, Mobile : 9873240382
Dated : 24.01.2020
Place : New Delhi

PUBLIC NOTICE

Know all men by this present that my client Ms. Nidhi Mehta W/o Sh. Siddharth Mehta R/o E-29, Moti Nagar, New Delhi-110015 is very much disturbed by the illegal acts of her husband Siddharth Mehta S/o Shri Sanjeev Mehta as he has be illegally misusing her documents viz. Voter Identity Card, Aadhar Card, Pan Card and PAN number as well as other documents for obtaining loans without her consent and permission from various public sector/private sector institutions. This is to bring into notice for all such institutions & for public at large that my client does not support illegal acts of her husband and she had never applied for or had obtained any such loans from anywhere or anyone. Anyone dealing with Siddharth Mehta in this regard has done so and shall be doing the same at their own risk & consequences.
My client shall not be liable for any such illegal acts of her husband Siddharth Mehta in any manner whatsoever.

TARUN ARORA (Advocate)
Ch.No. 14, Civil Supply Building, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform to general public at large that Sh. Badlu Mal and Sh. Lakhmi Chand both sons of Lala Kanehya Lal were the owners of freehold property no. 1203, with its roof / terrace rights, Shora Kothi, Subzi Mandi, Delhi measuring 82 Sq. Yards. Sh. Badlu Mal was unmarried and issueless and he died on 15.08.1958. Sh. Lakhmi Chand and his wife Smt. Gulabo Devi also expired on 15.01.1967 and 04.11.2007. After their death, Smt Rajrani Gupta D/o Sh. Lakhmi Chand executed relinquishment deed in favour of my client Sh. Dinesh Kumar Gupta who is the sole owner of the above said property and wants to sell the same. If anybody has any objections/interest in the said property, they may contact the undersigned within a period of 7 days from the date of publication of this notice.

Sd/-
ANIL KUMAR JAIN (Advocate)
CH. NO. 473, W.W. TIS HAZARI COURTS DELHI-110054
MOB. 9999392437

मेरे घर काम कर रहे थे संदिग्ध बांग्लादेशी मजदूर : विजयवर्गीय

इंदौर (मध्य प्रदेश), 23 जनवरी (भाषा)।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दावा किया कि यहां उनके घर के निर्माण कार्य में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने एक सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) की जमकर पैरवी करते हुए यह दावा किया।

भाजपा महासचिव ने अपने गृहनगर में 'लोकतंत्र-संविधान-नागरिकता' विषय पर आयोजित परिसंवाद में कहा कि उनके घर में नए कमरे के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें छह-सात मजदूरों के खानपान का तरीका थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वे भोजन में केवल पोहा खा रहे थे। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों और भवन निर्माण ठेकेदार के सुपरवाइजर से बातचीत के बाद उन्हें संदेह हुआ कि ये श्रमिक बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शंका थी कि ये मजदूर बांग्लादेश के रहने वाले हैं। संदेह होने के दूसरे ही दिन उन्होंने मेरे घर काम करना बंद कर दिया था। भाजपा महासचिव ने कहा कि मैंने पुलिस के सामने इस मामले में फिलहाल शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मैंने तो केवल लोगों को सचेत करने के लिए उन मजदूरों का जिक्र किया था। उन्होंने यह दावा भी किया कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी पिछले डेढ़ साल से उनकी रेकी कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब भी बाहर निकलता हूं, तो छह-छह बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मेरे आगे-पीछे चलते हैं। यह देश में आखिर क्या हो रहा है? क्या बाहर के लोग देश में घुसकर इतना आतंक फैला देंगे? विजयवर्गीय ने सीएए की वकालत करते हुए कहा कि भ्रम और अफवाहों के चक्कर में मत आइए। सीएए देशहित में है। यह कानून भारत में वास्तविक शरणार्थियों को शरण देगा और उन घुसपैठियों की पहचान करेगा,

ऐ भाई...

दिल्ली सरकार के कामों को गिनाएगी 'काम की चाय'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चाय पर चर्चा के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) की काम की चाय भी मतदाताओं को मिलेगी। यह चाय पांच साल में आप सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाएगी। आम आदमी पार्टी ने यह पहल की है। आप पार्टी से प्रभावित होकर एक एमबीए किए चाय वाले ने आप मुख्यालय में चाय का स्टाल लगाया है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एमबीए चाय वाला स्टाल का उद्घाटन किया। एमबीए चाय वाले ने स्टाल पर चाय की चार श्रेणी बनाकर आम आदमी पार्टी सरकार के कामों को बताया। यह चाय की दुकान मूलरूप से अमदाबाद निवासी प्रफुल्ल बिल्लोर एमबीए चायवाला के नाम से मशहूर है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संपर्क करके काम की चाय स्टाल के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार के कामों का प्रचार करने की इच्छा जताई थी।

कांग्रेस ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जंयती पर गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनकी फोटो पर पुष्प चढ़ाकर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने श्रद्धाजंलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी की लड़ाई को नया जोश प्रदान किया था। उन्होंने विशेष रूप से देश के नौजवानों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। कांग्रेस उनकी स्मृतियों और देश की आजादी में उनके योगदान को नमन करती है।

'वोट की राजनीति के लिए हो रहा शाहीन बाग का धरना'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए शाहीन बाग का धरना हो रहा है। केवल तुष्टिकरण की राजनीति के लिए शाहीन बाग को देश के लिए शेम बाग बना दिया गया है। इसके पीछे जनता को भड़काने व उकसाने वाली आम आदमी पार्टी है। विजय गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि 'मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं।' ये वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने सीएए को लेकर दिल्ली की जनता को भड़काया व उकसाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि आंदोलन करो ताकि लोग भड़कें। उन्होंने कहा कि सीएए को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। एनपीआर हर दस साल में होता है लेकिन उसका भी विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जनता को जवाब दें। कई दिनों से आम आदमी पार्टी से शाहीन बाग को लेकर सवाल किए जा रहे थे लेकिन कहीं न कहीं जनता को भड़काने व उकसाने के पीछे आम आदमी पार्टी संलिप्त थी सो वही सत्य आज मनीष सिसोदिया के मुख से निकला है। शाहीन बाग में सीएए को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से शाही भ्रम फैलाया जा रहा है।

इशरत निजाम अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुईं शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

संगम विहार से कांग्रेस की टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकीं इशरत निजाम अंसारी ने घर वापसी कर ली है। उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। संगम विहार विधानसभा की उम्मीदवार पूनम झा आजाद ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। उनके साथ उनके समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इशरत निजाम अंसारी ने कहा कि वह कुछ कारणों की वजह से कांग्रेस छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब दोबारा से वह घर लौट आई हैं। उन्होंने पूनम झा को समर्थन देने की बात भी कही है। वह 2017 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार मिली थी। वहीं, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने कहा कि बीते कुछ दिनों से दूसरे दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे मटियाला, दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा

केंद्र की 112 योजनाओं में डाला रोड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की करीब 112 योजनाओं में रोड़ा अटकाया है। वे मटियाला में भाजपा प्रत्याशी राजेश गहलोत के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस सभा में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) पर सीधा निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता को तय करना है कि पांच साल काम करने वाली सरकार चाहिए या धरना करने वाली सरकार। उन्होंने कहा कि अगर देश में झूठे वादे की प्रतियोगिता हो तो अरविंद केजरीवाल को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। अमित शाह ने गुरुवार नजफगढ़, मटियाला, नांगलोई में सभाएं कीं। इसी तरह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महारौली व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी देवली में वोट मांगने जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान कर दिल्ली को एक नई सरकार बनानी है। पांच साल पहले 'आप' पर भरोसा करके जनता ने मतदान किया था। आम जनता से आप पार्टी ने वादे किए थे। वे आप नेता भूल गए हैं पर जनता नहीं भूली है। उन्होंने सवाल किया कि आप पार्टी को बताना चाहिए कि कितने स्कूल बने हैं। 15 लाख कैमरे लगाने थे लेकिन कुछ कैमरे लगाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली के लिए 5000 बसें आनी थीं लेकिन 300 बसें ही लोगों को मिलीं। इसके अतिरिक्त यमुना नदी को स्वच्छ बनाना था लेकिन उसे और गंदा कर दिया गया है।

जेएनयू हंगामें पर भी घेरा : अमित शाह ने कहा कि दो साल पहले जेएनयू के अंदर कुछ लड़कों ने भारत तेरे टुकड़े हों एक हजार, नारे लगाए। उन्होंने सवाल किया कि भारत माता के टुकड़े करने वालों को जेल के पीछे होना चाहिए या नहीं। अरविंद केजरीवाल व राहुल गांधी पीछे-पीछे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर युवाओं व अल्पसंख्यकों को भड़काया गया है और दिल्ली में दंगे कराए गए। उन्होंने कहा कि आज भी 'आप' नेता मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। अमित शाह ने कहा कि आप नेताओं ने दिल्ली की शांति को तोड़ने का काम किया है।

चुनावी जनसभा

'आप' व कांग्रेस ने हर फैसले का विरोध किया : शाह

अमित शाह ने कहा कि कांग्रस व आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध किया है। यह विरोध 370, तीन तलाक और नागरिकता कानून जैसे मामलों में देखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आप पार्टी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। इन लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती और अब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की मंजूरी दी। अध्योध्या में 4 माह के अंदर मंदिर बनाने का काम होगा।

'भाजपा की हार सुनिश्चित करने मैदान में उतरेगी भाकपा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के तीन उम्मीदवारों के साथ दिल्ली राज्य परिषद की चुनाव समिति और दिल्ली के सभी जिला सचिवों और सहायक सचिवों की एक बैठक गुरुवार को उत्तरी दिल्ली जिला कार्यालय सब्जी मंडी घंटा घर में आयोजित की गई। इस दौरान तय किया गया कि भाकपा दिल्ली में भाजपा की हार सुनिश्चित करने उतरेगी।

इस बैठक में सीपीआइ के तीनों उम्मीदवारों के लिए चुनाव अभियान को लेकर चर्चा की। तिमारपुर के उम्मीदवार संजीव कुमार राणा, बवाना से उम्मीदवार अभिप्शा चौहान और पालम से उम्मीदवार दिलीप कुमार हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सचिव दिल्ली राज्य भाकपा के साथ के नारायणा राष्ट्रीय सचिव भाकपा ने बैठक की अध्यक्षता की और तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अभियान के बारे में विस्तार से सभी से बात की। सभी जिला सचिवों और सहायक सचिवों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। के नारायणा ने कहा कि हमें इन चुनावों में कड़ी मेहनत करनी चाहिए और चुनावों में जीत हासिल करनी चाहिए। हमें दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करनी होगी।

पांच साल में रुके विकास कार्यों को जीत जाने के बाद करेंगे पूरा : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार सुबह से देर रात तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से संपर्क साध अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। गांधी नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने शांति मोहल्ला और रघुबरपुर में जनसंपर्क कर और बैठक कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य पिछले पांच साल से रुके पड़े हैं। जीत जाने के बाद उन कामों को तुरंत शुरू करेंगे।

वहीं, कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा ने गोविंदपुरी, रामपुरा, कालकाजी और श्रीनिवासपुरी में जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं कीं। उन्होंने कहा कि कालकाजी क्षेत्र की जमीनी परेशानियों को भलीभांति जानती हूं। यहां दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी बाहरी उम्मीदवार हैं और उन्हें क्षेत्र की परेशानियों की कोई जानकारी नहीं है। पिछले पांच सालों में सत्तासीन पार्टी के विधायक ने क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण क्षेत्र में बदहाली है। इसी प्रकार पूनम झा आजाद ने संगम विहार क्षेत्र में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की। वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरी किशन जिंदल ने क्षेत्र की जेजे कॉलोनियों, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी, वजीरपुर में गई पदयात्रा की। इसके साथ ही अन्य उम्मीदवारों ने भी अपने-अपने विधानसभा में जनसंपर्क की।

कांग्रेसी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत

पांच साल केजरीवाल के झूठे प्रचार के साल रहे : चोपड़ा

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं। वह क्या गारंटी दे सकते हैं। चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने 2015 में चुनाव से पूर्व वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद महंगी कार नहीं रखेंगे, यमुना को स्वच्छ करेंगे और नए कॉलेज खोलेंगे। अब मुख्यमंत्री खुद ही बताएं कि इन वादों में से किस वादे को पूरा कर पाए हैं। साथ ही अध्यक्ष ने राजेंद्र नगर और बाबरपुर विधानसभा की उम्मीदवार अंवीक्षा त्रिपाठी जैन के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में पिछले पांच साल केजरीवाल के झूठे प्रचार के साल रहे। उनके पिछले घोषणा पत्र के ज्यादातर वायदे केवल कागजों पर रहे हैं और अब उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए गारंटी कार्ड का ड्रामा किया है।

चुनावी जनसभा

ढपली, ताली और युवाओं की ऊर्जा के साथ भाजपा करेगी प्रचार

आशीष दुबे
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

नुक्कड़ नाटकों के जरिए भाजपा ने मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने की तैयारी की है। ढपली, ताली के संगम से बने नुक्कड़ नाटक, संगीत समेत अन्य माध्यमों से पार्टी एवं प्रत्याशी के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों तक जनता तक पहुंचाने और राज्य सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए युवा पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। नाटक मंडलियों व थियेटर ग्रुप से जुड़े 20 से 30 उम्र वाले युवा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नुक्कड़ नाटकों के जरिए वर्तमान में अहम सीएए, एनआरसी की जरूरत के मंचन होंगे या नहीं, इस पर अभी मुहर नहीं लगी है।

बताया गया है कि अभी करीब चार दर्जन नाटक समूहों के जरिए संदेश पहुंचाया जाएगा। आने वाले दिनों में जरूरत और लोकप्रियता के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक समूह में छह से आठ सदस्य होंगे, जो मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और भाजपा को दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने का संदेश देंगे। इसी के साथ दिल्ली सरकार की खामियों को भी जनता के बीच रखेंगे। राजनैतिक जानकार मान रहे हैं कि सीएए, एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की काट में रूप में नुक्कड़ नाटक राष्ट्रवाद का संदेश देने वाले साबित हो सकते हैं। नाटकों के ऑडिशन के लिए अपने साथियों के साथ पहुंचे युवा एस. तिवारी के मुताबिक वे अपनी सोच के आधार पर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। वे राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर मानते हैं। सीएए, एनआरसी को लेकर जिस तरह का माहौल इन दिनों चल रहा है, उसकी वास्तविकता लोगों तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रचार करेंगे। ऑडिशन के लिए पहुंचे एक अन्य युवा ने बताया कि वे दिल्ली सरकार की नाकामी बताने के लिए नारे, स्लोगन तैयार कर रहे हैं।

विरोध की गूंज के बीच अल्पसंख्यक तय करेंगे नई सरकार की तस्वीर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यों तो प्रत्येक मतदाता की भूमिका महत्त्वपूर्ण है लेकिन सूबे के त्रिकोणीय सियासी समीकरण को देखते हुए इस दफा यहां के अल्पसंख्यक मतदाताओं के फैसले की अहमियत बढ़ गई है। राजधानी की 70 विधानसभा सीटों में से छह सीटें तो ऐसी हैं जहां हार-जीत का फैसला इन्हीं मतदाताओं के हाथ में है जबकि छह अन्य सीटों के परिणाम को भी ये सीधे प्रभावित करते हैं।

आंकड़ों पर गौर करें तो बल्लीमरान, मटिया महल, ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद आदि विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अलग-अलग चुनावों में अल्पसंख्यक प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक, सदर बाजार, संगम विहार, तुगलकाबाद, घोंडा, बदरपुर आदि विधानसभा क्षेत्रों में इनके वोट हार-जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में करीब 12-13 फीसद अल्पसंख्यक मतदाता हैं और जाहिर तौर पर कई क्षेत्रों में इनका दबदबा है। इसी दबदबे की वजह से कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार ही उतारे हैं। चाहे सीलमपुर हो, बल्लीमारान हो या मटिया महल हो या फिर ओखला या मुस्तफाबाद विधानसभा की सीटें हों, दोनों दलों की ओर से अल्पसंख्यक प्रत्याशी आमने-सामने हैं।

जानकारों की मानें तो इस बार दिल्ली के अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर दुविधा है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस कानून की पुरजोर मुखालफत कर रहे ये मतदाता भाजपा के पक्ष में शायद ही वोट डालें। ऐसे में उनके सामने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी दो विकल्प हैं।

राजधानी की चार-पांच सीटों पर निर्णायक हैं, तो पांच-छह अन्य सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं अल्पसंख्यक मतदाता

सिख समुदाय से भाजपा को समर्थन की आज कर सकते हैं घोषणा

ऊहापोह में अकाली नेता

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

- पार्टी की अपील के बाद भी अकाली दल के कोटे से पार्षद बने दिल्ली के नेताओं ने पद से इस्तीफा नहीं दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से गठबंधन तोड़ने के अपने आलाकमान के फैसले के बाद दिल्ली में शिरोमणी अकाली दल के नेता संकट में हैं। चुनाव लड़ने की महीनों से तैयारी कर रहे इनके कार्यकर्ताओं की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई की हो गई है। भाजपा के साथ गठबंधन के तहत मौजूदा समय में दिल्ली में पार्टी के एक विधायक और चार निगम पार्षद हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के अपील के बावजूद अकाली दल के कोटे से पार्षद बने दिल्ली के नेताओं ने पद से इस्तीफा नहीं दिया। दबी जुबान से दिल्ली के अकाली नेताओं का कहना है कि इससे दिल्ली की अकाली राजनीति को गहरा नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह किसी से छुपा नहीं है कि पंजाब में अगर भाजपा गठबंधन तोड़ लेती तो नतीजे शायद कुछ और होते। दिल्ली में सिख राजनीति पल-पल बदल रही है। दिल्ली में नेताओं के असंतोष से आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। लिहाजा, शुक्रवार को दोपहर दो बजे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक गुरुद्वारा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में होगी जिसमें दिल्ली चुनाव में सिखों से भाजपा को समर्थन करने की घोषणा की जा सकती है।

दिल्ली में कालकाजी, शाहदरा, हरिनगर और राजौरी गार्डन जैसी कई सिख बहुल सीटें हैं जहां अकाली दल का प्रभाव है। आम आदमी पार्टी की आंधी के बावजूद अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था और जीता था। दिल्ली अकाली दल के प्रमुख हरमीत सिंह कालका ने दिल्ली में इस बाबत होने वाली कोर कमेटी की बैठक की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होगा। अकाली नेता व दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि हमारा गठबंधन जिन सिद्धांतों पर आधारित है, उनसे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम सीएए के विरोध में नहीं हैं। हम इसकी कवायद करते हैं लेकिन सिर्फ यह चाहते हैं कि बाकी प्रावधानों के साथ धार्मिक भेदभाव न करने वाला प्रावधान भी जोड़ा जाए। शरोमणि अकाली दल की पुरजोर राय है कि मुसलमानों को सीएए से अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने साफ किया कि इसके अलावा सैकड़ों मुद्दों पर अकाली-भाजपा के विचार एक हैं। कई मुद्दों पर दोनों में एक समान राय हैं। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला शिरोमणी अकाली दल ने स्वंय किया है, न कि भाजपा ने। बहरहाल, अकालियों की दिल्ली में जमीनी स्थिति यह है कि उनमें गहरा असंतोष है। उनके दो पार्षदों ने गुरुवार को इलाके के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा।

संकट

दस महारथी रखेंगे चुनाव गतिविधि पर नजर

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 23 जनवरी

सात लोकसभा सीटों पर 10 महारथी चुनाव गतिविधियों पर सीधी नजर रखेंगे। दिल्ली भाजपा की चुनाव प्रचार योजना पर सख्त निगरानी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह व्यवस्था की है। इसके तहत सभी 70 विधानसभा सीट के लिए 10 बड़े नेताओं को लगाया गया है। इनमें केंद्रीय मंत्री व आसपास के राज्यों के मंत्री व दूसरे राज्यों के संगठन मंत्री शामिल हैं। इन नेताओं का सीधा संपर्क दिल्ली की सभी लोकसभा सीट के सांसदों से रहेगा ताकि प्रचार अभियान में तालमेल की कमी की वजह से कोई अड़ंगा नहीं लगे।

तीन सीट ऐसी भी हैं जहां पर दो-दो प्रभारियों की तैनाती की गई है। दिल्ली की हर लोकसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसी आधार पर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। इन विधानसभाओं को सबसे पहले लोकसभा सांसद से जोड़ा गया है। एक चुनाव प्रभारी की तैनाती की गई है। संबंधित प्रभारी केवल एक ही लोकसभा क्षेत्र का प्रभार रहेगा। उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र सांसद व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को प्रभार दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला ग्रुप सभाओं के लिए संगठन के लिए तैनात किया गया है। इस प्रकार की तीन स्तरीय व्यवस्था दिल्ली की हर लोकसभा सीट के लिए तैयार की गई है।

दक्षिणी दिल्ली की सीट के प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को बनाया गया है। यहां पर संगठन का काम राजस्थान के महामंत्री भजन लाल शर्मा व सांसद रमेश बिधूड़ी संभालेंगे।

पूर्वी दिल्ली से सांसद व किक्रेट स्टार गौतम गंभीर के क्षेत्र में पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी व उत्तराखंड सरकार के मंत्री धनसिंह रावत को प्रभारी की जिम्मेदारी दी है जबकि इस क्षेत्र में होने वाली समूह सभाओं का जिम्मा संगठन की तरफ से हरियाणा के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट संभालेंगे। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की सीट है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए इस लोकसभा सीट का चुनाव प्रभारी आशीष सेल्लर को बनाया गया है जबकि संगठन से इस सीट का कार्यभार सुभाष भगत संभालेंगे।

इसी प्रकार नई दिल्ली लोकसभा सीट का कामकाज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मदन कौशिश, मंत्री उत्तराखंड सरकार को बतौर चुनाव प्रभारी संभालेंगे। उनके साथ संगइन से हिमाचल के संगठन महामंत्री पवन राणा व क्षेत्रीय सांसद मीनाक्षी लेखी रहेंगी। उत्तर पश्चिम दिल्ली को केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया देखेंगे।

दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की योजना
दूसरे राज्यों के नेताओं को भी दी गई है जिम्मेदारी

चुनाव योजना

आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य के दावों की खुली पोल

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

- स्वास्थ्य बजट का 48% हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ : आरटीआइ
- नहीं बढ़ी बिस्तरों की संख्या

आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में 30,000 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे।कई नए अस्पताल खोले जाएंगे। डॉक्टरों के खाली 40 पद भरे जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के पांच साल बाद भी इन दावों व हकीकत में एक बड़ा फासला दिखाई पड़ रहा है। एक भी नया अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक, दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में कुल आबंटित बिस्तरों की संख्या 11353 है। जो पांच साल पहले करीब नौ से 10,000 के बीच था। वहीं सूचना के अधिकार कानून के मुताबिक, दिल्ली के स्वास्थ्य बजट का 48 फीसद हिस्सा खर्च ही नहीं हो सका है। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में छह करोड़ मरीजों का सालाना इलाज होने लगा है जो पहले तीन करोड़ मरीज सालाना था।

दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाती रही है। इस दिशा में कई पहल तो की गईं। लेकिन किए गए दावों व हकीकत में अभी भी बड़ा अंतर है। कुछ मौजूदा अस्पतालों में थोड़े बिस्तर बढ़ाए गए है। लेकिन अभी भी एक बिस्तर पर एक से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है।

दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में केंद्र व दिल्ली सरकार निगम व निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल बिस्तरों की संख्या 2014-15 में 48,096 थी जो 2019 तक बढ़ कर 57194 हुई। जिसमें 29301 बिस्तर निजी क्षेत्र के हैं। इनमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों के महज 11353 बिस्तर ही हैं।

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	20.2 डि.से.	20.2 डि.से.	18.9 डि.से.	20.8 डि.से.
न्यूनतम	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.

आपातकालीन स्थिति में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर उतारा विमान

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 23 जनवरी।

देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस-वे में शुमार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार दोपहर करीब पौने दो बजे एक छोटे विमान की आपातकाल लैंडिंग कराई गई। विमान से सवार पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि विमान में तकनीकी दिक्कत के कारण आपातकाल लैंडिंग कराई गई। विमान उतारने के दौरान उसका बायां पंख (विंग) क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के मुताबिक, दो सीट वाले छोटे विमान ने बरेली से उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान इसमें तकनीकी खराबी आ गई। जिसके कारण पायलट ने विमान को आपातकाल स्थिति में गाजियाबाद के सदरपुर गांव इलाके में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर उतारा। तकनीकी कारणों से विमान उतारने के बाद पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर इस दौरान वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। जिसके चलते लंबा जाम लग गया। पुलिस ने लोगों की भीड़ को विमान से दूर रखा। एतिहातन दमकल और एंबुलेंस को बुलाया गया। विमान उतारते समय विमान का एक पंख एक्सप्रेस-वे के क्रैश बैरियर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में हिंडन वायुसेना के एक हैलीकॉप्टर से पहुंची टीम ने मौके पर जाकर जांच की और विमान के पायलट को सुरक्षित अपने साथ ले गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी के चलते एक्सप्रेस-वे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इस दौरान वाहनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ा। कुछ देर में हालात सामान्य हो गए। पायलट सुरक्षित बाहर आ चुका था।

तकनीकी खराबी, पायलट सुरक्षित बाहर निकला

क्लस्टर बस से स्कूल बस की टक्कर, छह बच्चे सहित सात घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

नारायणा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक क्लस्टर बस की टक्कर से निजी स्कूल की बस पलट गई। घटना नारायणा दमकल विभाग के दफ्तर के पास घटी। इस हादसे में सात बच्चे और एक अध्यापिका घायल हो गई। घटना के बाद स्कूल बस में सवार सभी को दमकलकर्मियों ने पुलिस की मदद से बस से बाहर निकाला और पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। नारायणा थाने की पुलिस ने इस हादसे के संबंध में आइपीसी की धारा 279/337 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी क्लस्टर बस चालक प्रभात मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

नारायणा के पास घटी घटना, आरोपी चालक गिरफ्तार

दिल्ली दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घटना की जानकारी गुरुवार सुबह 7:10 बजे मिली थी। शुरुआत में जानकारी मिली थी कि बस में आग लग गई है। पर मौके पर पहुंचने पर पता चला कि बस टक्कर लगने से पलटी है। उन्होंने बताया कि सालवान पब्लिक स्कूल, ओल्ड राजेंद्र नगर की डीएल 1पीडी 1370 पंजीकरण नंबर की बस और डीएल 1पीसी 5942 पंजीकरण नंबर की क्लस्टर बस की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल बस पलट गई। घायलों में स्कूल अध्यापिका तुलसी (55), विद्यार्थी आर्यन (16), शूक्षम (16), तानिया (17), मेहुल (16), विशांत (16), वंश (17) और विशंक (7) शामिल हैं। क्लस्टर बस के चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। वह रूट संख्या 803 की थी। यह बस शिवाजी एन्क्लेव से मधु विहार के बीच चलती है, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल बस में कुल 27 बच्चे सवार थे।

आंखों में मिर्च डाल सवा लाख लूटे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

न्यू अशोक नगर में भाई को रुपए देने जा रहे एक युवक की आंखों में बदमाश ने मिर्च डाल दी। इसके बाद बदमाश रुपए का बैग लूटकर मौके से फरार हो गया। इमरान खान (22) के साथ मौके पर मौजूद उसके दोस्त समीर हुसैन ने पानी डालकर उसकी आंखें धुलवाईं। बाद में उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। बैग में सवा लाख रुपए थे। पुलिस ने इमरान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इमरान न्यू अशोक नगर में रहता है। वह नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। मंगलवार को उसे अपने बड़े भाई जाबिर खान को सवा लाख रुपए देने थे। इस पर उसने अपने भाई को न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पर बुलाया। इमरान अपने दोस्त समीर के साथ पैदल ही मेट्रो स्टेशन पहुंचा और भाई का इंतजार करने लगा। इसी दौरान एक युवक आया और उसने इमरान की आंखों में मिर्च डाल दी। इसके बाद आरोपी रुपए का बैग लेकर मौके से फरार हो गया।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी शाखा
32, कम्युनिटी सेन्टर
न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली–110025,
फोन न. 011–26839206, 28898171

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इण्डिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 01.06.2019** को एक मांग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री योगेश सिंह और श्रीमति ज्योति सिंह एवं गारंटर श्री अवधेश सिंह** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रु. **21,30,000.85/– (रुपए इक्कीस लाख तीस हजार एवं पिचासी पैसे मात्र)** एवं दिनांक 30.05.2019 से आगे के ब्याज सहित उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/गारंटर द्वारा उक्त राशि को अदायगी न करने के कारण ऋणी/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के सपठित नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा **दिनांक 18 जनवरी, 2020** को ले लिया है।

ऋणी/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया रु. **20,36,388.85/– (रुपए बीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ अट्ठासी एवं पचासी पैसे मात्र)** व इसके आगे के ब्याज के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट सं.–75, एमआईजी, ब्लॉक आरएन, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, मापक्षेत्र 216.273 वर्ग मीटर पर बनी संपत्ति के सभी भाग और अंश, जो कि श्री योगेश सिंह एवं श्री अवधेश सिंह के स्वामित्व में है।

चौहद्दी: उत्तर में: सड़क 30 फीट
दक्षिण में: प्लॉट सं. एम/76,
पूर्व में: प्लॉट सं. एम/106,
पश्चिम में: सड़क 30 फीट

दिनांक : 23.01.2020
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इण्डिया

क्लब फुट : बचपन की बीमारी बड़ी उम्र में विकलांगता का बड़ा कारण

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 जनवरी।

क्लब फुट एक जन्मजात बीमारी है, जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। सेक्टर- 30 स्थित जिला अस्पताल में मिरैकल फीट इंडिया संस्था के सहयोग से क्लब फुट के इलाज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस बीमारी में बच्चे के पैर का आकार बिगड़ जाता है। उपचार नहीं होने पर बच्चों के बड़ा होने पर चलना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त माता-पिता के बच्चों को इस बीमारी के होने की ज्यादा आशंका रहती है।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनुराग भार्गव के मुताबिक संस्था क्लब फुट वाले बच्चों का निःशुल्क उपचार कर रही है। जिले में इस बीमारी के 24 मरीज हैं। जिसका अस्पताल के हड्डी एवं सर्जिकल वार्ड में इलाज किया जा रहा है। हर शनिवार को क्लब फुट का क्लीनिक डे होता है। संस्था के कार्यक्रम समन्वयक सैफ खान ने बताया कि इलाज के अलावा स्थानीय स्तर पर ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाती है। प्रशिक्षण विदेश से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक भी देते हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अरविंद अत्री और डॉ. ब्रिजेश कुमार प्रशिक्षण लेकर इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर साल सात हजार बच्चे जन्मजात इस दोष से पीड़ित होते हैं। यह दोष दिव्यांगता का बड़ा कारण है। फुट क्लब में जन्म से ही बच्चे का एक या दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसे टेलिप्स भी कहा जाता है।

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

ITI LIMITED

Our Company was originally incorporated as Indian Telephone Industries Private Limited on January 25, 1950 at Bengaluru, Karnataka, India as a private limited company under the Mysore Companies Act, XVIII of 1938. Subsequently, the name of our Company was changed to Indian Telephone Industries Limited pursuant to a notification no. G.S.R.1234 dated December 30, 1958 issued by the Ministry of Commerce and Industry. Our Company became a deemed public limited company under Section 43A (1A) of the Companies Act, 1956 with effect from July 1, 1975. Thereafter, the name of our Company was changed from Indian Telephone Industries Limited to its present name, ITI Limited, and a fresh certificate consequent upon change of name dated January 24, 1994 was issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru (**"RoC"**). For further details relating to incorporation, corporate structure, change in registered office of our Company, please refer to the chapter *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 144 of the Red Herring Prospectus (**"RHP"**).

Registered and Corporate Office: ITI Bhavan, Doorvaninagar, Bengaluru 560 016, Karnataka, India; **Tel:** +91 80 2561 7486; **Fax:** +91 80 2561 4400;
Company Secretary and Compliance Officer: S. Shanmuga Priya, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 80 2561 7486; **Fax:** +91 80 2561 7525; **E-mail:** cosecy_crp@itiltd.co.in;
Website: www.itiltd-india.com; **Corporate Identity Number:** L32202KA1950GOI000640

PROMOTER OF OUR COMPANY: THE PRESIDENT OF INDIA, ACTING THROUGH THE DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ("DOT"), MINISTRY OF COMMUNICATIONS, GOVERNMENT OF INDIA

FURTHER PUBLIC OFFERING OF UPTO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ITI LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") AGGREGATING UPTO ₹[•] MILLION (THE "ISSUE") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 180,000,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), (THE "NET ISSUE") AND AN ADDITIONAL ISSUE OF UPTO 1,800,000 EQUITY SHARES CONSTITUTING 1% OF THE NET ISSUE WHICH SHALL BE RESERVED FOR ALLOCATION AND ALLOTMENT ON A PROPORTIONATE BASIS TO ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (THE "EMPLOYEE PRICE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

QIB Portion: Not less than 75% of the Net Issue
Retail Portion: Not more than 10% of the Net Issue
Non-Institutional Portion: Not more than 15% of the Net Issue
Employee Reservation Portion: 1% of the Net Issue

Price Band: ₹ 72 to ₹ 77 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 7.2 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 7.7 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 150 Equity Shares and in multiples of 150 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs").**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

**ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.*
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 344 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**, and together with BSE, the **"Stock Exchanges"**) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: BOB Capital Markets Limited - Nivedika Chavan (+91 22 6138 9300) (iti.fpo@bobcaps.in); Karvy Investor Services Limited – P. Balraj/ Bhavin Vakil (+91 40 2342 8774) (cmg@karvy.com); PNB Investment Services Limited – Abhishek Gaur/ Vinay Rane – (+91 22 2653 2745) (iti.fpo@pnbisl.com). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

Risks to Investors:

- **The three Book Running Lead Managers associated with the Issue have handled two public issues in the past three years out of which one closed below the issue price on listing date.**
- **The Issue Price at the upper end of the Price Band is at ₹ 77 per Equity Share.**
- **The Price/Earnings ratio based on diluted basic and EPS for fiscal 2019 is not measurable as there are no listed companies in India that are engaged in a similar portfolio as that of the Company.**
- **Weighted Average Return on Net Worth not calculated as networth of the Company is negative for last three financial years.**

BID / ISSUE PROGRAMME
BID/ISSUE OPENS ON JANUARY 24, 2020 | BID/ISSUE CLOSES ON JANUARY 28, 2020

CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS

In the section titled "Capital Structure – Notes to the Capital Structure" on page 81 of the RHP, the sentence *"An oversubscription to the extent of 10% of the Net Issue can be retained for the purposes of rounding off to the nearer multiple of minimum allotment lot."* stands modified to *"An oversubscription to the extent of 1% of the Net Issue can be retained for the purposes of rounding off to the nearer multiple of minimum allotment lot."*
Further, in the section titled *"Issue Structure – Non-Institutional Bidders – Maximum Bid"* on page 342 of the RHP, the sentence *"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares so that the Bid does not exceeds the size of the Issue, subject such limits as may be applicable to the Bidder."* stands modified to *"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares so that the Bid does not exceed the size of the Issue (excluding the QIB Portion), subject such limits as may be applicable to the Bidder."*
The RHP stands amended to the extent of the modifications stated above. The aforesaid changes shall be reflected in the Prospectus to be filed with the RoC.
Further, on page 9 of the Bid cum Application Form, in the *"Memorandum Containing Salient Features of the Red Herring Prospectus"* under the head *"Issue Structure - Non-Institutional Bidders – Maximum Bid"*, the sentence *"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares so that the Bid does not exceeds the size of the Issue, subject such limits as may be applicable to the Bidder."* stands modified to *"Such number of Equity Shares in multiples of [•] Equity Shares so that the Bid does not exceed the size of the Issue (excluding the QIB Portion), subject to such limits as may be applicable to the Bidder."*
The above notice is required to be read in conjunction with the RHP and the Bid-cum-application-form, as amended to the extent set out above.
Note: Capitalised terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the RHP.

For **ITI Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: January 23, 2020

ITI Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a further public offer of its equity shares (**"Equity Shares"**) and has filed a red herring prospectus (**"RHP"**) with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, Karnataka situated at Bengaluru. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, BOB Capital Markets Limited, Karvy Investor Services Limited and PNB Investment Services Limited at www.bobcaps.in, www.karvyinvestmentbanking.com and www.pnbisl.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 14 of the RHP.
This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated.

CONCEPT

नड्डा के स्वागत में पहुंचे व्यक्ति पर महिला पुलिसकर्मी से छेड़खानी का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 जनवरी।

महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में थाना बीटा टू पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो पाइंट से गुजरने के बाद हुआ। आरोप है कि जब महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर वहां वीडियो रिकार्डिंग कर रही थीं, तब मूलरूप से हापुड़ के रहने वाले आरोपी शोएब (23) ने गलत ढंग से छुआ और मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया।

थाना बीटा टू के एसएचओ सुजीत उपाध्याय के मुताबिक गुरुवार सुबह जेपी नड्डा सीएए के समर्थन में आगरा में होने वाली रैली के लिए गुजरने वाले थे। उनके स्वागत के लिए एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक कारों समेत अन्य वाहनों से पहुंचे थे। सुबह करीब 11:30 बजे उनका काफिला निकलने के बाद यह घटना हुई। भीड़ के बीच हुई घटना के होते ही महिला सब इंस्पेक्टर ने शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। वहां मौजूद पार्टी समर्थकों की पुलिस से कहासुनी भी हुई। समर्थकों ने पुलिस को सबक सिखाने की धमकी भी दी। महिला सब इंस्पेक्टर ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपी ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। तब आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। हालांकि भाजपा की ग्रेटर नोएडा इकाई के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह घटना भारी भीड़ के बीच गलतफहमी के चलते हुई है। पुलिस ने भाजपा नेताओं को आरोपी से मुलाकात तक नहीं करने दी। महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

निर्भया कांड के दोषियों से जेल प्रशासन ने पूछी इच्छाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

तिहाड़ जेल में बंद निर्भया कांड के दोषियों की फांसी के पहले तमाम औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि उनकी फांसी एक फरवरी को ही होगी। जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को नोटिस भेजकर उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश की है। उनसे पूछा गया है कि वे फांसी से पहले किससे मिलना चाहते हैं या क्या-क्या करना चाहते हैं। हालांकि उनको इजाजत उसी बात की दी जाएगी जो कानूनन संभव होगा।

जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को अलग अलग दिए लिखित नोटिस में उनसे पूछा है कि वे फांसी से पहले क्या किसी के नाम कोई वसीयत करना चाहते हैं। उनको कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है या किसी धर्मगुरु से मिलना है तो बता दें। उनको जेल में यह इच्छाएं पूरी करने का इंतजाम किया जाएगा। जेल प्रवक्ता राजकुमार ने बताया कि कैदियों से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई है। हालांकि उनकी वही इच्छाएं पूरी की जाएंगी जिसे पूरी करना संभव होगा। जबकि जानकारों के मुताबिक यह अंतिम इच्छा पूछना नहीं है बल्कि अनिवार्य औपचारिकताएं हैं, क्योंकि अंतिम इच्छा के तौर पर अगर उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया जिसे पूरी करना संभव नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राज कुमार ने यह भी कहा है कि कैदियों से यह भी पूछा गया है कि वे फांसी से पहले किसी परिजन से मिलना चाहते हैं तो वह भी बताएं हालांकि फांसी के दिन उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी।

खबरों में शहर

गांधी ने लाखों लोगों को आंदोलन से जोड़ा : मृदुला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

आत्मा राम सनातन धर्म (एआरएसडी) महाविद्यालय ने महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ ज्ञानतोष कुमार झा ने कहा कि आज के समय में गांधी के द्वारा जिया गया जीवन एवं उनके विचार हमारे लिए फिर से पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने कहा कि गांधी ने लाखों लोगों को आंदोलन से जोड़ा। देश और राजनीति से उदासीन जनता को राजनीतिक बनाया। उन्होंने कहा कि राज्य को किसी भी हालात में धर्मनिरपेक्ष रहना होगा क्योंकि लोकतंत्र प्राथमिक तौर पर एक दूसरे से बातचीत में विश्वास रखता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कहा कि गांधी जैसा सोचते थे वैसा ही करते थे। वो यही सोचते थे कि निष्ठा से सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। आज गांधी को जानने और पढ़ने का मतलब ही है, सत्य के अधीन रहना। उन्होंने गांधी के अनेक जीवन प्रसंगों को याद करते हुए विद्यार्थियों को गांधीवादी मूल्यों का महत्त्व समझाया और उस रास्ते पर चलते हुए भावी भारत के निर्माण की प्रेरणा लेने के लिए कहा।

उरमू के अध्यक्ष चुने गए सोमनाथ मलिक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

सोमनाथ मलिक उतरीय रेलवे मजदूर यूनियन (उरमू) के अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि बीसी शर्मा महासचिव चुने गए हैं। चुनाव के बाद सोमनाथ मलिक ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू कराना और रेलवे का नीजिकरण रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा-रेलवे में लाखों पद खाली हैं। रेल कर्मचारियों की संख्या 18 लाख से घटाकर 13 लाख कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन पदों पर भर्ती जरूरी है। उतरीय रेलवे मजदूर युनियन इस मुद्दे को उठाएगी।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म उत्सव, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : फिल्म, गुलमोहर सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

www.readwhere.com

क्यूआर कोड से सुरक्षित होंगे सीबीएसई के प्रवेशपत्र

सुशील राघव
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं देश भर में 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड ने इन परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड ने इस बार दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए जारी होने वाले प्रवेशपत्रों को क्यूआर कोड की सुरक्षा प्रदान की है। इससे प्रवेशपत्रों के गैर अधिकारिक उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि इस बार हम प्रवेशपत्रों पर क्यूआर कोड अंकित रहे हैं। इस कोड को मोबाइल से स्कैन कर विद्यार्थी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका उद्देश्य प्रवेशपत्रों के गैर अधिकारिक उपयोग को रोकना है। उन्होंने बताया कि यदि किसी परीक्षा कक्ष निरीक्षक को किसी परीक्षार्थी पर शक होता है तो वह तुरंत क्यूआर कोड को स्कैन कर विद्यार्थी की जानकारियों को तुरंत सत्यापन कर सकता है।

डॉ भारद्वाज ने बताया कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमने प्रवेश पत्र पर अभिभावकों के लिए भी दिशा-निर्देश लिखे हैं और विद्यार्थियों को उस पर अभिभावकों के अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कराने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों को पता होना चाहिए कि परीक्षा केंद्रों पर किस समय तक प्रवेश मिलेगा, उनके बच्चे के नाम, उनके नाम की प्रवेशपत्र पर वर्तनी क्या है, बच्चे की जन्मतिथि क्या है आदि। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की गलती होने पर विद्यार्थी या उनके अभिभावक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं ताकि गलती को सही किया जा सके और भविष्य में कभी कोई परेशानी न हो।

शहीदों के बच्चे बाद में दे सकते हैं परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक डॉ. भारद्वाज ने बताया कि विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए सेना या अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को बोर्ड की ओर से कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्चे अपना परीक्षा केंद्र बदलवा सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चे अपनी सुविधा के मुताबिक प्रयोगात्मक परीक्षा को दो अप्रैल से पहले कभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा को भी बाद में दे सकते हैं। डॉ भारद्वाज ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बाद में परीक्षाएं देने का मौका बोर्ड की ओर से दिया जाएगा।

अस्वीकृत डिग्रियां न दें विश्वविद्यालय : यूजीसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को चेताया है कि वे ऐसी अकादमिक डिग्रियां प्रदान न करें जिन्हें यूजीसी से मंजूरी नहीं मिली है।

आयोग के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को भेजे एक पत्र में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान ऐसी डिग्रियां दो रहे हैं जो यूजीसी से स्वीकृत नहीं हैं। इस कारण उन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें यह डिग्रियां प्रदान की जाती हैं।

प्रो. जैन ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम 1956 का पालन करना चाहिए और केवल वही डिग्रियां प्रदान करना चाहिए जिन्हें यूजीसी द्वारा स्वीकृति मिली हो। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे यूजीसी द्वारा डिग्रियों के स्वीकृत किए गए नामों की सूची से हट कर डिग्रियां प्रदान न करें।

पत्र में कहा गया कि यदि किसी विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा स्वीकृत डिग्रियों के अतिरिक्त कोई डिग्री प्रदान करनी है तो उसे वह डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी लेने के लिए आयोग को छह महीने पहले सूचित करना होगा। विश्वविद्यालय को उक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का कारण और संपूर्ण विवरण भी बताना होगा। पत्र में लिखा गया है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 (3) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही विश्वविद्यालय डिग्रियां प्रदान करें।

कर्नाटक में अधिसूचित हुआ अंधविश्वास निरोधक कानून

बंगलुरु, 23 जनवरी (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा में दो साल पहले पारित होने के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बहुचर्चित 'अंधविश्वास निरोधक कानून' को अधिसूचित कर दिया। इस कानून का मकसद 'अमानवीय कुप्रथाओं' को रोकना और उनका उन्मूलन करना है।

भाजपा जब विपक्ष में थी तो उसने विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार यह विधेयक लेकर आई थी और 16 नवंबर, 2017 को राज्य विधानसभा ने इसे पारित किया था।इस महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 'कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017' का उद्देश्य आम लोगों को 'बुरी एवं भयावह' प्रथाओं से बचाना है। यह कानून चार जनवरी 2020 से प्रभावी हो जाएगा।

विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धरमैया ने इस कानून को लागू करने के लिए भाजपा का धन्यवाद किया और कहा कि जब इन कुप्रथाओं को रोकने की मंशा से उनकी सरकार इस कानून को लागू करना चाहती थी तो तब भाजपा ने इसकी आलोचना की थी और उनकी सरकार की छवि धूमिल की। अब वह अपनी भूल को सुधारकर इसे लागू कर रही है।

चीन से आए 60 विमानों के यात्रियों की हुई जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि नए तरह के कोरोनावायरस के संक्रमण की आशंका के मद्देनजर 22 जनवरी तक 60 विमानों के कुल 12,828 यात्रियों की जांच की गई है। हालांकि किसी भी यात्री में इस विषाणु की पुष्टि नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन उभरते परिदृश्य और तैयारी की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को बेहद गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अलग-थलग रखने एवं उनका वेंटिलेटर प्रबंधन करने, कमियों की पहचान करने और निगरानी एवं प्रयोगशाला सहयोग के क्षेत्र में मूलभूत क्षमता को मजबूत करने के संदर्भ में अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोचिन में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर जांच की गई।

इस बीच सऊदी अरब में काम करने वाली केरल की एक नर्स में नए कोरोनावायस की पुष्टि की खबर के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह मामला खाड़ी देशों के सामने उठाने की अपील की और विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित करने की मांग की। केरल में स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा कि राज्य से नर्सों के इस विषाणु से संक्रमित होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली से लेकर कश्मीर तक खिली धूप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

दिल्ली व जम्मू-कश्मीर सहित समूचे पश्चिमोत्तर भारत में गुरुवार को धूप खिली। कोहरे से राहत रही लेकिन अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि गुलमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचाई वाली अधिकतर जगहों पर रात में ताजा बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा। पछुवा हवाएं चलीं जिससे धुंध से राहत मिली। दो तीन दिन बाद फिर बारिश के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग ने बताया कि धूप खिलने से ठंड के बावजूद मौसम खुशगवार बना रहा। उन्होंने कहा कि घाटी में धूप खिली लेकिन कई स्थानों पर तापमान जमावबिंदु से नीचे रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। शून्य से 12.2 डिग्री सेल्सियस नीचे न्यूनतम तापमान के साथ पहलगाम कश्मीर घाटी में सबसे अधिक सर्द स्थान रहा। कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से दो डिग्री कम और उत्तर के कूपवाड़ा में शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान शून्य से 18 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के भीतर घाटी में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। हरियाणा व पंजाब में भी धूप खिली जिससे दिन का तापमान में इजाफा पर रात के तापमान कम ही रहा। चंडीगढ़ में अधिकतम व न्यूनतम तापमान 21 व 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हरित अधिकरण ने मालेगांव पर तलब की स्थिति रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मालेगांव पर स्थिति रिपोर्ट तलब करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रशासन प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा है। मालेगांव की असंतोषजनक स्थिति पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुआई वाले पीठ ने मालेगांव नगर निगम के आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और एमएसईडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से 24 फरवरी को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा- हालांकि, इस मामले में कार्रवाई की गई। पर इन्हें बंद करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया और प्रदूषणकारी गतिविधियां अब भी जारी हैं।

हरित पैनल का यह फैसला एक समिति की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि वहां इकाइयां बंद करने की कार्रवाई हुई है लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं और प्रदूषणकारी गतिविधियां अब भी जारी हैं।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना ई निविदा सूचना सं0 ETC/MU/T-241/2019-20 मे किसी भी निविदादाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के फलस्वरूप निविदा को दिनांक 31.01.2020 तक पुनः विस्तारित किया जाता है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। **"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/ No. 133 / वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 23.01.2020**

PADAM COTTON YARNS LTD
(CIN No.: L17112HR1997PLC033641)
REGD OFFICE: 196, 1ST FLOOR, OPP. RED CROSS BHAWAN, GT ROAD, KARNAL-132001 (HARYANA)
www.padamcotton.com email: rajevoswal@yahoo.com Tel: 0184-6616601-9
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday, 7th February, 2020, to inter-alia, consider and approve the Company's un-audited financial results of the Company for the quarter & nine months period ended on December 31, 2019.
The information is also available on the Company's website i.e. **www.padamcotton.com** and also on the website of the stock exchange, where securities of the company are listed, viz. BSE Ltd. **www.bseindia.com**. (Scrip code: 531395).
By order of the Board
For **Padam Cotton Yarns Limited**
Sd/-
(Rajev Gupta)
Managing Director
Place: Karnal
Dated: January 23, 2020

KAMDHENU LIMITED
CIN: L27101RJ1994PLC067034
Regd. Off.: A-1112 & A-1114, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan-301019
Corp. Off.: 2nd Floor, Tower A, Building No 9, DLF Cyber City, Phase-3, Gurgaon-02
Ph.: +91-124-4604500 (30 Lines) Fax: +91-124-4218524
Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com, www.kamdhenulimited.com
NOTICE
In pursuance of Clause 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 03:00 PM on Friday, the 31st day of January, 2020 at the Corporate office of the Company, inter alia, to consider and approve:
1. The un-audited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2019
2. The Scheme of arrangement of Kamdhenu Limited.
Further pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report, Trading by Insiders", the trading window for the dealing in securities of the Company shall remain closed upto 2nd February, 2020, including that day.
For KAMDHENU LIMITED
Sd/-
Jogeswar Mohanty
(Company Secretary)
Date: 23-01-2020
Place: Gurgaon
KAMDHENU STEEL | KAMDHENU SS 10000 | KAMDHENU Nxt | KAMDHENU PAINTS | Dreamz Colour

Dr Lal PathLabs
Dr. Lal PathLabs Limited
Corporate Identification Number: L74899DL1995PLC065388
Registered Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi -110085
Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Gurgaon -122001, Haryana.
Tel.: +91 - 124 - 3016500; **Fax:** +91 - 124 - 4234468
Website: www.lalpathlabs.com; **Email:** cs@lalpathlabs.com
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, February 3, 2020 to inter-alia, consider and approve the un-audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2019.
This intimation is also available on the Company's website at **www.lalpathlabs.com** and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com.**
For **Dr. Lal PathLabs Limited**
Sd/-
Rajat Kalra
Company Secretary and Legal Head
Date: January 21, 2020
Place: Gurugram

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तिया जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 24.02.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।
शाखा का नाम एवं पता : गाजियाबाद रामप्रस्था शाखा, फोनः 0120-2643915, 2641568

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदार : 1. संजीव सिन्हा पुत्र मनोरंजन कुमार सिन्हा, पत्राकर विहार, 214, पत्राकर कामगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड, न्याय खण्ड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, गारंटर: संजीव रंजन सिन्हा पुत्र मनोहर रंजन कुमार सिन्हा, सी-2/501, कैपिटल अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली, और पत्राकर विहार, 214, पत्राकर कामगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड, न्याय खंड-I, इंदिरापुरम गाजियाबाद	बकाया राशि ₹ 7,47,446.87 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 01 एचआईजी फ्लैट नं. 734, पत्राकर विहार, न्याय खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 24.02.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 53,13,000/- जमा धरोहर राशि रु. 5,31,300/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sanjiv_sinha_.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदारः श्री अनिल कुमार, ई24/2, ई ब्लॉक, ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली और: डीडीए एलआईजी फ्लैट नं. 252, सैक्टर ए10, पॉकेट 2, जीआरपी 2, नरेला, नई दिल्ली, गारंटर श्रीमती मनु देवी, ई24/2, ई ब्लॉक, ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली और: डीडीए एलआईजी फ्लैट नं. 252, सैक्टर ए10, पॉकेट 2, जीआरपी 2, नरेला, नई दिल्ली	बकाया राशि ₹ 8,42,252.24 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 02 डीडीए एलआईजी फ्लैट नं. 252 तृतीय तल, सैक्टर-ए10, पॉकेट 2, जीआरपी2, नरेला नई दिल्ली में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 24.02.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. 13,45,000/- जमा धरोहर राशि रु. 1,34,500/-
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sri_anil_kumar.pdf
दिनांक: 24.01.2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)
परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोरावजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
10.02.2020 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पढ़ा गया।
जैसा कि, आम जनता तथा उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल सम्पत्ति को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के पास बंधक किया गया था जिस पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया गया है, जिसे **"जैसा है जहाँ है", "जो है" तथा "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री **दिनांक 10.02.2020** को वेबसाईट: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ पर उपलब्ध कराए गए ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।
अचल संपत्तियों का विवरण
रू. लाखों में

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रोपेस्ट ऑफिसर का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्ती का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (रू.)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि
1.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स विश्वास ट्रैक्टर्स लिमिटेड	**विश्वास ट्रैक्टर्स लि.** के नाम पर **फैक्टरी/औद्योगिक शेड:** सम्पत्ति औद्योगिक शेड एवं 2 मंजिला, आरसीसी ब्लॉक सम्पत्ति असर खेवट/खाता नं.884-885/867, रेकटेंगल नं.113, किला नं.19 एवं 22/1, गाँव - दीघोट, तहसील-होडल, जिला-पलवल, हरियाणा में स्थित। कुल लैंडेड क्षेत्र 13के-8 मरला (1.625 एकड़)	28.12.2016 रू. 6,52,85,521.00 + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	21.11.2018 भौतिक कब्जा	₹ 140.00 लाख	₹ 14.00 लाख	₹ 2.00 लाख
2.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स एस.के. स्टील एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर	श्री सुदर्शन आर्य पुत्र श्री बी डी आर्य (मालिक) के नाम पर प्लॉट नं.13 पर बेसमेंट, सैनी एन्क्लेव, शाहदरा, दिल्ली-110092, परिमाप 355.33 वर्ग यार्ड अर्थात् 297.09 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 222.81 वर्ग मीटर।	रू. 6,12,19,331/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.09.2019 भौतिक कब्जा	₹ 143.00 लाख	₹ 14.30 लाख	₹ 2.00 लाख
3.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	मैसर्स एस.के. स्टील एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर	श्री सुदर्शन आर्य पुत्र श्री बी डी आर्य (मालिक) के नाम पर प्लॉट नं.13 पर भूतल, सैनी एन्क्लेव, शाहदरा, दिल्ली-110092, परिमाप 355.33 वर्ग यार्ड अर्थात् 297.09 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया 222.81 वर्ग मीटर। पार्ट एरिया 1350.70 वर्ग फीट भूतल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किरायेदार के रूप में कब्जा, मासिक किराया रू.1,31,288/- (किराया) + रू.14,588/- (टैक्स) किरायेदारी के अधिकार के साथ ई-नीलामी।	रू. 6,12,19,331/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.09.2019 भौतिक कब्जा	₹ 343.00 लाख	₹ 34.30 लाख	₹ 3.00 लाख
4.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	**मैसर्स विनायगा इम्पेक्स प्रा.लि.**	श्रीमती सीमा अरोड़ा पत्नी ब्रिज मोहन अरोड़ा के नाम पर गांव गोबिनगढ़, वाक्या बुलारा कॉलोनी, तहसील एवं जिला लुधियाना में प्लॉट न. 20 का भूतल जिसमें वर्किंग हॉल शामिल है, प्रथम तल जिसमें वर्किंग हॉल शामिल है, परिमाप 350 वर्ग यार्ड	रू. 17,51,36,479/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.12.2017 भौतिक कब्जा	₹ 32.00 लाख	₹ 3.20 लाख	₹ 0.50 लाख
5.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	**मैसर्स विनायगा इम्पेक्स प्रा.लि.**	**मैसर्स विनायगा इम्पैक्स प्रा. लि.** के नाम पर गांव मुडियान खुर्द, खसरा नं. 19/13/2-14-15/1, तहसील एवं जिला- लुधियाना परिमाप 783.33 वर्ग यार्ड ।	रू. 17,51,36,479/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	08.12.2017 भौतिक कब्जा	₹ 25.00 लाख	₹ 2.50 लाख	₹ 0.25 लाख
6.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	**मैसर्स विनायगा इम्पेक्स प्रा.लि.**	**मैसर्स विनायगा इम्पैक्स प्रा. लि.** के नाम पर प्लॉट न. के-145, फेज-8, फोकल प्वाइंट, जिला-लुधियाना, परिमाप 250 वर्ग यार्ड।	रू. 17,51,36,479/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	08.12.2017 भौतिक कब्जा	₹ 40.00 लाख	₹ 4.00 लाख	₹ 0.50 लाख
7.	एआरबी करोल बाग, नई दिल्ली	श्री डी.सी. लोहानी सी. नं. 9315433030	**मैसर्स विनायगा इम्पेक्स प्रा.लि.**	**श्री प्रदीप नंदा पुत्र स्वर्गीय दीवन नंदा** के नाम पर प्लॉट नं. 10, जौत इंडस्ट्रियल एस्टेट, नजदीक बुलारा कॉलोनी, फेज-7 के नजदीक, गांव-गोबिन्दगढ़, तहसील एवं जिला-लुधियाना।	रू. 17,51,36,479/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	08.12.2017 भौतिक कब्जा	₹ 14.25 लाख	₹ 1.43 लाख	₹ 0.10 लाख
8.	ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली	श्री सत्येन्द्र पाण्डेय सी. नं.: 7808898844	**कुमार राजेश एवं प्रियंका अहुजा**	**कुमार राजेश एव प्रियंका अहुजा** के नाम पर प्लॉट नं.02, चौथा तल, नं. ए-403, पार्श्वनाथ प्रेस्टिज, प्लॉट नं. 02, सेक्टर-93ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उ0प्र0) में स्थित 3 बेडरूम आवासीय फ्लैट के सभी भाग एवं हिस्से, परिमाप कवर्ड एरिया 1550 वर्ग फीट अर्थात् 144.01 वर्ग मीटर	रू. 77,35,185/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	05.10.2019 भौतिक कब्जा	₹ 80.00 लाख	₹ 8.00 लाख	₹ 1.00 लाख
9.	सविता विहार दिल्ली	श्री शशि प्रकाश सी. नं.: 9711167140	**मैसर्स भास्कर एण्टरप्राईजेज**	**श्रीमती दर्शना रानी पत्नी स्वर्गीय श्री चरण दास** के नाम पर गाँव घोण्डा गुजरन खादर, गली नं.16, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित आवासीय प्लॉट नं.सी-363/बी-1, आखिरी तल तक निर्माण अधिकार के साथ, खसरा नं.358 का भाग, परिमाप प्लॉट एरिया 75.24 वर्ग मीटर।	रू. 1,02,65,354/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	06.03.2019 भौतिक कब्जा	₹ 79.00 लाख	₹ 7.90 लाख	₹ 1.00 लाख

नियम एवं शर्तें:-
1. ई-नीलामी **"जैसा है जहाँ है", "जो है" तथा "जो कुछ भी है"** पर की जा रही है।
2. प्रतिभूति परिसम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जाएगी।
3. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
4. ई-नीलामी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ के माध्यम से **10 फरवरी, 2020 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे** तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित, आयोजित की जाएगी।
5. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ के माध्यम से (यूजर आईडी एवं पासवर्ड (https://www.ibapi.in) पर नाम का पंजीयन कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए धरोहर राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ अपनी बोली जमा करा सकते हैं।
6. धरोहर राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाते : **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, सोरावजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, **खाता सं.3062155258** (आईएफएससी कोड: CBIN0280318) में **07.02.2020 को अप. 05:00 बजे** से पूर्व (तिथि एवं समय) जमा करानी होगी। कृपया नोट करें कि चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. तकनीकी सहायता के लिए कृपया **एमएसटीसी हेल्पडेस्क पर कॉल करें: 033-22901004, ऑपरेशन / पंजीकरण की स्थिति:** ibapiop@mstcecommerce.com **वित्त/ ईएमडी स्थिति:** ibapifin@mstcecommerce.com URL है: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ **हेल्पलाईन ई-मेल आईडी:** argha@mstcindia.co.in, rranjan@mstcindia.co.in और सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखाओं/प्राधिकृत अधिकारी के नाम के आगे वर्णित टेलीफोन नम्बरों पर या **श्री डी.सी. लोहानी, मोबाइल: 9315433030** से सम्पर्क करें। नियमों एवं शर्तों के विवरणों के लिए कृपया देखें :- https://www.ibapi.in या www.centralbankofindia.co.in

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना
एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।
दिनांक: 24.01.2020 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: पलवल / दिल्ली **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, करोल बाग, नई दिल्ली**

जनसत्ता

24 जनवरी, 2020

हिंसा की आंच

झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक माओवाद प्रभावित इलाके में जैसी घटना सामने आई है, वह राज्य में हाल ही में सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक पहली, लेकिन बड़ी चुनौती है। राज्य के गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव में पहले नौ लोगों का अपहरण कर लिया गया और बाद में सात लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप राज्य में सुर्खियों में रहे पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थकों पर है, जिन्होंने इस मसले का विरोध जताने पर कुछ लोगों को यह 'सजा' दी। सवाल है कि देश में कानून के शासन के तहत चलने वाले किसी भी इलाके में किसी व्यक्ति या समूह को यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि वह पारंपरिक या विशेष नियम-कायदों के तहत ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दे! हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना में पत्थलगड़ी के बहाने आपसी दुश्मनी निकाली गई है; पत्थलगड़ी के समर्थकों और विरोधियों के बीच कुछ दस्तावेज जमा करने और सरकारी योजनाओं को खारिज करने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था।

अगर पुलिस की ही बात सही मानें, तो क्या इस मामले में खुद पुलिस महकमा और प्रशासन कठघरे में खड़ा नहीं होता कि बीते कई दिनों से चल रहा विवाद अपने अंजाम में इतना त्रासद नतीजे लेकर आया और समूचा तंत्र बेखबर रहा? राज्य का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? खबरों के मुताबिक रविवार को पत्थलगड़ी समर्थकों ने गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की थी। इसी बीच वहां मौजूद दो गुटों में विवाद हो गया, जो बाद में जानलेवा झड़प में बदल गया था। इसके बाद नौ लोगों का अपहरण कर लिया गया और बाद में सात लोगों की हत्या कर दी गई। जाहिर है, यह सरेआम हुई घटना है, जिसके बारे में राज्य की पुलिस और खासतौर पर खुफिया तंत्र को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर समय रहते जरूरी कदम उठाए गए होते तो शायद इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। अपराध को अंजाम देने वाले हर जगह अपने लिए माकूल मौके का इंतजार करते हैं या इसका फायदा उठा कर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि एक आम रिवायत की तरह पुलिस और प्रशासन की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ी वारदात सामने आती है। क्या कभी इस तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाती है?

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पत्थलगड़ी समर्थकों पर पिछली सरकार के कार्यकाल में देशद्रोह जैसी गंभीर धारा के तहत दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया था। यह नई सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहलकदमी है। लेकिन अगर पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोग या समूह राज्य और देश के कानून के दायरे का खयाल नहीं करेंगे, तो ऐसी पहल का क्या हासिल होगा? सही है कि पत्थलगड़ी आदिवासी समुदाय के बीच लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा है और इसका एक खास महत्त्व है। स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या किसी खास परंपरा को ढाल बना कर देश के कानूनों से ऊपर उठ कर कोई गतिविधि संचालित की जा सकती है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कानून सबसे ऊपर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें इसलिए भी यह हर हाल में सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पिछली सरकार के कामकाज से निराश लोगों ने ही उन्हें सत्ता सौंपी है।

नरमी के निशान

बढ़ती महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था की सूरत में मकानों की खरीद पर भी बुरा असर स्वाभाविक है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मकानों की खरीद में नौ से दस फीसद तक गिरावट दर्ज हुई। हालांकि नोएडा, गुरुग्राम और कोलकाता में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई, पर देश के तमाम महानगरों में स्थिति चिंताजनक ही दर्ज हुई। इसके लिए कुछ तो रियल एस्टेट यानी मकान-दुकान की खरीद-बिक्री, भवन निर्माण के क्षेत्र में उठाए गए सख्त कदम भी जिम्मेदार हैं। बेनामी संपत्ति की खरीद पर रोक लगाने के मकसद से सरकार ने मकानों-दुकानों की खरीद पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। इसके चलते भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी सुस्ती आ गई थी। पिछले साल ही आंकड़े आए कि विभिन्न शहरों में हजारों तैयार मकानों के खरीदादर नहीं मिल रहे। जो लोग निवेश के मकसद से मकान खरीदते थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ती मार के मद्देनजर जब तैयार भवनों की बिक्री को सरकार ने प्रोत्साहन देना शुरू किया, तब भी कोई सकारात्मक नतीजा नजर नहीं आया। भवन निर्माण और इसकी खरीद-बिक्री में कमी आना कई दृष्टियों से चिंताजनक संकेत है।

भवन निर्माण के क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। दैनिक मजदूर से लेकर कुशल कारीगर और इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र से आए लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होता है। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री के कारोबार पर भी इसका असर पड़ता है। जाहिर है, इस क्षेत्र में सुस्ती आने से लाखों लोगों पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं कि इस बीच लोगों को मकानों की जरूरत कम हुई है, बल्कि हकीकत यह है कि लोगों की क्रय शक्ति बहुत तेजी से घटी है। महंगाई बढ़ने और रोजगार के अवसर घटने से बहुत सारे लोगों के लिए अपने दैनिक खर्चे पूरा करना कठिन हो गया है, ऐसे में बड़े खर्चों की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाना छोड़ दिया। वाहन उद्योग पर पड़ी मार भी इसी का नतीजा है। यह स्थिति अचानक प्रकट नहीं हुई है। कुछ सरकारी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। छिपी बात नहीं है कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे कारोबारियों की कमर टूट गई। इस तरह उनसे जुड़े बहुत सारे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। फिर जो लोग सुरक्षित नौकरी-पेशों में हैं, उन पर महंगाई की मार पड़ी और उन्होंने निवेश का जोखिम उठाना बंद कर दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में सख्ती चल ही रही थी, तो इन सारी स्थितियों के चलते मकानों की खरीद प्रभावित हुई।

भवनों की खरीद-बिक्री के कारोबार में तेजी और मंदी का सीधा असर बैंकों के कारोबार पर पड़ता है। भवन खरीद के क्षेत्र में दिया जाने वाला कर्ज सबसे सुरक्षित माना जाता है। फिर इसमें लंबी अवधि के कर्ज का लेन-देन होता है, जिससे लंबी अवधि तक बैंकों का कारोबार बना रहता है। तमाम रोजगार योजनाओं के तहत और बड़े उद्योगों को दिए कर्ज की वापसी न हो पाने के कारण भारतीय बैंकों की हालत पहले ही खस्ता हाल है, ऊपर से भवनों की बिक्री कम होने से उनकी कर्ज से होने वाली आय भी प्रभावित हुई है। रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र अवरुद्ध हो जाने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का इरादा भी कुंद हुआ है। ऐसे में अगले कुछ सालों तक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर चलेंगे, तभी कुछ बेहतरी के संकेत मिलने शुरू होंगे।

कल्पमेधा

समाज की खुशहाली सुरक्षित रखने का एक ही उपाय है, वह यह कि लोगों को अपने मन-मस्तिष्क का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने दिया जाए।

-हेरॉल्ड लॉस्की

बचाना होगा पहाड़ों को

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग अब भी रह रहे हैं, उनका एक बड़ा तबका सबसे ज्यादा गरीबी की मार झेलने वाला है। ये लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा में जीने को मजबूर हैं। वन्य जीव और मानव के बीच टकराव से ग्रामवासियों के पशुपालन, खेती को गंभीर खतरा खड़ा हो गया है और जंगली जानवर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं भी पीछा नहीं छोड़तीं।

अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाने की शुरुआत 11 दिसंबर, 2002 को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से की गई थी। साल समाप्त होते-होते 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से यह भी प्रस्ताव पारित हो गया था कि 11 दिसंबर से हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद अगले साल यानी 2003 में पहला अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था। इससे पहले पूरे विश्व में पर्वतों और पर्वतवासियों के प्रति चेतना जगाने के लिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास के रियो सम्मेलन में पहली बार यह महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना की गई थी कि भविष्य में पर्वतों का विकास सतत विकास की नीति-रीति के अंतर्गत हो। पर्वतों की सहज भंगुर संवेदनशील पारिस्थिकीय प्रणालियों और पर्वतीय परिवेश के निवासियों की सामाजिक जीवनयापन की स्थितियों को केंद्र में रख कर ऐसा टिकाऊ विकास कैसे किया जाए, इसका विवरण सतत विकास के एजेंडा-21 के तेरहवें अध्याय में वर्णित है, जो आज भी प्रासंगिक है।

हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर जल और खाद्य आपूर्ति में पर्वतों की भूमिका की स्वाभाविक चर्चा के साथ-साथ यह भी रेखांकित किया जाता है कि विश्व की बारह फीसद आबादी को पर्वतों से सीधा जीवन समर्थक आधार मिलता है, पर्वतीय सामग्रियों, संसाधनों और सेवाओं से दुनिया की लगभग आधी आबादी लाभान्वित होती है और पर्वत समूह विश्व की जल मीनारें होने के साथ-साथ वायु चक्रों, जल व मृदा चक्रों को भी प्रभावित करते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन का जो असर पहाड़ों में आएगा, उससे पर्वतों में बसने वाले एक अरब से ज्यादा लोग तो प्रभावित होंगे ही, दुनिया की आधी जनसंख्या भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी। उल्लेखनीय यह भी है कि विश्व को जलवायु बदलाव और उसके प्रभावों के शुरुआती संकेत विश्व के पर्वतों से ही मिले हैं।

पिछले साल 31 अक्तूबर को उच्च पर्वतीय शिखर सम्मेलन के अंत में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी बयान था कि जलवायु परिवर्तन और विकास के कारण उच्च पर्वतीय इलाकों पर गहराते संकटों को टालने के लिए तुरंत ही वैश्विक कार्यवाही की आवश्यकता है। यहां संकटों का मुख्य संदर्भ पहाड़ों में पिघलती बर्फ और अन्य जल संबंधी खतरों से है। सभी अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवसों पर सार रूप में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों से यही आवाज उठती रही है कि पहाड़ हमारे लिए जरूरी हैं और उन पर तुरंत आवश्यक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अगर पर्वत जरूरी हैं तो उन्हें बचाए रखने के लिए उनकी देखरेख और संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में पर्वतीय क्षेत्रों में करीब एक अरब लोग रहते हैं। जैव विविधता के सर्वाधिक संकटग्रस्त आधे क्षेत्र पहाड़ों में ही हैं। पहाड़ों का टूटना, दरकना, जलस्रोतों का सूखना, हिमनदों का पिघलना ऐसी मानवजनित गलत विकास नीतियों के साथ-साथ अतिरेकी मौसमी घटनाओं के परिणाम हैं।

अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवसों पर हर साल एक मुद्दा विशेष होता है। साल 2017 का विषय पर्वतीय यथार्थों को व्यक्त करता हुआ थाः दबाव में पर्वत जलवायु, भुखमरी और पलायन। इसके बाद 2018 का सूत्र विचार पहाड़ों की अपरिहार्यता पर केंद्रित था। अर्थात पहाड़ों का होना महत्त्व रखता है। इस विषय के माध्यम से युवाओं को आपदा जोखिम कम करने, जैव विविधता, जल उपलब्धता, खाद्यान्न और जनजातीय लोगों के लिए पर्वतों का महत्त्व बताना था। पिछले साल यानी 2019 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय सूत्र- 'युवाओं के लिए पर्वत का महत्त्व' रखा गया। निस्संदेह युवा अपने लिए पर्वतों के महत्त्व को जान कर उन पर्वतीय संसाधनों के संरक्षक की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी संवेदनशील बन सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में हैं। परंतु परिवारों के पलायन के साथ युवाओं का पहाड़ों में टिका रहना भी आसान नहीं रह गया है।

अब दुर्गम पहाड़ियों में पीढ़ियों से रहते आ रहे वहां के निवासी भी स्थायी वास से कतराने लगे हैं। जैव विविधता के सर्वाधिक संकटग्रस्त आधे क्षेत्र पहाड़ों में ही हैं। युवा पलायन के कारण स्थानीय ज्ञान धरोहरों में अब अनुभवों और संवेदनाओं से नया जुड़ाव मुश्किल होता चला जाएगा। किंतु जानकारी, ज्ञान में वृद्धि पीढ़ियों के आवास, अधिवास और लगाव से होती है। स्थानीय लोगों को जैव विविधता का ज्ञान, मार्गों का ज्ञान, आपदाओं का ज्ञान, उनसे बचने या उनको झेल कर उबरने का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, स्थानीय खेती, पशुपालन, आवास निर्माण, औषधियों

का ज्ञान जो पीढ़ियों से समृद्ध होता आ रहा है, जैसे अनुभव होते हैं जो उन्हें पहाड़ के कठिन जीवन से संघर्ष करना सिखाते हैं। इसी के बूते दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से लगभग अलग-थलग पड़ जाने के बाद भी आपदाओं से निपटने और उनसे उबरने की ताकत रखते हैं।

वर्तमान पर्वतीय यथार्थ युवाओं के लिए कितना विडंबना भरा है, इसका आभास पहाड़ों पर शोध करने वाली संस्था- आइसीमोड के तत्कालीन महानिदेशक के 2018 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर दिए गए इस संदेश से मिल जाता है कि 'पर्वत पानी के लिए जरूरी हैं, किंतु ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं और सोते-जलस्रोत सूख रहे हैं। पहाड़ पर्यटन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, पर अधिकांश समुदाय उनसे लाभान्वित नहीं होते हैं। वे आपदाओं के जोखिम कम करने में प्रासंगिक हैं, पर स्वयं अनुपात से कहीं ज्यादा जोखिमों का सामना करते हैं। वे भोजन, खाद्यान्न के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, पर उनमें भूमंडल के कुछ सबसे ज्यादा भूखे लोगों का रहना होता है। वे जनजातीय लोगों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं, किंतु उनमें से अधिकांश को वहां हाशिये में डाल दिया गया है। वे जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वहां उनकी कई जातियां, प्रजातियां और उनके अधिवास जोखिम में हैं। वे युवाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, किन्तु कई नौजवान अपने पर्वतीय गांवों को छोड़ कर शहरों की भाग रहे हैं।'

पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग अब भी रह रहे हैं, उनका एक बड़ा तबका सबसे ज्यादा गरीबी की मार झेलने वाला है। ये लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा में जीने को मजबूर हैं। वन्य जीव और मानव के बीच के टकराव से ग्रामवासियों के पशुपालन, खेती को गंभीर खतरा खड़ा हो गया है और जंगली जानवर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं भी पीछा नहीं छोड़तीं। गर्मी, बारिश और ठंड में बर्फबारी से भूस्खलन और हिमखंडों का गिरना हमेशा का संकट बन गया है। ऐसे में स्वयं पर्वत भी क्षरित व संकट ग्रस्त हो रहे हैं।

जमीनी यथार्थ यह है कि पर्वतों में भौगोलिक कठिनाइयों के बीच भी पीढ़ियों से पहाड़ों में रहने वाले परिवार भी अब गहराते पर्यावरणीय कुप्रभावों और जलवायु परिवर्तन की आघातजनित समस्याओं से बचने के आसान तरीके खोजने में लगे हैं। इसके लिए सबसे आसान विकल्प अपने-अपने गांव छोड़ कर दूसरे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन है। ऐसे में 2019 में सबसे ज्यादा ध्यान पर्वतों में युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं पर दिया जाना चाहिए, ताकि लोग पलायन को मजबूर न हों। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत है। पर्यटन का विकास हो, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर नहीं, इसका खासतौर से खयाल रखना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रोजगार पैदा करने की जरूरत है जो कृषि से इतर हों और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। इसके लिए युवाओं सहित हर वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग पलायन के बारे में सोचने को मजबूर न हों। लोगों में इस चेतना का विकास करना होगा कि पहाड़ों को बचाना जरूरी है, पहाड़ बचेंगे, तभी प्रकृति भी बच पाएगी और दुनिया आज जिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है, उन्हें रोकने में मदद मिल सकेगी।

लालच की क्रूरता

सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

दुनिया मेरे आगे

मां शिशु को जन्म देती है। इसके बाद धरती उस शिशु को शेष जीवन के लिए अपनी गोद में जगह देती है। उसके फलने-फूलने के हरसंभव प्रयास करती है। लेकिन वही शिशु बड़ा होकर मूर्खता और आत्म-घृणित नुकीलेपन की कुल्हाड़ी से पर्यावरण को चोट पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर चली यह कुल्हाड़ी परोक्ष रूप से मानवजाति के विनाश का कारण बनती है। धरती पर असंख्य जीवों में मनुष्य एक है। लेकिन उसे अपने सिवाय दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। अपनी बुद्धि से वह सभी प्राणियों पर हावी होने का प्रयास करता रहता है। कई बार सफल भी होता है। बुद्धि दोधारी तलवार की तरह है। सदुपयोग हो तो विश्वकल्याण, नहीं तो विश्वविनाश। विश्वकल्याण की परिकल्पना में सभी जीवों का हित निहित होता है।

आज विकास और औद्योगीकरण के नाम पर धरती खोखली होती जा रही है। प्रदूषित जल, जानलेवा गैसों, कल-कारखानों और वाहनों की तीव्र ध्वनि और वनस्पति विहीन क्रंक्रीट और प्लास्टिक जंगल धरती के रक्षा कवच पर्यावरण को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। मनुष्य अपने हाथों अपना गला दबा रहा है। आए दिन खनिज खनन के लालच में भूस्खलन जैसी घटनाओं को दावत दे रहा है। अमेजन तथा आस्ट्रेलिया के जंगल, जो समस्त प्राणी जगत को ऑक्सीजन का लगभग पांचवां हिस्सा प्रदान करते हैं, हाल के दिनों में धू-धू कर जल रहे थे। जब-जब प्रकृति असंतुलित होती है तब-तब मनुष्य को भूकम्प, अकाल, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी के प्रकोप का निवाला बनना पड़ता है। आज स्थिति इतनी दयनीय है कि धीरे-धीरे हिमनद पिघलते जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। दुर्लभ जीव-जंतु, वनस्पति लुप्त हो रहे हैं। हर पांच में से दो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। क्या हम भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं?

क्या सृष्टि में मनुष्य से परे कोई और स्वार्थी प्राणी हो सकता है? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति पर चोट करने से नहीं हिचकता। एक पेड़ के कटने से कितने जीव निराश्रित होते हैं, शब्दों में बयान कर पाना कठिन है। बहुमंजिला अट्टालिकाओं के बीच चमकने वाला सूरज, बारिश की बूंदों की फुहार, चहचहाने वाली गौरैया, रंग-बिरंगी तितलियों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं कि वे इन सबके बारे में सोचें। वह तो चौबीसों घंटों मोबाइल के मोहजाल में फंसा रहता है। पहले लोग अपने घरों में कनेर, नींबू, अमरूद, अनार, मेहंदी, चांदनी आदि पेड़-पौधे लगाते थे। इसी बहाने पक्षियों का चहचहाना सुनने को मिल जाता था। अब शहरों और गांवों में बड़ी तादाद में लगे मोबाइल फोन के टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें गौरैया और कुछ अन्य पक्षियों की प्रजनन और गतिकी क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मनुष्य असंख्य जीवों का हत्यारा बन जाता है। इन हत्याओं के लिए कोई सुनिश्चित दंड विधान नहीं है और न ही कोई जिम्मेदारी।

हाल के दिनों में मानव निर्मित पर्यावरण के चलते छोटे जीवों का अस्तित्व खतरे में आ पड़ा है। कीटनाशकों, सेलफोन टावरों और जल प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मधुमक्खियां, पक्षी और समुद्री जीव मारे जा रहे हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया में मानव अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है। इस विनाशकारी प्रवृत्ति का कारण मानवीय त्रुटि है। दुनिया प्लास्टिक दानव का शिकार हो रही है। वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग कम किया जाता है। अगर किया भी जाता है तो उसे तुरंत जला दिया जाता है। दुनिया के सभी देशों को प्लास्टिक के उपयोग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

प्रकृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। रीसाइक्लिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की रीसाइक्लिंग करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सिंचाई के लिए दैनिक उपयोग के गंदे पानी का नियमित उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चिमनी को ज्यादा ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें धूम्रमुक्त बनाया जा सके। उच्च तापमान पर जहरीले रासायनिक कचरे को जलाया जाना चाहिए। सामान, सब्जियों आदि के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े, कागज और लिनन बैगों का उपयोग करने से पर्यावरण में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यहां तक कि बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें अपने साथ पौधे लगाना और दोस्तों के जन्मदिन पर पौधे देना सिखाया जाना चाहिए। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन प्रकृति ने हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था- 'धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। किसी के लालच की नहीं।' अगर मनुष्य आवश्यकता छोड़ लालच के पीछे दौड़ेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी गिनती लुप्तप्राय प्राणियों में होने लगेगी। लालच बेहद क्रूर है।

रोजगार का सपना

जब राजग सरकार दूसरी बार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई तो उसके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। लेकिन लगता है, वक्त बीतने के साथ सरकार बेरोजगारों के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। विपक्ष भी कभी बेरोजगारी पर सरकार को घेर नहीं पाया। सरकार आज जो रिक्तियां निकाल रही है, उनमें लाखों में आवेदन पहुंच रहे हैं। रेलवे को चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी करोड़ों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पांच हजार क्लर्क की भर्ती के लिए पंद्रह लाख युवाओं ने परीक्षा दी। भर्ती और आवेदनों की संख्या को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर को तो हाथ मलते हुए अगली बार नौकरी के इंतजार में बैठना होगा।

यदि हम निजी क्षेत्र की नौकरियों की बात करें तो फिलहाल उसमें भी हालात खराब हैं। वाहनों की बिक्री कम हुई है, कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। कारीगरों को बिक्री घटने का आश्वासन देकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे समय में जब सरकार को युवाओं के साथ खड़े होना चाहिए, नए रोजगार पैदा करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए तब सरकार टैक्स बढ़ाने में जुटी है। पेट्रोल के दाम बढ़ा कर युवाओं को बाइक से उतारने में लगी है। यहां तक कि परीक्षाओं की फीस बढ़ाने से भी हिचक नहीं रही है। चपरासी और लिपिक जैसी परीक्षा के आवेदन के लिए पांच-सात सौ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। सवाल है कि सालों से बेरोजगार घूम रहे युवा इतनी ज्यादा फीस का बंदोबस्त कहां से करेंगे? इतनी ज्यादा फीस का भुगतान करके भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं। लाखों की संख्या में आ रहे आवेदनों से परीक्षा बोर्ड को भारी-भरकम आमदनी हो रही है। परीक्षा और परिणाम देखते युवाओं की उम्र बीतती जा रही है, पर रोजगार के आसार दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे।

देश का कल आज से अच्छा होगा, यह सपना अब हवा हो रहा है। नारों में कल, यानी भविष्य की बड़ी बातें हैं पर अखबारों की सुर्खियां तो गिरते रुपए, गिरते शेयर बाजार और बंद होती फैक्ट्रियों की हैं। सरकार भरोसा दिला रही है कि हम यह करेंगे वह करेंगे, पर हर युवा जानता-समझता है कि कल का भरोसा नहीं है। इसमें दोष युवाओं का भी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद अपने भविष्य को खराब किया है। कभी वे धार्मिक पार्टियों से जुड़ कर मौज मनाते तो कभी रेव पार्टियों में। हर शहर में हुक्का बार बनने लगे, फास्टफूड रेस्तरांओं की भरमार होने लगी। युवा प्रयोगशाला में प्रयोग करने की जगह अड्डों पर जमा होने लगे हैं। जिन्हें रात-दिन लाइब्रेरी और कंप्यूटरों से ज्ञान बटोरना था वे सोशल मीडिया पर बासी वीडियो और जोक्स परोसने में लग गए हैं। अपना भविष्य युवाओं को खुद ही बचाना होगा।

पच्चीस साल पहले चीन के बीजिंग शहर में थ्येन आन मन चौक पर युवाओं ने कम्युनिस्ट शासकों को जो झटका दिया उसी से चीन की नीतियां बदलीं और आज चीन अमेरिका के बराबर खड़ा है। यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो घरों में पिज्जा, पास्ता खाने वाली युवा आबादी को बेरोजगारी में पिसना भी सीखना होगा।

● *रोहित यादव, महर्षि दयानंद विवि, रोहतक*

मनमानी पर अंकुश

संसदीय लोकतंत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के दरम्यान तालमेल का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारा संविधान अनुच्छेद-155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। लेकिन राज्यपाल यदि नियम-कायदों को ताक पर रखते हुए मनमाने कदम उठाए तो इसे कतई उचित नहीं माना जा सकता। लिहाजा, संसदीय लोकतंत्र के हित में हित में है कि राज्यपालों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

● *अली खान, जैसलमेर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

संवैधानिक बाध्यता

कांग्रेस के दो वकील नेताओं, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की संवैधानिक बाध्यता स्वीकार करते हुए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आईना दिखा कर इसके विरोध की लगभग हवा निकाल दी है। इन दोनों के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी सहमति जताकर रही-सही कसर पूरी कर दी है। यानी अब झारखंड, मध्यप्रदेश, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों के अपने प्रदेशों में सीएए लागू न करने को घोषणा को निर्मूल साबित कर दिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति को केंद्रीय सूची के अंतर्गत ऐसे अधिनियमों की जानकारी न हो जिन्हें हर राज्य में लागू करना अनिवार्य होता है। यह विरोध केवल राजनीतिक है, लेकिन इन्हें अपनी विश्वसनीयता का खयाल तो रखना ही चाहिए था।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

अपराध के विरुद्ध

करोड़ों लोग सैकड़ों कानूनों (अतिक्रमण, अवैध कारोबार, अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, अवैध फैक्ट्री, अवैध लेन-देन आदि) का लगातार उल्लंघन करते हैं। जनता के बीच से करोड़ों लोग उपरोक्त 'अपराधों' की सूचना सरकार को दे नहीं पाते क्योंकि हर सूचना में सूचनादाता का ब्योरा देना अनिवार्य है। सूचनादाता के ब्योरे के बिना कोई सूचना स्वीकार नहीं होती, न किसी सूचना पर कोई कार्रवाई होती है। सूचना में प्रेषक की जानकारी होने से वह जानकारी कानून तोड़ने वाले को सहजता से मिल जाती है और कानून तोड़ने वाला अपने साथियों के साथ सूचना देने वाले को 'तोड़ने' पहुंच जाता है। इसी खौफ से करोड़ों जगह अवैध धंधे या गतिविधियां चल रही हैं। इसके मद्देनजर सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कोई भी बिना पहचान बताए विभिन्न 'अपराधों' या अनियमितताओं की सूचना दे सके और उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट पा सके।

देश में सुधार के लिए लाखों सूचना प्राप्ति केंद्र होने चाहिए जहां कहीं का निवासी कभी भी कैसी भी सूचना लिखित में दे सके। उस केंद्र पर आगंतुक को कंप्यूटर के नंबर वाली प्राप्ति फौरन जारी होनी चाहिए। ऐसी हर सूचना केंद्रीय कक्ष तक जानी चाहिए जहां से संबद्ध विभाग तक फौरन पहुंचाई जाए। ऐसी हर सूचना के बाबत अद्यतन ब्योरा दर्ज होना चाहिए ताकि कोई भी बिना पासवर्ड के किसी भी सूचना का 'स्टेटस' कभी भी कहीं से देख सके।

● *जीवन मित्तल, मोती नगर, नई दिल्ली*

www.readwhere.com

नई फिल्म

- स्ट्रीट डांस 3 डी
- पंगा

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
तानाजी	186.5 करोड़
छपाक	30.95 करोड़
गुड न्यूज	195.75 करोड़
दरबार	149.9 करोड़

23 जनवरी तक की कमाई

जन्मदिन

बॉबी देओल	27 जनवरी
विक्रम भट्ट	27 जनवरी
श्रुति हसन	28 जनवरी
प्रीति जिंटा	31 जनवरी

दीपिका से कोई तुलना नहीं : सारा अली खान

आरती सक्सेना

सारा अली खान ने 'केदारनाथ' के साथ अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। जल्द ही वे फिल्म 'लव आज कल' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है।

सवाल : सारा लगभग एक साल बाद आपकी फिल्म 'लव आज कल' रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर आप कितनी उत्साहित हैं?

● बहुत ज्यादा। इस फिल्म में काम करना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। हम लोग इम्तियाज सर की फिल्में देख-देख कर बड़े हुए हैं। 'जब वी मेट' की करीना को कोई नहीं भूल सकता। लिहाजा जब मुझे यह फिल्म ऑफर हुई, तो भला मैं कैसे उसे न कहती। उसी पल से मैं फिल्म को लेकर उत्साहित हूं।

सवाल : इम्तियाज अली प्यार को अपने अंदाज में दिखाते हैं। उनके साथ काम करके कैसा लगा?

● इम्तियाज सर के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मैं उनकी तब से फैन हूं जब मैं फिल्मों में नहीं आई थी। उनके अंदर रचनात्मकता की भरमार है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने कलाकार से क्या चाहिए और उन्हें कैसे पेश करना है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूं कि मुझे करिअर की शुरुआत में ही इतने बेहतरीन निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला है। यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है।

आमने सामने

सवाल : दस साल पहले भी 'लव आज कल' रिलीज हुई थी, जिसमें आपके पिता सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने काम किया था। क्या आपको अपनी तुलना दीपिका से होने का डर है?

● नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। क्योंकि यह फिल्म उस फिल्म की सीक्वल नहीं है। यह बिलकुल अलग फिल्म है। इसकी कहानी अलग है और इस फिल्म में आज के प्यार को दिखाया गया है। इस फिल्म में मैं एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हूं, जिसके लिए प्यार के साथ-साथ करिअर भी अहम है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि दीपिका से या पहले की 'लव आज कल' से कोई तुलना होगी।

सवाल : आपने शुरुआत फिल्म 'केदारनाथ' से की थी, तब आप पिता सैफ अली खान के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 'सिम्बा' के बाद आपकी अपनी पहचान बनी। क्या इससे कोई फर्क आया?

● मैं हमेशा अपने पिता की बेटी कहलाना चाहूंगी। मुझे सैफ की बेटी कहलाने पर गर्व है। जहां तक खुद की पहचान बनाने का सवाल है तो मैं इससे से खुश हूं। हां थोड़ी जिम्मेदारी भी महसूस करती हूं कि मुझे अपने फैंस और दर्शकों की नजर में खरा उतरना है।

सवाल : इस फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन के साथ आप डेट कर रही हैं और आपने खुद इस बात का एलान किया था कि आप उनके प्यार में है। कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का?

● कार्तिक मुझे बहुत क्यूट लगता है। यही वजह है कि मैंने डंके की चोट पर कहा कि मैं उससे प्यार कर बैठी हूं। हमारी जोड़ी 'लव आज कल' में बहुत अच्छी लग रही है। मेरा उनके साथ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा है। कार्तिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए उसके साथ काम का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा।

सवाल : आपने, जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे ने करिअर की शुरुआत करीब-करीब एक साथ की। नवोदित कलाकारों की तुलना भी खूब होती है। क्या यह आपको सही लगता है?

● मेरे ख्याल में हमारी तुलना करना गलत है। हम तीनों ही अच्छे दोस्त है। शूटिंग के साथ-साथ पार्टी भी करते है। अनन्या और जाह्नवी की अपनी अलग पहचान है। हम तीनों भी अलग हैं।

सवाल : कहा जा रहा है कि आज कल का प्यार फास्ट फूड की तरह हो गया है। जितना जल्दी शुरू होता है, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। आप क्या कहेगी?

● प्यार तो वही है बस स्टाइल बदल गया है। आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी बात कहने के लिए सालों लगाएं या सालों का इंतजार करें। जिंदगी बहुत छोटी होती जा रही है। इसलिए आजकल प्यार शादी भी फटाफट वाला हो गया है। लेकिन प्यार आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। बस प्यार को देखने और समझने का तरीका बदल गया है।

कुचिपुडी नृत्य की एक शाम

शशिप्रभा तिवारी

शास्त्रीय नृत्य जगत में गुरु शिष्य परंपरा का अपना महत्व है। इसके जरिए वरिष्ठ पीढ़ी अपनी विरासत शिष्य-शिष्याओं को सौंपते हैं। कुचिपुडी के वरिष्ठ गुरु राजा, राधा और कौशल्या रेड्डी ने राजधानी दिल्ली में इस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया। साथ ही अपनी विरासत को यामिनी और भावना रेड्डी को सौंपा है। युवा कुचिपुडी नृत्यांगना भावना रेड्डी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के जरिए कला जगत में विशेष पहचान बनाई है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पिछले दिनों इंडिया हैबिटेड सेंटर में भावना रेड्डी ने नृत्य रचना 'ओम शिवाय' पेश की। नृत्यांगना भावना रेड्डी ने छोटी सी उम्र से अपने गुरु और माता-पिता कौशल्या और राजा रेड्डी के साथ अलग-अलग नृत्य रचनाओं में नृत्य करना शुरू कर दिया था। वे बताती हैं कि उन्होंने पांच साल की उम्र में ही बाल राम, कृष्ण व प्रहलाद की भूमिका में नृत्य करना शुरू कर दिया था। उन्हें नृत्य करना अच्छा लगता था। आज नृत्य उनकी सांसों की तरह तन और मन का हिस्सा बन चुका है। उनकी हर सांस में लय-ताल समाए हुए हैं। वे नृत्य के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हैं। नृत्य ने उनकी जिंदगी को संपूर्णता प्रदान की है।

नृत्योत्सव

नृत्य समारोह में भावना रेड्डी ने भगवान शिव को आधार बनाया था। नृत्य रचना 'ओम शिवाय' की पराकाष्ठा शिव तरंगम थी। यह स्वामी नारायण तीर्थ की रचना 'शिव शिव शिव भव भव शरण' पर आधारित थी। यह राग सौराष्ट्र व रेवती और आदि ताल में निबद्ध थी। भगवान शिव के रूप के निरूपण के साथ-साथ विभिन्न ताल आवर्तनों पर पैर का काम पेश किया। उन्होंने अष्टमूर्ति पेश किया। यह राग अहीर भैरवी और आदि ताल में निबद्ध था। वहीं अगली पेशकश शिव का नृत्य था। शिव के नटराज रूप का निरूपण इसमें किया गया। यह राग परज और आदि ताल में निबद्ध था। इस नृत्य में भावना ने दर्शाया कि शिव के पैर में पांच ताल विराजमान हैं। यही सर्जक, संरक्षक, विध्वंसक, आत्मा का निवास स्थान और मुक्ति प्रदायक है। शिव की जटा में गंगा विराजित हैं और उनके चेहरे से नव रस झलकता है।

नृत्यांगना भावना ने पद वरणम पेश किया। यह तिरूवायवुर त्यागराज की रचना पर आधारित थी। रचना 'स्वामिनी राममनावे सरसक्षीर' राग केदारम और रूपकम ताल में निबद्ध थी। नायिका भगवान शिव को अपना स्वामी मानती है। वह उन्हें 'समनलोलोदू' कह कर पुकारती है। फिर, सखी से शिव को अपने पास लाने का आग्रह करती है। भावना ने अभिनय के जरिए नायिका के मानस और मदन अवस्था को दर्शाया। नृत्यांगना भावना ने अपनी मेहनत और लगन से नृत्य को परिपक्व बनाया है। वे एक समर्पित कलाकार हैं। यह उनके नृत्य से सहज ही दिखता है।

रानू मंडल की ऐसी चल रही है जिंदगी

जयनारायण प्रसाद

एक विक्षिप्त महिला से गायिका बनीं रानू मंडल पर लिखना, उनकी बीती जिंदगी पर सोचना और उनसे मिलना अभी भी आश्चर्य सा लगता है। गायक-संगीतकार हिमेश रेशमिया की एक फिल्म के लिए गाना गाने और कुछ टेलीविजन शो में आने के बाद रानू मंडल का चेहरा देशभर में जाना-पहचाना जाने लगा। रानू मंडल आज भी बेगोपाड़ा इलाके में ही रह रही हैं, जो रानाघाट स्टेशन के करीब है। रानाघाट स्टेशन के चार नंबर प्लेटफार्म पर लता मंगेशकर के गानों को गाते-गाते रानू मंडल की किस्मत पलट गई।

महानगर कोलकाता से रानाघाट/बेगोपाड़ा की दूरी 72 किलोमीटर है। यहीं पास में एक जगह है रथतला, जहां अपनी हिंदी फिल्मों की नायिका रहीं राखी कभी रहती थीं। राखी यानी राखी गुलजार। रानाघाट, रानू मंडल और राखी-ये तीन नाम अब यहां की पहचान हैं।

बेगोपाड़ा में जन्मीं रानू मंडल कभी कोलकाता में अपनी मौसी के पास रहती थीं। शादी के बाद पति बबलू मंडल के साथ बंबई चली गईं। गीत गाना या गुनगुनाना रानू की रूह में बसा था। रानू कहती हैं कि रेडियो के गीत उनके दिलो-दिमाग पर इस कदर छाए रहते थे कि वह उन्हें गुनगुनाए बिना नहीं रह सकती थीं। लेकिन उनके पति को यह नागवार लगता था। वह कहती हैं, उसके पति अभिनेता फिरोज खान के घर पर रसोइए थे। बाद में पति से अनबन होने पर वे अपने घर बेगोपाड़ा आ गईं। रानू के दो बच्चे हुए। 2009 में पति बबलू मंडल का देहांत हो गया।

प्रतिभा

फिर, जोदू मंडल नामक एक अन्य व्यक्ति से रानू मंडल की शादी हुई। इस शादी से भी रानू मंडल को एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन सबने रानू का साथ छोड़ दिया। उसके गुनगुनाते रहने को उसके घरवाले उसका पागलपन समझते थे। इसके बाद रानू का रोज का ठिकाना रानाघाट स्टेशन बन गया। वह सुबह-सुबह स्टेशन पर आ जातीं और गुनगुनाती। यह रानू मंडल के रोज की आदत थीं। एक दिन अतींद्र चक्रवर्ती नामक युवक ने रानू मंडल का वीडियो बनाया और उसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि रानू मंडल की आवाज तीस लाख लोगों के बीच जा पहुंचीं।

फिर, संगीतकार हिमेश रेशमिया ने फेसबुक के जरिए अतींद्र चक्रवर्ती से संपर्क साधा और रानू मंडल रातों-रात 'लता मंगेशकर ऑफ रानाघाट' बन गईं। इस तरह हिमेश रेशमिया की फिल्म 'हैप्पी, हार्डी एंड हीर' के लिए उन्हें चार गाने गाने का मौका मिला। इस फिल्म में रानू का गाना 'तेरी मेरी कहानी' सबकी जुबान पर चढ़ गया। यह फिल्म इसी महीने रिलीज होगी।

रानू मंडल की जिंदगी बदलने वालों में अतींद्र चक्रवर्ती के अलावा तपन दास और मीठू रोजारियो का नाम भी शामिल है। तपन दास रानू मंडल के मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि रानू ने कुवैत और अबुधाबी में स्टेज शो किया है। नवंबर में अबुधाबी में हुए शो में हिमेश रेशमिया और उनकी पूरी टीम भी रानू मंडल के साथ थी। केरल की एक मलयाली फिल्म के लिए बातचीत चल रही है। सबकुछ ठीक-ठाक रहा, तो मलयाली भाषा में कुछ गानों के लिए अनुबंध हो सकता है। रानू मंडल की जीविका का माध्यम अब स्टेज शो ही है।

खबर कोना

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' समाज को संदेश देती फिल्मः आयुष्मान

आयुष्मान खुरान लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना का कहना है कि उनकी अगली फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' एलजीबीटीक्यू (समलैंगिक) समुदाय को दिया गया सम्मान है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म है। यह फिल्म खुराना की 2017 में आई फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' की अगली कड़ी है। फिल्म में आयुष्मान और जितेंद्र कुमार समलैंगिक जोड़े की भूमिका में हैं, जो एक दूसरे के परिजनों को मनाने की कोशिश करते हैं। आयुष्मान ने कहा कि हितेश केवल्य द्वारा निर्देशित फिल्म एलजीबीटीक्यू समुदाय को मुख्यधारा में लाने की कोशिश है। अभिनेता ने कहा, 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान के ट्रेलर के लिए भारत के लोगों का प्यार उत्साहित करने वाला है। फिल्म देश के लोगों के बीच समावेश, विशिष्टता और निजता का उत्सव मनाने, एलजीबीटीक्यू समुदाय को स्वीकार्यता प्रदान करने पर आधारित है।' आयुष्मान ने कहा कि लोगों को मनोरंजन देने के अलावा फिल्म एक सकारात्मक सामाजिक संदेश भी देगी।

रणबीर के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं श्रद्धा कपूर

फिल्म निर्देशक लव रंजन की अगली फिल्म में श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। इस बारे में श्रद्धा कपूर का कहना है कि वह रणबीर कपूर और फिल्म निर्माता के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। लव रंजन पहली बार रणबीर कपूर और श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस फिल्म के नाम की घोषणा नहीं हुई है। श्रद्धा ने बताया, 'मैं रणबीर कपूर के साथ लव रजंन की फिल्म में काम करूंगी। मुझे लव रंजन की फिल्में 'प्यार का पंचनामा', 'सोनू के टीटी की स्वीटी' बहुत पसंद है। मैं रणबीर के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। वह हमारी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। मुझे इसके पहले रणबीर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था इसलिए इस फिल्म को लेकर मैं उत्सुक हूं।' श्रद्धा मार्च में इस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगी।

'फ्रीडम' में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह और मनीषा कोइराला

आजकल बड़ा सा बड़ा स्टार वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। चाहे सैफ अली खान, हुमा कुरैशी या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब इस कड़ी में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और मनीषा कोइराला का नाम भी शामिल हो गया है। नेटफ्लिक्स ने बृहस्पतिवार को दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'फ्रीडम' के कलाकारों के नामों की घोषणा की। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, मनीषा कोइराला, हुमा कुरैशी और कल्कि कोचलिन नजर आएंगी। जानी-मानी अभिनेत्री दिव्या दत्ता, जोया हुसैन, शशांक अरोड़ा और नीरज कबि भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि 'फ्रीडम' की तीन कहानियों में एक परिवार के इतिहास का पता चलता है, जो भारत के व्यक्तिगत और वैचारिक इतिहास के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वहीं फिल्म निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने कहा कि यह फिल्म मध्यम वर्गीय लोगों की कहानी है। यह फिल्म इसी वर्ष नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगी।

पर्दे पर दिखेगी जैकी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी

जैकी श्रॉफ और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने की दर्शकों की इच्छा आखिरकार अब पूरी होने जा रही है। फिल्म निर्देशक अहमद खान की फिल्म 'बागी-3' में ये दोनों सितारे साथ दिखेंगे। खबरों की मानें तो जैकी श्रॉफ के फिल्म में होने की पुष्टि खुद फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने की। उन्होंने कहा, 'हर कोई टाइगर और उनके पिता को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। छह वर्षों से काफी लोगों ने इसे लेकर प्रयास भी किया लेकिन आखिरकार हम सफल रहे। क्योंकि हम उनके मुताबिक बेहतर स्क्रिप्ट के साथ उनसे मिले।' सूत्रों के मुताबिक जैकी श्रॉफ जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म में वे टाइगर श्रॉफ और रितेश देशमुख के पिता की भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में होनी है। 'बागी-2' हिट रही थी। फिल्म के इसी साल रिलीज होने की संभावना है।

एमबी शेट्टी (1931- 23 जनवरी, 1982)

25 साल में 40 बार हड्डियां टूटी थीं शेट्टी की

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

'पचास के दशक में एमबी शेट्टी ऐसे फाइट मास्टर थे, जो हीरो को निपटाने की चुनौती देते तो दर्शक सहम जाते थे। बड़ी-बड़ी सुर्ख आंखों वाले शेट्टी दाएं हाथ का मुक्का अपनी बाईं हथेली पर मारते तो लगता कि अब हीरो की खैर नहीं। वह पहले हीरो को खूब पीटते थे, फिर उन्हें हीरो से पिटना पड़ता था। हीरो के खतरनाक एक्शन सीन भी वह उनके डमी बनकर करते थे। पीटने और पिटने के पेशे में शेट्टी की 40 बार हड्डियां टूटीं, मगर जोश कम नहीं हुआ। कल, शेट्टी की 38वीं पुण्यतिथि थी।

कर्नाटक के एक किसान को जब लगा कि उसके नौ साल के लड़के मुड्डु का लिखने-पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, तो उसका कान पकड़ कर मुंबई जाने वाली बस में किसी के साथ बिठा दिया कि वहां जाकर कुछ कर लेगा। मुड्डू ने किया भी। मुंबई के लेमिंग्टन रोड पर पंजाबी ढाबे में 12 रुपए महीने पर काम किया। फिर टाटा ऑइल मिल के कैंटीन में काम मिला, जहां शाम को बॉक्सिंग होती थी। तो बॉक्सिंग सीखने लगा। वहां चैम्पियन बना, तो तनख्वाह 75 रुपए हो गई। मुंबई का आठ सालों तक चैम्पियन रहा। एक दिन फिल्मों के हीरो बाबूराव पहलवान ने देखा तो एक फिल्म में हाथापाई करने खड़ा कर दिया। शाम को 200 रुपए मिले तो मुड्डू ने तय किया कि अब करेंगे तो बस यही काम।

काम जोखिम का था और इसमें जीने की चाह से ज्यादा मरने का जुनून चाहिए था। पलक झपकते मौत दबोच सकती थी। चलती ट्रेन पर लड़ना, दौड़ना, ऊंची इमारतों से छलांग लगाना, तलवार चलाना, घोड़ा दौड़ाना, कांच तोड़कर निकलना... खतरनाक दृश्यों में हीरो के डुप्लीकेट बन कर मुड्डु ने यह काम शुरू किया। एक दिन प्राण ने सुबोध मुखर्जी से मुड्डू की सिफारिश की और मुड्डू देव आनंद की 'मुनीमजी' (1955) में स्टंटमैन से फाइट मास्टर शेट्टी बन गए।

60 और 70 के दशक में शेट्टी का जलवा था। आग उगलती आंखें और पहलवानों से डीलडौल वाले शेट्टी को परदे पर देख दर्शक सहम जाते थे। शेट्टी पहले हीरो को रुई की तरह धुनते थे फिर हीरो उनकी मरम्मत करता था। वह खतरनाक दृश्य अपने स्टंटमैन से नहीं करवाते थे, खुद करते थे। बावजूद इसके वह बुरा सपना जो शेट्टी अकसर देखते थे, हकीकत में बदल ही गया। निर्माता ब्रज की 'बॉम्बे 405 माइल्स' में उनके जूनियर मंसूर ने 'टाइमिंग मिस' की और जान चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा के डबल बने मंसूर ने एक पल की देर लगाई, तब तक पेट्रोल बम फट चुका था। एम बी शेट्टी उस लम्हे को कभी नहीं भूल पाए।

शेट्टी दो काम नहीं कर पाए। एक निर्माता बनने का, दूसरा हीरो बनने का। उन्हें एक फिल्म 'तुम सलामत रहो' में मिस इंडिया परसिस खंबाटा का हीरो बनाया गया था। मगर फिल्म बनी नहीं। भाषा शेट्टी की मुसीबत थी। बामुश्किल दो साल तुलू पढ़े शेट्टी को फिल्मों में डायलाग नहीं मिलते थे। अटकते-लटकते एक दो लाइन के संवाद बोलकर हीरो को कभी-कभार धमकाने से वह कभी आगे नहीं बढ़े।

जिस पेशे से शेट्टी ने रोटी निकाली उसने जीवन के आखिरी दौर में शेट्टी को तोड़ दिया था। फिल्में मिल नहीं रही थीं। तीस साल में 40 बार शरीर की हड्डियां टूटीं मगर शेट्टी ने कभी हार नहीं मानी थी। आखिरी बार बिना कोई एक्शन सीन किए शेट्टी अपने घर में गिरे, तो उठ न सके। वे नामीगिरामी हीरो, निर्माता, जिन्होंने जबरदस्त सीन देने पर शेट्टी की पीठ थपथपाई थी, उनके जनाजे में कहीं भी नजर नहीं आए। जो उन्हें अलविदा कहने आए थे, उनमें से एक थे 'बॉम्बे 405 माइल्स' के निर्माता ब्रज।

www.readwhere.com

असम में 644 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

गुवाहाटी, 23 जनवरी (भाषा)।

असम में आठ प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ गुरुवार को आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि उल्फा (आइ), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, भाकपा (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, 'लोग खुश हैं कि आप असम के विकास के लिए मुख्यधारा में लौट आए हैं। आपने लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को प्रेरित किया है।' उन्होंने कहा, 'मैं जो लोग मुख्यधारा से अब भी बाहर हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आगे आएं और भारत को एक मजबूत देश बनाने की दिशा में काम करें। बिना शांति के विकास मुमकिन नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों में शांति बनी है और हमें भी यही करना है।' सोनोवाल ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाएंगी, उन्हें उनके भरण-पोषण के लिए मौजूदा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे अधिक 301 एनएलएफबी के उग्रवादी हैं। इसके बाद 178 आदिवासी ड्रैगन फाइटर (एडीएफ) और राष्ट्रीय सांथल मुक्ति सेना (एनएसएलए) के 87 उग्रवादी हैं। इनके अलावा उल्फा (आइ) के 50 कार्यकर्ता, 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड' (एनडीएफबी) के आठ उग्रवादी, 'कामतपुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन' (केएलओ) के छह उग्रवादी, 'रावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट' (आरएनएलएफ) के 13 सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का एक उग्रवादी है।

इन्होंने 177 हथियारों के अलावा 58 मैगजीन, 1.93 किलोग्राम विस्फोटक, 52 ग्रेनेड, 71 बम, तीन रॉकेट लॉन्चर, 306 डेटोनेटर, दो आरटी सेट और 17 खुकरी के साथ आत्मसमर्पण किया है। पुलिस महानिदेशक ज्योति महंता ने पत्रकारों से कहा, 'राज्य के लिए और असम पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आठ उग्रवादी समूहों के कुल 644 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है।'

रिश्वत मामले में व्यवसायी और अधिकारी पर दबाव नहीं बनाने का निर्देश

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह तीन करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी और डीआरआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी पर उनके फोन 'अनलॉक' करने के लिए दवाब नहीं डाले । जांच एजंसी ने गिरफ्तारी के समय दोनों के फोन जब्त कर लिए थे। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने गिरफ्तार किए गए कारोबारी और डीआरआइ के वरिष्ठ अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इन दोनों ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अपने फोन के पासवर्ड जांच एजंसी को बताने अथवा उसे 'अनलॉक' करने का निर्देश दिया गया था।

निचली अदालत के 22 जनवरी के आदेश के अलावा याचिकाकर्ता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस नोटिस को भी चुनौती दी थी जिसमें उसने गुरुवार को दोपहर बाद एक बजे उपस्थित होकर फोन को 'अनलाक' करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा, 'याचिकाओं के निस्तारण तक याचिकाकर्ताओं पर उनके फोन अनलाक करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए।' इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीक मुकर्रर की है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं डीआरआई अधिकारी चंदर शेखर और कारोबारी राजेश ढांडा की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय को बताया कि एक सीबीआइ अदालत ने बुधवार को उनके मुवक्किलों को उनके फोन का पासवर्ड बताने अथवा उसे अनलाक करने का निर्देश आत्म दोषारोपण के खिलाफ उनके अधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके मुवक्किलों के पास यह कहने का विकल्प है कि ये फोन उनके नहीं हैं अथवा उन्हें पासवर्ड याद नहीं है लेकिन वह निचली अदालत के फैसले की वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अपने ही खिलाफ मुझे साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फोन को अनलाक कर मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि यह मेरा है और इसमें जो जानकारी है वह भी मेरी ही है। पहले वह (सीबीआइ) बताएं कि वह इसे क्यों नहीं खोल सकते हैं। उनके केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को पहले इसे खोलने दीजिए।' जांच एजंसी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के समय उनके पास से यह फोन जब्त किया गया था।

निचली अदालत का आदेश सीबीआइ की उस याचिका पर आया था जिसमें जांच एजेंसी ने आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के समय उनसे जब्त किए गए फोन को खोलने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया था। सीबीआइ ने मामले में एक जनवरी को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) के तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक, चंदर शेखर के साथ ढांडा को गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने तीसरे व्यक्ति क्लियरिंग हाउस एजेंट अनूप जोशी को भी गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने बाद में 16 जनवरी को ढांडा को जमानत दे दी थी। सीबीआइ के अनुसार, जून 2019 में डीआरआइ ने निर्यातकों को सेवा मुहैया कराने वाली निजी क्लियरिंग एजंसी पर छापेमारी की थी। इस दौरान एक निर्यातक से जुड़े कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे।

एजंसी को मिली शिकायत के अनुसार, चंदर शेखर के करीबी दोस्त जोशी और ढांडा ने यह सुनिश्चित करने के लिए लोकसेवक की तरफ से कथित रूप से तीन करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी कि बरामद दस्तावेजों को लेकर डीआरआइ मुकदमा नहीं करेगी।

819 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में खाद्य निर्यातक पर मामला दर्ज

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने दिल्ली के एक खाद्य निर्यातक के खिलाफ 819 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है और छापेमारी की है। सीबीआइ ने यह कार्रवाई बैंकों के समूह की तरफ से एसबीआइ की एक शिकायत पर की है। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि एजंसी ने आरोप लगाया है कि रेडिकल फूड्स लिमिटेड जिसका कार्यालय साकेत में है, के निदेशकों सिद्धार्थ चौधरी और अंजू चौधरी ने 732 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधाओं का लाभ उठाया और एसबीआइ तथा अन्य बैंकों के समूह के साथ जालसाजी और जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी की।अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने उनके परिसरों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल 2018 तक बैंकों को 819.48 करोड़ रुपए (करीब) का कथित नुकसान हुआ। अधिकारी ने बताया कि बैंकों के समूह में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, एक्जिम बैंक, बैंक आफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, सीएसबी बैंक, विजया बैंक (अब बैंक आफ बड़ौदा) और यूको बैंक शामिल है।

तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं

पेज 1 का बाकी

बीच विवाद सुलझाने में मदद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बारे में सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच घटनाक्रम पर 'करीबी नजर' रख रहा है। उन्होंने दावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात में एक बार फिर दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद को सुलझाने में 'मदद' की बात कही थी।

रवीश कुमार ने कहा, 'पाक प्रधानमंत्री की टिप्पणियों में कोई नई बात नहीं है। वे विरोधाभाषी तो हैं ही और तथ्यों की दृष्टि से गलत भी हैं। यह बयान दर्शाता है कि वे हताश हो गए हैं।'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान एक ओर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने को पीड़ित बताने का कार्ड खेलता है, दूसरी ओर भारत एवं अन्य देशों को लक्षित करने वाले आतंकी समूहों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, 'ऐसे में वह अपनी धरती से परिचालित आतंकी समूहों पर पुष्टि योग्य कार्रवाई करे और विश्व समुदाय का ध्यान बांटने वाले भ्रामक बयान देना बंद करे।'

भारत की खरी-खरी...जब भी बोलता है जहर उगलता है पाक

पेज 1 का बाकी

कोई समर्थन हासिल करने में बार-बार असफलता ही हाथ लगी है। पाकिस्तान के 'सदाबहार मित्र' चीन ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठाने की कोशिश की थी लेकिन उसे अन्य सदस्यों का समर्थन नहीं मिला। परिषद के अन्य सदस्यों के बीच इस बात को लेकर सहमति थी कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने बुधवार को 'संगठन के काम पर महासचिव की रिपोर्ट' विषय पर महासभा सत्र में कहा कि पाकिस्तान 'विवाद और कटु बयानबाजी' को समाप्त करने तथा सामान्य संबंध बहाल करने के लिए कदम उठाने की जगह 'झूठी बयानबाजी करता है और सच्चाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अंधकार में रखता है।'

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बड़ी सहजता से नफरत फैलाने वाले भाषण देता है। यह प्रतिनिधिमंडल जब कभी बोलता है, तो जहर उगलता है और बड़े अनुपात में गलत बयानबाजी करता है।' नायडू ने कहा, 'यह बहुत ही हैरानी की बात है कि जिस देश ने अपनी अल्पसंख्यक आबादी को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात करता है।'

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान को यह विचार करने की आवश्यकता है कि उसकी इस झूठी बयानबाजी से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है और उसे कूटनीति के सामान्य कामकाज करने चाहिए।' संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन के सलाहकार साद अहमद वाराइच ने सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था जिसके बाद भारत ने यह प्रतिक्रिया दी।

सांसद की शपथ लेने के लिए अतुल राय को दो दिन का पैरोल

प्रयागराज, 23 जनवरी (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के घोसी संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए अतुल राय को सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के उद्देश्य से दो दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राय को नई दिल्ली में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए गुरुवार को दो दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राय पुलिस हिरासत में 29 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद पुलिस उन्हें 31 जनवरी, 2020 को अपनी हिरासत में लेगी।

राय के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल बलात्कार के एक मामले में जेल में बंद होने की वजह से सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर सका। उनकी जमानत की पहली अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और दूसरी अर्जी विचाराधीन है। बताते चलें कि अतुल राय के खिलाफ एक मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

मंत्री नहीं होता तो लगाता एअर इंडिया के लिए बोली : गोयल

दावोस, 23 जनवरी (भाषा)।

कर्ज बोझ तले दबी सरकारी एअरलाइन एअर इंडिया की विनिवेश की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वह मंत्री नहीं होते तो एअर इंडिया के लिए बोली जरूर लगाते। एअर इंडिया काफी समय से घाटे में चल रही है और अब सरकार इसकी विविनेश प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगी है। एअर इंडिया, बीपीसीएल और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश से जुड़े सवाल पर गोयल ने कहा कि पहले कार्यकाल में हमारी सरकार को ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो काफी बुरे हाल में थी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाने के लिए कई कदम उठाए गए। यदि सरकार पहले इन बहुमूल्य कंपनियों का विनिवेश करती तो अच्छा मूल्य नहीं मिलता।

गोयल ने विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) के 'भारत : रणनीतिक परिदृश्य' सत्र में बोलते हुए कहा, 'यदि मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं एअर इंडिया के लिए बोली लगाता। इसके दुनियाभर में कुछ बेहतरीन द्विपक्षीय समझौते हैं...दक्ष और बेहतर ढंग से व्यवस्थित एअर इंडिया के पास काफी अच्छे विमान हैं इस लिहाज से यह किसी सोने की खान से कम नहीं है।' यहां द्विपक्षीय से तात्पर्य दो देशों के बीच ऐसे समझौते से हैं, जो एक-दूसरे की एअरलाइन कंपनियों को सीटों की एक निश्चित संख्या के साथ सेवाएं संचालित करने की अनुमति देता है।

गोयल के पास रेल मंत्रालय के साथ-साथ वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भारत आज एक ऐसा देश है, जहां आपके पास समान अवसर है, आप ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं...' उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बैंकों के खुद के आय-व्यय खातों को ठीकठाक करना और बैंकों को मजबूत बनाना एक अच्छा काम है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज और अन्य समस्याओं को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

गोयल ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि कमरे में बैठे हर व्यक्ति के मन में ऐसी कोई छवि नहीं होगी जहां वह मानता होगा कि सार्वजनिक बैंकों ने अच्छा काम नहीं किया। दुनिया भर की या फिर अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का उदाहरण लूं तो 2008-09 में अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। आर्थिक पतन का कारण सरकारी बैंक नहीं बल्कि निजी बैंक थे।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में हमारे पास पर्याप्त निजी बैंक हैं, जिन्होंने हमारे के लिए कोई गौरव का काम नहीं किया। इसके विपरीत, यदि आप मुझसे सरकारी बैंकों के बारे में पूछे तो इन बैंकों ने राष्ट्र सेवा में काफी कुछ किया है।'

लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी उत्तरी कमान के कमांडर नियुक्त

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण उत्तरी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया है। उत्तरी कमान पाकिस्तान के साथ लगी हुई जम्मू-कश्मीर सीमा और चीन के साथ लगे लद्दाख की समग्र सुरक्षा को देखता है।

लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के पास कश्मीर में आतंक रोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। वह लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की जगह लेंगे। सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जनरल जोशी अभी उत्तरी कमान में चीफ ऑफ स्टाफ पद पर हैं।

नौ हजार शत्रु संपत्तियों का होगा निपटारा

पेज 1 का बाकी

छोड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली है। आदेश में कहा गया है कि शत्रु संपत्तियों के निपटारे के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया जाएगा और इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव करेंगे।

गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, विधि विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि अंतर-मंत्रालयी समूह के सदस्य होंगे।

पाक में धर्मांतरित हिंदू लड़की को महिला सुरक्षा केंद्र भेजा

पेज 1 का बाकी

की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हरिराम किशोरी लाल ने कुमारी के परिवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

बुधवार को जैकबाबाद जिले के एक हिंदू समूह के नेता के साथ टेलीफोन पर बातचीत में मंत्री ने कहा कि सिंध सरकार परिवार और हिंदू समूह के रुख का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने अधिकारियों से हिंदू लड़कियों के खिलाफ होने वाली बर्बरता और अन्याय के बारे में संज्ञान लेने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की।

मिजोरम की सूची से कटेंगे 11 हजार ब्रू मतदाताओं के नाम

आइजोल, 23 जनवरी (भाषा)।

त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू समुदाय के 11 हजार लोगों का नाम उनकी गृहभूमि मिजोरम की मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को दी। यह निर्णय उस समझौते के बाद लिया गया है जिसमें इस जनजातीय समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी।

ब्रू समुदाय के हजारों लोग त्रिपुरा के राहत शिविरों में 1997 से रह रहे हैं जिन्हें सामुदायिक हिंसा के चलते मिजोरम छोड़कर पड़ोसी राज्य में आना पड़ा था। अब तक इन विस्थापित लोगों की संख्या लगभग 34,000 हो चुकी है।

मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया कि राज्य की मतदाता सूची से ब्रू मतदाताओं का नाम हटाने की प्रक्रिया राहत शिविरों को बंद करने के बाद शुरू किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ब्रू मतदाताओं के नाम हटाने संबंधी कार्रवाई मतदाता सूची के अगले पुनरीक्षण कार्य के दौरान किए जाने की संभावना है। यह निर्वाचन आयोग की स्वीकृति लेने के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। पिछले साल लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के छह राहत शिविरों में कुल 12,081 ब्रू मतदाता थे। इनमें से केवल 33.54 फीसद मतदाताओं ने मिजोरम-त्रिपुरा सीमा पर एक गांव में विशेष रूप से उनके लिए स्थापित किए गए 15 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

कुंद्रा ने कहा कि ब्रू मतदाताओं की सटीक संख्या अभी पता नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें से कुछ मिजोरम लौट आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो ब्रू मतदाता 16 जनवरी को हुए समझौते से पहले मिजोरम नहीं लौटे थे, उन्हें त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

पवन वर्मा जहां चाहें वहां जाएं, कोई एतराज नहीं : नीतीश

पेज 1 का बाकी

कोई भ्रम नहीं रहता लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है, तो आकर विमर्श करना और बातचीत करनी चाहिए। उसके लिए अगर जरूरी समझें तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना... आप खुद देख लीजिए... आश्चर्य की बात है कि आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि हमसे क्या बात करते थे। अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे। यह कोई तरीका है। इन बातों को छोड़ दीजिए मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है लेकिन उनको जहां अच्छा लगे जाएं। मेरी शुभकामना है।'

पवन ने नीतीश को लिखे दो पृष्ठों के अपने पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए बुधवार को कहा कि उक्त पत्र के माध्यम से उन्होंने पूछा है कि विभाजनकारी सीएए-एनपीआर-एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बावजूद जद (एकी) ने दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के साथ कैसे गठबंधन किया।

पटना में एक कार्यक्रम में मंगलवार को भाग लेने पहुंचे पवन ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश की ओर इशारा करते हुए पूर्व में लिखे अपने पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक पूर्ण वक्तव्य दें जिससे विचारधारा स्पष्ट हो।

कॉलिजियम ने हाई कोर्ट के जजों के लिए नामों को दी मंजूरी

पेज 1 का बाकी

बनाने पर सहमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कॉलिजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने 22 जनवरी को अपनी बैठक में रिकार्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करते हुए वकील, जावेद इकबाल वानी को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अजहर और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

पेज 1 का बाकी

निजी सचिव मुजीब खान के कहने पर अजहर और कुछ अन्य के लिए 20 लाख 96 हजार रुपए के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुक कराए थे। शाहाब ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन भुगतान के वादों के बावजूद अभी तक कोई रकम नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भुगतान के बारे में पूछने पर खान के सहायक सुदेश अवाक्कल ने उन्हें ईमेल भेजा कि दस लाख 60 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं लेकिन उन्हें कोई रकम नहीं मिली। शाहाब ने आइपीसी की धारा 420 (धोखेबाजी), 406 (विश्वास का आपराधिक हनन) और 34 (सामान्य आशय) के तहत अजहर, खान और अवाक्कल के खिलाफ शिकायत की है।

अजहर ने हालांकि ट्विटर पर डाले वीडियो में कहा कि इस शिकायत में कोई दम नहीं है और सुर्खियों में आने के लिए ऐसा किया गया। मैं कानूनी सलाह लेकर सौ करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा।

इमरान न पढ़ते हैं अखबार और न देखते हैं टीवी

पेज 1 का बाकी

और फिर उनमें जो भी कहा जाता है उसके बारे में मुझे बताते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सब्र रखें। इन तमाम आलोचनाओं का मुकाबला करने और आखिरकार सफल होने के लिए बहुत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साहस की जरूरत होगी।'

खान ने कहा, 'यह मुश्किल होगा। थोड़े समय के लिए दर्द होगा और आगे संघर्ष करना होगा लेकिन भरोसा रखें कि पाकिस्तान का अच्छा समय आने वाला है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप सुधारों की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, खासकर प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं तो इसका तुरत फुरत परिणाम मिलना संभव नहीं है।

सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा पर हालात का जायजा लिया

जम्मू, 23 जनवरी (भाषा)।

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नियंत्रण रेखा का दौरा कर सैनिकों से मुलाकात की और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को नियंत्रण रेखा के दौरे के दौरान सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान के जनरल-ऑफिसर-कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी साथ थे। उन्होंने बताया कि नरवणे को व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता और कुछ कमांडरों ने नियंत्रण रेखा के हालात की जानकारी दी।

सेना प्रमुख ने सैनिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने सैनिकों की उनके कर्तव्यों के प्रति उनके अटूट समर्पण की सराहना की। प्रवक्ता ने कहा कि जनरल नरवणे ने दुशमन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तरी कमान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

प्रवक्ता ने बताया कि बाद में सेना प्रमुख ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। मुर्मू ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सेना, अन्य सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल की सराहना की।

'मृत्युदंड मामले में दोषी किसी भी वक्त चुनौती नहीं दे सकता'

पेज 1 का बाकी

का अवसर दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे मेहता ने कहा, 'कोई दोषी अपने माता-पिता की हत्या के बाद यह कहकर दया की मांग नहीं कर सकती कि ओह मैं अब अनाथ हो गई।'

पीठ ने टिप्पणी की कि प्रत्येक अपराधी के बारे में कहा जाता है कि वह दिल से निर्दोष है लेकिन हमें उसके द्वारा किए गए अपराध पर भी गौर करना होगा।

शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल, 2008 को हुए इस अपराध के लिए सलीम और शबनम की मौत की सजा 2015 में बरकरार रखी थी। दोनों मुजरिमों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी जिसे 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सलीम और शबनम का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे शादी करना चाहते थे लेकिन महिला का परिवार इसका विरोध कर रहा था।

राज ठाकरे की मनसे ने अपनाया भगवा झंडा, सीएए पर भाजपा को समर्थन

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरूवार को अपनी पार्टी का नया भगवा झंडा जारी करके और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने की घोषणा करके संकेत दिया कि वे अपने चाचा बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। राज ठाकरे ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर गोरेगांव में मनसे की एक रैली को संबोधित किया।

उन्होंने सवाल किया, 'नागरिकता संशोधन कानून पर बहस हो सकती है लेकिन हमें बाहर से अवैध तरीके से देश में आए लोगों को शरण क्यों देनी चाहिए? महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए राज ठाकरे ने कहा, 'मैं सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी का रंग नहीं बदलता। मनसे के नए झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का चित्र है। पार्टी के पहले के झंडे में भगवा, नीले और हरे रंग की पट्टियां थीं। नए झंडे में शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को अंकित करने पर शिवसेना और कुछ अन्य संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। औरंगाबाद में शिवसेना की जिला इकाई के प्रमुख तथा विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने गुरुवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी की राज मुद्रा का राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम इसके प्रति अपनी आपत्ति प्रकट करते हैं। हम राज्य सरकार और चुनाव आयोग से संपर्क कर इस मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे का निर्माण किया था।

निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह, चार अन्य को 15 दिन की एनआइए हिरासत

पेज 1 का बाकी

में अदालत लाया गया। उनके चेहरे ढके हुए थे। अदालत परिसर के बाहर कई मीडियाकर्मी मौजूद थे। गत सप्ताहांत जांच अपने हाथ में लेने वाली एनआइए इन लोगों को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से बुधवार को यहां लेकर आई थी। गिरफ्तारी के बाद दविंदर सिंह को निलंबित किया जा चुका है।

www.readwhere.com

आइसीजे ने कहा

रोहिंग्यों का जनसंहार रोके म्यांमा

हेग, 23 जनवरी (एपी)।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने म्यांमा को गुरुवार को आदेश दिया कि वह रोहिंग्या लोगों का जनसंहार रोकने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी कदम उठाए। न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अब्दुलकवी अहमद यूसुफ ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विचार है कि म्यांमा में रोहिंग्या सबसे अधिक असुरक्षित हैं।' अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रोहिंग्या को सुरक्षित करने की मंशा से अंतरिम प्रावधान के उसके आदेश म्यांमा के लिए बाध्यकारी है और यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी है।

हेग के ऐतिहासिक 'ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस' में करीब एक घंटे तक हुई सुनवाई में अदालत ने म्यांमा को आदेश दिया कि वह चार महीने में आइसीजे को रिपोर्ट देकर बताए कि उसने आदेश के अनुपालन के लिए क्या किया और इसके बाद हर छह महीने में स्थिति से अवगत कराए। अधिकार कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के सर्वसम्मति से दिए गए इस फैसले का स्वागत किया।

'ह्यूमन राइट्स वाच' के एसोसिएट अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निदेशक परम प्रीत सिंह ने कहा, 'रोहिंग्या का जनसंहार रोकने के लिए म्यांमा को कदम उठाने के लिए आइसीजे का आदेश, दुनिया के सबसे अधिक उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ और अत्याचार रोकने के मामले में ऐतिहासिक है।' उन्होंने कहा, 'संबधित सरकारों और संयुक्त राष्ट्र निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसंहार का सुनवाई आगे बढ़ने के साथ आदेश का अनुपालन हो।' अंतरराष्ट्रीय अदालत का यह आदेश अफ्रीकी देश गाम्बिया की याचिका पर आया है जिसने मुसलिम देशों के संगठनों की ओर से याचिका दायर की थी और म्यांमा पर रोहिंग्या का जनसहांर करने का आरोप लगाया था।

पिछले महीने मामले की हुई खुली सुनवाई में म्यांमा पर रोहिंग्या का जनसंहार करने का आरोप लगाने वाले वकीलों ने मानचित्र, उपग्रह से ली गई तस्वीरों, ग्राफिक का इस्तेमाल अपने दावे की पुष्टि के लिए किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि म्यांमा की सेना रोहिंग्या की हत्या और बलात्कार करने के लिए अभियान चला रही है। सुनवाई में म्यांमा की नेता आंग सान सूकी के बयान का भी संज्ञान लिया गया जिसमें उन्होंने सेना की कार्रवाई का समर्थन किया था। सूकी इस समय म्यांमा की स्टेट काउंसलर हैं। महत्त्वपूर्ण है कि बौद्ध बहुल म्यांमा रोहिंग्या को बांग्लादेश का बंगाली मानते हैं जबकि वे पीढ़ियों से म्यांमा में रह रहे हैं। वर्ष 1982 में उनसे नागरिकता भी छीन ली गई थी और वे देशविहीन जीवन व्यापन करने को मजबूर हैं। वर्ष 2017 में म्यांमा की सेना ने एक रोहिंग्या छापेमार समूह के हमले के बाद उत्तरी रखाइन प्रांत में नस्ली सफाई अभियान शुरू किया। इसकी वजह से करीब सात लाख रोहिंग्या ने भागकर पड़ोसी बांग्लादेश में शरण ली। म्यांमा पर आरोप लगाया गया कि सेना ने बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, हत्या और घरों को जलाने का काम किया।

चीन : वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पांच शहर सील

बेजिंग, 23 जनवरी (भाषा)।

चीन ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गुरुवार को वुहान सहित पांच शहरों को सील कर दिया गया। देशभर में इस विषाणु से 630 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 17 लोगों की मौत हो चुकी है।

चीनी नववर्ष के पहले सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ने के मद्देनजर गाड़ियों, ट्रेनों, विमानों समेत आवागमन के विभिन्न माध्यमों को रोक दिया गया है। इन शहरों में तकरीबन दो करोड़ लोग रहते हैं। चीनी अधिकारियों ने गुरुवार शाम हुबेई प्रांत में पांच शहरों- हुगांग, एझाओ, झिजियांग, क्विनजिआंग और वुहान में सार्वनजिक परिवहन को रोकने की घोषणा की। देशभर में विषाणु के कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जितनी भी मौतें हुई हैं, वो वुहान और आसपास के इलाके में हुई है।

मृतकों की औसत उम्र 73 साल है। मृतकों में सबसे उम्रदराज शख्स 89 साल का था जबकि सबसे कम उम्र के लिहाज से 48 साल के व्यक्ति की मौत हुई। कुल मिलाकर देशभर में 631 मामले सामने आ चुके हैं।

देश में सबसे ज्यादा प्रभावित वुहान के रेलवे स्टेशन पर पुलिस, स्वात टीम और अर्द्धसैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। सुबह में अवरोधक लगाकर प्रवेश को बंद कर दिया गया। सड़कों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर आम तौर पर भीड़ रहती है लेकिन 1.1 करोड़ आबादी वाले इस शहर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। सारे सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है।

पास के हुगांग और एझाओ में भी यही स्थिति है। मनोरंजन केंद्र, सिनेमाघर, इंटरनेट कैफे और अन्य केंद्रों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। हुबेई प्रांत में वुहान और हुंगांग शहरों को बंद कर दिया गया है। इस प्रांत में कई भारतीय भी रहते हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की सहायता के लिए हॉटलाइन स्थापित की है।

भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीनी अधिकारियों ने प्रांत में रह रहे भारतीयों को खाद्य आपूर्ति सहित सभी सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत के लिहाज से भी चिंता की वजह हैं क्योंकि करीब 700 भारतीय छात्र वुहान और आसपास के इलाके में रहते हैं। इन छात्रों में ज्यादातर चीनी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं ।

डेमोक्रेट्स ने रखा ट्रंप के खिलाफ अपना पक्ष

वाशिंगटन, 23 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के मामले की कार्यवाही के तहत सांसद एडम शिफ के नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट्स सदस्यों ने बुधवार को अपना पक्ष रखा।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इस बात से वाकिफ हैं कि ट्रंप को वाइट हाउस से बाहर निकालने में उनके सफल होने की संभावना कम है क्योंकि सौ सदस्यीय सीनेट में 53 रिपब्लिकन और 47 डेमोक्रेट्स हैं। ऐसे में, प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने नवंबर में होने वाले चुनाव को ध्यान में रख कर सीनेट के पटल पर अपनी दलीलें पेश कीं।

हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख एडम शिफ ने सीनेट में आकर कहा कि ट्रंप को सत्ता के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के काम में बाधा डालने के लिए पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी करने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया।

शिफ ने दलीलें रखते हुए शुरुआत में अमेरिकी विद्वान एवं इसके संस्थापकों में शामिल अलेक्जेंडर हैमिल्टन का जिक्र किया जिन्होंने ऐसे परिदृश्य की कल्पना की थी जब देश का भावी राष्ट्रपति अपने निजी हितों को राष्ट्र से पहले रखेगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
पीरागढ़ी शाखा, 2, पश्चिम एन्कलेव, पीरागढ़ी, दिल्ली, पिन-110087

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम (8-1) देखें]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (1) श्री राघव नारंग पुत्र श्री दलीप नारंग (2) श्रीमती सरोज नारंग पत्नी श्री दिलीप नारंग (3) श्री दलीप नारंग पुत्र श्री रामलाल नारंग (4) सुश्री चाँदनी नारंग पुत्री श्री दलीप नारंग (5) मैसर्स राघव फिलिंग स्टेशन इसके साझेदार श्री दलीप नारंग पुत्र श्री रामलाल नारंग एवं श्रीमती सरोज नारंग पत्नी श्री दलीप नारंग के माध्यम से, को कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में लिखित राशि (1) रु. 2,01,25,858.68/- डीआर (रुपये दो करोड़ एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ अट्ठावन एवं अड़सठ पैसे मात्र) के गृह ऋण (2) रु. 5,83,621.66 डीआर (रुपये पाँच लाख तिरासी हजार छः सौ इक्कीस एवं छियासठ पैसे मात्र) के वाहन ऋण, (3) रु. 3,05,35,076.02 डीआर (रुपये तीन करोड़ पाँच लाख पैंतीस हजार छिहत्तर एवं दो पैसे मात्र) के व्यापार ओडी लिमिट (4) रु. 20,65,581.38 डीआर (रुपये बीस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ इक्यासी एवं अड़तीस पैसे मात्र) के वाहन ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 13.11.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 18.01.2020 को 2.40 बजे अपराह्न को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा प्रतिभूत आस्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और प्रतिभूत आस्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 31.10.2019 तक (1) रु. 2,01,25,858.68/- डीआर के गृह ऋण (2) रु. 5,83,621.66 डीआर के वाहन ऋण, (3) रु. 3,05,35,076.02 डीआर के व्यापार ओडी लिमिट (4) रु. 20,65,581.38 डीआर एवं इस पर भावी लागत, ब्याज एवं अन्य व्ययों के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शाखा : पीरागढ़ी शाखा) के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति की अनुसूची : अचल सम्पत्ति का विवरण : उप-रजिस्ट्रार कार्यालय गुरुग्राम में 20.08.2018 को पृष्ठ सं. 115. 5/7-9 पुस्तक सं. 1 पर विक्रय विलेख-मूल विक्रय विलेख पंजीकरण सं. 7777 वॉल्यूम सं. 9/9/272 के माध्यम से पंजीकृत श्रीमती राघव नारंग तथा श्रीमती सरोज नारंग के नाम पर आनुपातिक फ्री होल्ड भूमि के अधिकार सहित ग्राम सिकन्दर पुर घोसी, निकट सिकन्दर पुर मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 में स्थित मकान नं. 8, केसीएम कचनार मार्ग, डीएलएफ कुतुब एन्कलेव कॉम्पलेक्स-I की अचल बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। सम्पत्ति की सीमाएँ : उत्तर : प्लॉट सं. एच-2/8 एवं 9, पश्चिम : कचनार मार्ग/7, पूर्व : कचनार मार्ग/9, दक्षिण : सड़क।

दिनांक : 23.01.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली — पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु, कर्नाटक राज्य - 575001

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो / गुम / चोरी हो गए हैं । यदि इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	फोलिओ सं. सीबीई	शेयरों की सं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.
1	पुलियाक्काट चौदंप्पन	800224	500	405455	3178421-3178920
2	रचमडगु सुरेंद्रा	006539	500	403600	2113756-2114255

स्थान : मंगलूरु
तिथि : 23.01.2020
हस्ताक्षरित/-
(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !
A Govt. of India Undertaking
शाखा: जी.बी. मार्ग, लखनऊ
0522 - 4301043/4245804, Email : bo0293@pnb.co.in

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी, जोकि पंजाब नैशनल बैंक, शाखा जी.बी. मार्ग, लखनऊ का प्राधिकृत अधिकारी है ने सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का 54) तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम 2002 के सहपठित नियम 3 के सेक्शन 3(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को 60 दिन का डिमाण्ड नोटिस जारी किया था। चूँकि ऋणी / ऋणियों ने भुगतान नहीं किया है अतः यह सूचना ऋणियों / जमानतकर्ताओं एवं सर्वसाधारण को दी जाती है कि उन परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में जिनका विवरण नीचे दिया गया है सेक्शन 3(4) के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया गया है। अतः ऋणी को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि अधोलिखित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन देन न करें एवं परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में किया गया कोई भी लेन देन पंजाब नैशनल बैंक के अधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणी / बंधककर्ता का नाम व पता	प्रभारित / बंधक / दृष्टिबंधक की गई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व हिस्सों सहित) का विवरण	डिमाण्ड नोटिस के दिन बकाया शेष	डिमाण्ड नोटिस की तिथि / कब्जा नोटिस की तिथि
1.	यासमीन खान पत्नी कुर्बान खान एवं कुर्बान खान पुत्र स्व0 शमशेर खान, मकान सं. 355/26, प्लॉट सं. 6-ख, शंजाजीपुरम, लखनऊ।	सम्पत्ति के सामिक बंधक यासमीन खान पत्नी कुर्बान खान, मकान सं. 355/26, प्लॉट सं. 6-ख, शंजाजीपुरम, लखनऊ, क्षेत्रफल 118.40 वर्ग मी0, बुक सं. 1, जिल्द सं. 3273, पेज सं. 277 – 308, क्र. सं. 1711, चौहद्दी डीड के अनुसार: पूर्व: सड़क 25 फीट, पश्चिम: श्रीमती इन्द्र मुखी का प्लॉट सं. 7, उत्तर: सड़क 10 फीट, दक्षिण: श्रीमती कृष्णा अस्पताल का प्लॉट सं. 6 क	रु. 7,76,504.24 + ब्याज एवं अन्य खर्च	21.11.2019 / 23.01.2020

दिनांक: 24.01.2020 — स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

Capital Trade Links Limited
CIN: L51909DL1984PLC019622
Reg. Off. - Capital House, B-4, LGF, Ashoka Niketan, Delhi - 110092
Website- www.capitaltrade.in, Email id: info@capitaltrade.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2019 (Rs in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter ended 30.09.2019 (Un-Audited)	Quarter ended 31.12.2018 (Un-Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from operations	93.67	99.11	111.33	428.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	56.14	40.25	54.35	181.43
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	56.14	40.25	54.35	181.43
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	40.87	25.88	39.22	128.97
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit / loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	40.87	25.88	39.22	128.97
6	Paid up equity share capital (face value of Rs. 1/- each)	539	509.80	509.80	509.80
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year	0	0	0	0
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualized, in Rs.) for continuing and discontinued operations				
	(a) Basic	.076	.051	.077	0.25
	(b) Diluted:	.076	.051	.077	0.25

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and also available on company website, www.capitaltrade.in.
2. The above standalone Financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2019 have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 23rd January, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting on January 23rd, 2020.

By order of the Board
For Capital Trade Links Limited
Sd/-
Vinay Kumar Chawla
(Whole Time Director)
DIN: 02618168
Place: New Delhi
Date : 24.01.2020

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

अलीगढ़ मुख्य शाखा
कोर्ट और वार्ड कम्पाउण्ड, गांधी पार्क, अलीगढ़

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी तालिका में उधारकर्ता के खाते, चुकाने वाली राशि सहित अन्य जानकारियां दी गयी है, को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के खिलाफ उल्लिखित तारीखों पर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ शाखा** को देय धनराशि प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेख में दिया गया है तथा उससे आगे का ब्याज शुल्क सहित देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते का नाम	उधारकर्ता का नाम (संपत्ति का मालिक)	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण (अचल)	डिमांड नोटिस की तारीख	कब्जे की सूचना चिपकाए जाने की तिथि	डिमांड नोटिस की तारीख के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री वाहिद पुत्र श्री अब्दुल वारिस, मैसर्स खुशनुमा स्क्रैप ट्रेडर्स	मैसर्स खुशनुमा स्क्रैप ट्रेडर्स, श्री वाहिद पुत्र श्री अब्दुल वारिस, श्रीमती शमीम बेगम पत्नी श्री अब्दुल वारिस	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जिसमें गोदाम भी है जिसका क्षेत्रफल 150.55 वर्ग मीटर है, जो बेक कस्बा, तहसील कोल और शहर या नगर अलीगढ़ में स्थित, खसरा नम्बर 2710 का भाग है जो उपजिला तहसील-कोल और जिला अलीगढ़ में पंजीकृत है। जिसकी सीमाऐं: जिसकी सेल डीड नम्बर-7670 दिनांक 31.10.2007 है में, उत्तर की ओर-रास्ता 8 फीट चौड़ा साईडस 108'6'', दक्षिण की ओर- भूप सिंह/ ईश्वरी देवी का घर साईडस 102'6'' पूरब की ओर-श्री शाऊ प्रसाद का घर साईडस 13'', पश्चिम की ओर-सड़क बाई पास रोड़) साईडस-17'6''	04.11.2019	20.01.2020	रू.4291618.70 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
2.	श्रीमती वीरमा सिंह / मैसर्स हर्षित पैकेजिंग	श्रीमती वीरमा सिंह, मैसर्स हर्षित पैकेजिंग	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जिसमें प्लॉट / निर्मित फैक्ट्री भी है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज 162.20 वर्ग मीटर है, जो खेत नम्बर-437 का भाग है जो अश्रफपुर जलाल, परगना और तहसील कोल, जिला अलीगढ़, यूपी में स्थित है जो उप जिला अलीगढ़ में पंजीकृत है। जिसकी सीमाऐं: सेल डीड नम्बर-7345 दिनांक 20.08.2009 है में, उत्तर की ओर-रास्ता 15 फीट चौड़ा 53.73, दक्षिण की ओर- अन्य का प्लाट 53.73 पूरब की ओर-गोवेन्द्र पाल सिंह का प्लाट 33.5, पश्चिम की ओर-श्री कमल कुमार शर्मा का प्लाट 33.5	04.11.2019	20.01.2020	रू.3130044.11 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
3.	श्री अजय कुमार यादव और श्री राज कुमार यादव	श्री अजय कुमार यादव और श्री राज कुमार यादव और श्री राम नरेश यादव	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग की जो खेत नम्बर-293, वैष्णो धाम कॉलोनी, धानीपुर, एटा चूंगी, अलीगढ़, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज या 133.78 वर्ग मीटर है जो उप जिला अलीगढ़, परगना और तहसील-कोल और जिला अलीगढ़ में पंजीकृत है। जिसकी सीमाऐं: टाइटल डीड में उत्तर की ओर-20 फीट चौड़ा रास्ता, माप 24 फीट, दक्षिण की ओर-सर्वेश कुमार शर्मा की सम्पत्ति, माप-24 फीट, पूरब की ओर-श्रीमती कैलाश देवी का घर, माप 60 फीट, दक्षिण की ओर-अन्य का घर माप 60 फीट।	01.08.2019	21.01.2020	रू.2525543.61 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
4.	श्री कुशाल पाल सिंह	श्री कुशाल पाल सिंह और श्रीमती ममता सिंह	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग की जो प्लाट नम्बर/ फैक्ट्री नम्बर/ फ्लैट नम्बर-सी-1, चौथी मंजिल, जूज बाग, खेत नम्बर-1367, खेत नम्बर-1, वैष्णो इस्टेट कस्बा कोल, श्याम नगर निकट मथुरा नगर, परगना और तहसील कोल, अलीगढ़ (यूपी) में श्री कुशाल पाल सिंह और श्रीमति ममता सिंह है जिसका सेल डीड नम्बर-9310 दिनांक 23.07.2010 है। जिसकी सीमाऐं: पूरब की ओर- रास्ता, लैफ्ट, पश्चिम की ओर-अराजी सेलर के बाद किसी और की सम्पत्ति, उत्तर की ओर-फ्लैट नम्बर-ए-2, दक्षिण की ओर- फ्लैट नम्बर-ए-3	01.08.2019	21.01.2020	रू.605793.42 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
5.	श्रीमती सुनीता अग्रवाल और श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल	श्रीमती सुनीता अग्रवाल और श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग की जो प्लाट नम्बर/ फैक्ट्री नम्बर/ फ्लैट नम्बर/ खेत नम्बर-125 का भाग, पाला साहिबाबाद, आर.के.पुरम, परगना और तहसील कोल, अलीगढ़ (यूपी) में स्थित जो श्रीमती सुनिता अग्रवाल के नाम है जिसका सेल डीड नम्बर-6922 दिनांक 25.09.2009 है। जिसकी सीमाऐं: पूरब की ओर- माप 36 फीट के बाद अराजी समिति, पश्चिम की ओर- माप 36 फीट के बाद रास्ता 25 फीट चौड़ा, उत्तर की ओर-माप 60 फीट के बाद अराजी श्री चरण सिंह और श्री मलखान सिंह, दक्षिण की ओर: माप 60 फीट के बाद श्रीमती संगीता वार्ष्णेय पत्नी श्री दीपेन्द्र कुमार का प्लाट।	05.06.2019	21.01.2020	रू.1054673.07 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
6.	श्री आकाश दीप भारद्वाज	श्री आकाश दीप भारद्वाज, श्रीमती मंजू लता शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र भारद्वाज, श्री राजन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर लाल	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग की जो खेत नम्बर में आवासीय घर जो खेत नम्बर-203 का भाग, गांव धानीपुर, परगना और तहसील-कोल, अलीगढ़ में स्थित है। जिसकी सीमाऐं: टाइटल डीड में उत्तर की ओर- विक्रेता की भूमि, माप 48', दक्षिण की ओर-विक्रेता की भूमि, माप 48', पूरब की ओर-अन्य व्यक्ति का प्लाट माप 37'6'', पश्चिम की ओर-रास्ता 15', माप 37'6''	10.06.2019	22.01.2020	रू.3443869.88 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।
7.	श्री आयुष वार्ष्णेय	श्री आयुष वार्ष्णेय और गारंटर श्रीमती सुनीता वार्ष्णेय	सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग जो खसरा नम्बर-42 का भाग, गांव चिन्तापुर, पगरना और तहसील हाथरस, जिसका क्षेत्रफल-0.117 में स्थित है जो श्री आयुष वार्ष्णेय पुत्र श्री राजीव कुमार वार्ष्णेय से सम्बंधित है। जिसका सेल डीड नम्बर-2635 दिनांक 22.04.2009 है। जिसकी सीमाऐ: टाइटल डीड में उत्तर की ओर- अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण की ओर- रोड़ के बाद मेन गेट, पूरब की ओर-लाला बाबू की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर-सुनील वार्ष्णेय की सम्पत्ति।	05.06.2019	22.01.2020	रू.9292121.52 एवं आगे का ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि।

दिनांक:23-01-2020 — प्राधिकृत, अधिकारी
स्थान: अलीगढ़ — बैंक ऑफ इंडिया

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank
पंजीकृत कार्यालय: सोधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
शाखा कार्यालय: एचडीएफसी बैंक, 1ला तल, 3रा पार्क स्ट्रीट, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, एमआई रोड, जयपुर, राजस्थान-302006

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

1. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम:** राम इंडस्ट्रीज, एफ-77, इंडस्ट्रियल एरिया, बिछावल, बीकानेर-334001 एवं साथ हीः बी-183 इंडस्ट्रियल ग्रॉथ सेन्टर खारा, बीकानेर-3334001, दिनेश कुमार, खण्डेलवाल, नरेश कुमार एवं खण्डेलवाल, उषा देवी गुप्ता एवं उमेश खण्डेलवाल, सभीः एच. नं. 2, मोहता क्यू के पास की गली, बीकानेर-334001, साथ हीः बी-183, इंडस्ट्रियल ग्रॉथ सेन्ट, खारा, बीकानेर-334001, मै. ऊषा इंडस्ट्रीज, साथ हीः बी-183, इंडस्ट्रियल ग्रॉथ सेन्ट, खारा, बीकानेर-334001, ऋण खाता सं. 1686609, ऋण राशिः रु. 30298133/- (रुपए तीन करोड़ दो लाख अन्ठानवे हजार एक सौ तैंतीस मात्र), मांग सूचना तिथिः 13.12.2019, मांग की गई राशिः रु. 1,10,59,337.96 (रुपए एक करोड़ दस लाख उन्सठ हजार तीन सौ सैंतीस तथा पैसे छियानवे मात्र) 13 दिसम्बर, 2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज आदि। एनपीए तिथिः 1.8.2019, प्रतिभूति का विवरणः सम्पत्ति सं. 1: उषा देवी गुप्ता, दिनेश कुमार खण्डेलवाल, उमेश कुमार खण्डेलवाल तथा राम इंडस्ट्रीज के नाम में सम्पत्ति एफ-77, बिछवाल इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर-334001, माप 1950 वर्ग मीटर, पंजीकरण दस्तावेजः सब-रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्सेस, बीकानेर के कार्यालय में बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 131, पेज नं. 55, क्रम सं. 2013005055 तिथि 29.3.2013 में। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः एफ-88, दक्षिणः एफ-76, पूर्वः रोड, पश्चिमः एफ-46, सम्पत्ति सं. 2: बी-183 इंडस्ट्रियल ग्रॉथ सेन्टर खारा, बीकानेर-3334001, माप 4000 वर्ग मीटर जो उषा इंडस्ट्रिज के नाम में उषा गुप्ता के माध्यम से दर्ज है। पंजीकरण दस्तावेजः सब-रजिस्ट्रार, बीकानेर के कार्यालय में बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1281, पेज नं.128 क्रम सं. 2010010728, तिथि 3.6.2010 को। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. बी-182 (ए), दक्षिणः प्लॉट नं. बी 183 (ए) पूर्वः प्लॉट नं. बी-188, पश्चिमः रोड नं. 30.00 मी. चौड़ा।
2. ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नामः स्वेत मार्बल प्रा.लि., 14 पोलो ग्राउण्ड, उदपुर-

ओएनजीसी को मिलीं 50 तेल, गैस क्षेत्रों के लिए 28 बोलियां

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ओएनजीसी को 64 छोटे और सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों में से 50 के लिए बोलियां मिली हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निजी कंपनियों को शामिल कर उत्पादन बढ़ाना है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 17 जनवरी को समाप्त बोली प्रक्रिया में 12 कंपनियों ने 50 क्षेत्रों के लिए 28 बोलियां लगाई हैं। ओएनजीसी ने 64 तेल एवं गैस क्षेत्रों को 17 तटवर्ती अनुबंध क्षेत्र में विभाजित किया था। इन स्थानों पर करीब 30 करोड़ टन तेल तथा तेल के बराबर गैस मौजूद है।

शेयर सूचकांक 271 अंक चढ़ा

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

बाजार में तीन दिन से जारी गिरावट पर गुरुवार को विराम लग गया और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 271 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में बिकवाली के बावजूद बैंक और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में तेजी से घरेलू बाजार में सुधार दर्ज किया गया।

उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में तीस शेयरों वाला सूचकांक 271.02 अंक यानी 0.66 फीसद मजबूत होकर 41,386.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 41,413.96 और नीचे में 41,098.91 अंक तक गया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73.45 अंक यानी 0.61 फीसद बढ़कर 12,180.35 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) सर्वाधिक लाभ में रहे। कंपनी का एकीकृत लाभ दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 15 फीसद बढ़कर 2,560.32 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद गुरुवार को कारोबार में कंपनी का शेयर 2.98 फीसद चढ़ गया। भारती एअरटेल का शेयर 1.8 फीसद मजबूत हो गया। कंपनी को समायोजित सकल आय (एजीआर) की मद में 35,586 करोड़ रुपए का बकाया देना है।

सेबी का गड़बड़ी पर अंकुश के लिए कृत्रिम मेधा जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रहेगा जोर

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने गुरुवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक बाजार में गड़बड़ी की अंदेशे को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने और उसका विश्लेषण करने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी हासिल करने पर ध्यान दे रहा है।

उन्होंने शहर के समीप पतालगंगा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में कहा कि हाजिर बाजार में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, बड़े आंकड़ों के विशलेषण की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। त्यागी ने कहा-मानक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बाजार में गड़बड़ियों का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये उपकरण केवल कीमत और मात्रा से जुड़े उपलब्ध आंकड़े का ही विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा- हम प्रौद्योगिकी और बिखरे आंकड़े के विश्लेषण की क्षमता चाहते हैं क्योंकि उपलब्ध आंकड़े के विश्लेषण से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। गड़बड़ी करने वाले ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए निविदा भी जारी की गई है।

सेबी प्रमुख ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआइ) और मशील लर्निंग प्रौद्योगिकी में प्रतिभूति बाजार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है। ब्लॉकचेन का उपयोग समाशोधन और निपटान गतिविधियों में किया जा सकता है। एआई और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग पूंजी बाजारों में कोष प्रबंधन, व्यापार निगरानी और निगरानी कार्यों में बढ़ रहा है।

सीआइआइ की घर खरीदारों को अधिक कर लाभ देने की वकालत

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

देश के प्रमुख उद्योग मंडल सीआइआइ ने घर खरीदारों को बजट में अधिक कर लाभ दिए जाने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने कहा है कि नकदी संकट से जूझ रहे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए आगामी बजट में घर खरीदारों को मिलने वाले कर लाभ बढ़ाए जाने चाहिए।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने कहा है कि छह से सात फीसद की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर हासिल करने के लिए आवास क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए बेहतर योजना लाना काफी महत्त्वपूर्ण है। उद्योग संगठन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदारों के लिए तय आय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

'पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए'

इंदौर, 23 जनवरी (भाषा)।

केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने से पहले मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने पेट्रोलियम पदार्थों को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए जाने की गुरुवार को वकालत की।

राठौर ने यहां संवाददाताओं से कहा- मेरा व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट मत है कि केंद्र सरकार को पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिये, ताकि देश के गरीबों, किसानों और आम लोगों को फायदा हो। गौरतलब है कि पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी के दायरे से बाहर होने के कारण राज्य सरकारें इन पर अलग-अलग दरों से मूल्य संवर्धित कर (वैट) और अन्य कर-उपकर वसूल रही हैं। इस वसूली का राज्य सरकारों के कर राजस्व में बड़ा योगदान है।

रिलायंस जियो ने एजीआर के पूरे वैधानिक बकाए का भुगतान किया

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

रिलायंस जियो ने समायोजित सकल आय (एजीआर) के पूरे वैधानिक बकाये का गुरुवार को भुगतान कर दिया। कंपनी ने 31 जनवरी 2020 तक एजीआर से जुड़े पूरे बकाए का भुगतान करने के लिए दूरसंचार विभाग को 195 करोड़ रुपए चुका दिए। इसी के साथ जियो शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में एजीआर का भुगतान करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा- रिलायंस जियो ने एजीआर के लिए 195 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें अग्रिम राशि भी शामिल है जिसे कंपनी ने जनवरी 2020 के लिये भुगतान किया है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्तूबर, 2019 के फैसले के मुताबिक सरकारी राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ था।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

असारी रोड शाखा
3, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली- 110002,
फोन: 23250193, 23250072, 2325013, फैक्स: 011-23280192
ईमेल आईडी: ansariroad.newdelhi@bankofindia.co.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.9.2019 जारी कर ऋणधारकों 1) श्री सुभाष कुमार 2) श्रीमती पूनम को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.8.2019 को रु. 2025547.79 (रुपये बीस लाख पच्चीस हजार पांच सौ सैंतालिस एवं पैसे उन्यासी मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक आगे के ब्याज, चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

209, भू तल, पॉकेट-III, जनता फ्लैट, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063 में निर्मित अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी: उत्तरः सम्पत्ति सं. 210, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 208, पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

तिथि: 22.1.2020 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड
(भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)
नोट मुद्रण नगर, मैसुरु - 570 003

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा)

1. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में कार्यालय उपयोग के लिए भाडे पर वाहनों की आपूर्ति। निविदा संख्या 108/MYS/MMD/2019-20 - अनुमानित मूल्य: ₹ 30 लाख
2. बीआरबीएनएमपीएल, नोट मुद्रण नगर, मैसूरु में रेलवे साइडिंग का वार्षिक रखरखाव अनुबंध। निविदा संख्या 110/MYS/CIVIL/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 28.50 लाख
3. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु टाउन शिप में शौचालयों की मरम्मत (सीपेंज) और शौचालयों का संशोधन। निविदा संख्या 113/MYS//CIVIL/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 27 लाख
4. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में केंद्रिकृत वातानुकूलन संयंत्र के लिए कार्यप्रणाली और रखरखाव। निविदा संख्या 115/MYS/MAINT (U)/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 70.58 लाख
5. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में उपयोगिता उपकरणों (गृह व्यवस्था) का संचालन और रखरखाव। निविदा संख्या 116/MYS/MAINT (U)/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 157.97 लाख
6. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु में उपहार के लिए वस्तुओं की आपूर्ति। निविदा संख्या 119/MYS/MMD/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 38.52 लाख
7. बीआरबीएनएमपीएल, मैसुरु में कर्मचारियों के लिए जूतों की आपूर्ति। निविदा संख्या 124/MYS/MMD/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 34.22 लाख
8. बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु से सडक मार्ग द्वारा संवेदनशील सामग्री के परिवहन के लिए अनुबंध के आधार पर परिवहन सेवाएँ। निविदा संख्या 127/MYS/MMD/2019-20- अनुमानित मूल्य: ₹ 406.11 लाख

उपरोक्त सभी निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 26.02.2020 को 1430 बजे तक है। निविदा दस्तावेज और अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.brbnmpl.co.in पर जाएं। आगे जो भी विस्तार या संशोधन होगा उसे सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

महाप्रबंधक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
हापुड़ (मुख्य) शाखा, त्रिवेणी गंज, हापुड़, जिला गाजियाबाद-245101 यू.पी.

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा, हापुड़ शाखा, यू.पी. का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऋण धारक श्रीमती समृद्धि त्यागी पत्नी श्री पंकज त्यागी और गारंटर श्री पंकज त्यागी पुत्र श्री राधेश्याम त्यागी को मांग सूचना दिनांक 12.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 15,81,653/- (रु. पंद्रह लाख इक्यासी हजार छः सौ तिरेप्पन मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से ब्याज, लागत, आकस्मिक और अन्य प्रभार इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 21.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार वास्ते रू 15,81,653/- (रु. पंद्रह लाख इक्यासी हजार छः सौ तिरेप्पन मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से ब्याज, लागत, आकस्मिक और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सी-55, मोहल्ला संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड़-245101 में स्थित, क्षेत्रफल 51.18 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती समृद्धि त्यागी के नाम पर है। चौहद्दी: पश्चिम में - 7.5 मी. चौडी रोड, पूरब में - अन्य का मकान, दक्षिण में - मकान नं. सी-56, उत्तर में - 7.5 मी. चौडी रास्ता

दिनांक : 21.01.2020, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामलें में

तथा

न्यूक्वेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U65999DL2003PLC119508) जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

श्री मंजेरी विष्णनाथन सुन्दरेश्वरण
निदेशक
न्यूक्वेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
ई-मेल: scet.newquestservices@avanthaholdings.com

कृते एवं हेतु न्यूक्वेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
मंजेरी विष्णनाथन सुन्दरेश्वरण
निदेशक
डीआईएन: 08331786

दिनांक: 23.01.2020
स्थान: नई दिल्ली

नोट: जो भी लागू होने योग्य नहीं हैं उसे काट दें।

होम एक्स्पो प्रदर्शिनी का आयोजन - सिंडिकेट बैंक

गाजियाबाद जिला के अग्रणी बैंक, सिंडिकेट बैंक द्वारा दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होम एक्स्पो प्रदर्शिनी का आयोजन सिंडिकेट बैंक, राजनगर शाखा, आर डी सी, महालक्ष्मी मॉल पर किया जाएगा। जिसमें कि नगर के जाने माने विभिन्न बिल्डर (भवन निर्माताओं) द्वारा आकर्षक प्रस्तावों के साथ प्रतिभाग किया जाएगा इस अवसर पर बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को मौके पर कम ब्याज दर (8%)* पर नए गृह ऋण स्वीकृत किए जाएंगे व साथ-साथ किसी अन्य संस्था/बैंक से लिए गए गृह ऋण को भी बिना किसी प्रक्रिया शुल्क लिए टेक ओवर किया जाएगा बैंक द्वारा बचत खाते में उपलब्ध धनराशि का लाभ गृह ऋण पर लगने वाले ब्याज से समायोजन करने की अनूठी पेशकश भी ग्राहकों को उपलब्ध रहेगी। जनमानस से अनुरोध है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं व जिले के अग्रणी बैंक से नाता जोड़ें व अपना घर लेने का सपना साकार करें।

नियम व शर्तें लागू*

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लाट सं 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा पॉलिसी के नवीकरण हेतु बोलियाँ प्रेषितन करने के लिए सूचना - वेतन खाता धारकों (बेनाम आधार पर)

पंजाब नैशनल बैंक आरएफपी में उल्लेखित विवरणों के अनुसार सामान्य बीमा कंपनियों से सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा पॉलिसी - वेतन खाता धारकों (बेनाम आधार पर) के नवीकरण पर सीलबंध बोलियाँ आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Tender.aspx पर जाएं। पात्र कंपनियां अपनी बोलियां 05.02.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक या इससे पहले उप महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को प्रेषित करें।

मुख्य प्रबंधक

पीएनआर कैपिटल सर्विसेस लि.
CIN: U74899DL1985PLC022553
पंजीकृत कार्यालय का पता: यूनिट नं. 203, 2रा तल, एमजी सेन्ट्रल, सुल्तानपुर, एम.जी. रोड, नई दिल्ली-110030

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न शेयरधारकों से कम्पनी ने यह सूचना प्राप्त की है कि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार इक्विटी शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र कथित रूप से गुम/ स्थानच्युत/ चोरी हो गई है तथा शेयरधारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन किया है:

क्रम सं.	नाम	फोलिओ नं.	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयर
1.	मोहन सैठी (पंकज सैठी)	0001947	002495	968401-968500	100

एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि किसी भी रूप में उक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद या व्यवसाय न करें। यदि किसी व्यक्ति का उक्त प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नीचे वर्णित पते पर कंपनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं की जाएगी तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई करेगी। यदि कोई व्यक्ति उक्त शेयर प्रमाणपत्रों का व्यवसाय करते हैं तो ऐसे वे स्वयं की लागतों तथा परिणामों पर करेंगे तथा इसके लिए किसी भी रूप में कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगा।

पीएनआर कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
राजीव कुमार रेलान
प्रबंध निदेशक
DIN: 00038665

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22.01.2020
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 203, 2रा तल, एमजी सेन्ट्रल, सुल्तानपुर, एम.जी. रोड, नई दिल्ली-110030

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

डीएसआर इंडिया इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	डीएसआर इंडिया इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05/11/2015
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102DL2015PTC287147
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	हाउस नं. 34, आउट ऑफ खसरा नंबर 109 / 2 गली नंबर 16 फतेहाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली उत्तर पश्चिम - 110084, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	21/01/2020
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की यूनानुमानित तिथि	18/07/2020 (दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	हरीश तनेजा पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	पता: 236-एल, मॉडल टाउन, गुरुद्वारा अस्पताल के पास, सोनीपत -131001 ईमेल: harishtaneja78@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पता: 606 अनुपम टॉवर, ग्रेन ट्रेड सेंटर, सेक्टर -11, रोहिणी, नई दिल्ली - 110085 ईमेल: corp.dsr@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04/02/2020 यानी अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति से 14 दिन
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 के 4 उप-धारा (6ए) के क्लॉज (खं) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) सबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	वेबसाईट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड 7वीं मंजिल, नवुर भवन, जंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली -110001 दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 21 जनवरी, 2020 को डीएसआर इंडिया इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

डीएसआर इंडिया इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 04 फरवरी 2020 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष फार्म आईटम 10 में सबूत सहित मय एक इस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बंधित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि का प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निर्दिष्ट करेगा-लागू नहीं

दावे के फर्मों अथवा बैंक प्रमाण की प्रस्तुति देखनीय होगी।

हस्ता/-
हरीश तनेजा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229

दिनांक : 23 जनवरी 2020
स्थान : नई दिल्ली

SICOM LIMITED
Regd. Office: Solitaire Corporate Park, Building No. 4, 6th Floor, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093
Tel.: 022-6657 2700

CANCELLATION OF PUBLIC AUCTION SCHEDULED ON JANUARY 29, 2020

Please be informed that the Public Auction of mortgaged assets of 'BODHISATTVA ESTATES PVT LIMITED' scheduled on January 29, 2020 at 3.00 p.m. at SICOM's registered office at Mumbai, in terms of the public auction notice dated December 26, 2019 published in Financial Express (Delhi Edition) and Jansatta (Delhi Edition) has been cancelled. The revised auction notice will be issued shortly.

Date: January 24, 2020 Sd/-
Place: Mumbai Authorized Officer

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
शाखा : प्रशान्त विहार, ई-6, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110005
फोन : 011-47056876, 27550006
ईमेल: prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशांत विहार शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री अशरफ अली और अम्ना बेगम को मांग सूचना दिनांकित 04.11.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 21,48,909.28 (रुपये इक्कीस लाख अडतालीस हजार नौ सौ नौ और पैसे अट्ठाईस मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 22.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशान्त विहार शाखा के प्रभार वास्ते रु. 21,48,909.28 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 257, द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, टाईप ए, पॉकेट - 1, सैक्टर-25, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में - रोड, दक्षिण में - फ्लैट नं. 244, पूरब में - फ्लैट नं. 256, पश्चिम में - रास्ता अब फ्लैट नं. 258

दिनांक : 22.01.2020, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय एवं कार्य. 7वां कि.एम बरवाला रोड, तलवंडी राणा, हिसार-125001 (हरियाणा)
ईमेल आईडी: arcsend@gmail.com,
फोन नं.: 95120-20111, 95120-40111
सीआईएन: L29120HR1992PLC031661

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ, 31.12.2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा मंजूरी हेतु निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020, को आयोजित की जाएगी।

कृते आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(सृष्टि)
कंपनी सचिव

स्थान: हिसार (हरियाणा)
दि

एनपीआर में बदलाव पर सहयोगी खुश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

भाजपा के सहयोगी दलों ने गुरुवार को केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया कि एनपीआर के दौरान माता-पिता के बारे में जानकारी देना वैकल्पिक होगा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि इससे इस विषय पर भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार को सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में उन कुछ प्रश्नों के उत्तर वैकल्पिक होने चाहिए जिनसे लोगों के बीच संशय की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं।

चिराग ने कहा कि हो सकता है कि कई लोगों के पास उनके माता-पिता के जन्म का ब्योरा नहीं हो और विपक्षी दल पूरे मुद्दे का इस्तेमाल अपनी विभाजनकारी राजनीति और संशय फैलाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है और उनकी पार्टी इसका स्वागत करती है। जद (एकी) के एक वरिष्ठ नेता ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इस मुद्दे पर उठी सभी चिंताओं का समाधान निकलेगा।

'फिलहाल दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ नहीं करें कोई कार्रवाई'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

दूरसंचार विभाग ने सभी संबद्ध विभागों को निर्देश दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अंतिम तिथि तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तहत बकाए का भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करें। यह निर्देश दूरसंचार विभाग की लाइसेंसिंग फाइनेंस पालिसी विभाग ने जारी किया है।

भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक लाइसेंसिंग फाइनेंस पालिसी इकाई के निदेशक ने यह निर्देश दिया है कि अगर दूरसंचार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक समायोजित सकल आय के बकाए का भुगतान तय समयसीमा में नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint R/w sec.- 138 of N.I.ACT
CNR NO: PBLD03-014082-2019
PESHI: 15-02-2020
M/s Deep Tools Pvt Ltd
V/s
M/s Koyas Metal House
Notice to:1. M/s koyas metal house, court road, calicut, (kerala) through mr. Shaukat partner of the firm 2. Shaukat (partner) m/s koyas metal house, court road, calicut (kerala)
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the Accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 15-02-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?this=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In the court of Sh. Devnoor singh JMIC Ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint R/w sec.- 138 of N.I.ACT
CNR NO: PBLD03-024201-2019
PESHI: 15-02-2020
M/s Ramneek International Pvt Ltd
V/s
M/s Namdhari Traders
Notice To:1. M/s Namdhari Traders, Through Its Partners Sh. Hira Singh & Atinder Kaur, Village Kalehli, Bajaura, Tehsil, Bhuntar, Kullu, Himachal Pradesh-175101 2. Hira Singh S/o Not Known, Partner M/s Namdhari Traders, Village Kalehli, Bajaura, Tehsil Bhuntar, Kullu, Himachal Pradesh-175101 3.atinder Kaur W/o Hira Singh Partner M/s Namdhari Traders, Village Kalehli, Bajaura, Tehsil Bhuntar, Kullu, Himanchal Pradesh-175101
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 15-02-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?this=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

फॉर्म नंबर आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
गुरतेज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-21, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 के मामले में **याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए 01/2019-2020 पर सदस्यों की असाधारण आम सभा **04/01/2020** को आयोजित हुई, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** से **'उत्तर प्रदेश राज्य'** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी **शपथ-पत्र सरकार एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक का क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं तथा नकीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी:
ए-21, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025
उनके लिए और उनकी ओर से
गुरतेज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
सुरेन्द्र सिंह बंसल
निदेशक
दिनांक: 04/01/2020
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 02843891

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
Regd Office : G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044
CIN : L51909DL1983PLC016907
Website : http://www.blsinternational.com
Email : compliance@blsinternational.net
Contact no. +91 11-46990006
NOTICE
Pursuant to Provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, February 01, 2020 at 3:00 P.M. at 1st Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Third Quarter ended 31st December 2019.
Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing in the securities of the Company already closed for Directors, Officers and Designated Employees of the Company will reopen 48 hours after the Unaudited Financial Results for the Third Quarter ended 31st December, 2019 are made public on February 01, 2020.
The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.blsinternational.com and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) www.nseindia.com, BSE Limited www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. www.msei.in
By Order of the Board
For BLS International Services Ltd.
Sd/-
Archana Maini
(General Counsel & Company Secretary)
M.No: 16092
Place : New Delhi
Date : 23.01.2020

होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
Home Shree Your Trust, Our Pride
पंजीकृत कार्यालय : 105, अंसल प्लाज़ा बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-43560367, 43560381 सीआईएन: U65191DL2010PLC206137
नीलामी सह बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना
शुद्धिपत्र
इस समाचार पत्र में दिनांक 23-जनवरी-2020 को प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में
1) कृपया होमश्री ए होम श्री को एक नाम "होमश्री" ही पढ़ा जाए।
2) किसी भी विवाद की स्थिति में हमारे द्वारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "अंग्रेजी" का विज्ञापन ही मान्य होगा।
हस्ता/ प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली तिथि : 23.01.2020 होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

मुथूट होमफिन (इंडिया) लि.
Muthoot Finance
कॉर्पोरेट कार्यालय: 1201 एवं 1202, 12वाँ तल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे, गोड़ेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24.7.2019 जारी कर ऋणधारक श्री कर्ण सिंह, श्री कौशल को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.7.2019 को रु. 19,63,301/- (रुपये उन्नीस लाख तिड़ेसठ हजार तीन सौ एक मात्र) के साथ 24% प्रति वर्ष की अनुबंधित दर पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज तथा चार्जेज, लागत आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,63,301/- (रुपये उन्नीस लाख तिड़ेसठ हजार तीन सौ एक मात्र) के साथ 1.8.2019 से 24% की दर से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के लिये मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
अचल सम्पत्तियां: मकान सं. 41, खसरा नं. 820, माप 100 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 83.61 वर्ग मी., लक्ष्मी लैंड सिटी, ग्राम-मीरपुर हिन्दू, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विशेष रूप से विवरण उप रजिस्ट्रार-V, गाजियाबाद, उ.प्र. में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 5180/2018, बुक नं. 1, वॉल नं. 7129, पेज 281 से 354, तिथि 6.7.2018 में दिया गया है। जिसकी चौहद्दी: उत्तरः प्लॉट नं. 26, दक्षिणः 15 फीट रोडर, पूर्वः 20 फीट रोडर, पश्चिमः प्लॉट नं. 40
तिथि: 22.1.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड

मुथूट होमफिन (इंडिया) लि.
Muthoot Finance
कॉर्पोरेट कार्यालय: 1201 एवं 1202, 12वाँ तल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.09.2019 जारी कर ऋणधारक श्री मनीष यादव, श्रीमती मुन्नी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 31.7.2019 तक सूचना में वर्णित राशि रु. 8,79,317/- (रुपये आठ लाख उन्यासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) के साथ 24% प्रति वर्ष की अनुबंधित दर पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज तथा चार्जेज, लागत आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जनवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 8,79,317/- (रुपये आठ लाख उन्यासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) के साथ 01.08.2019 से 24% की दर से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के लिये मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
अचल सम्पत्तियां : खसरा सं. 535एम, प्लॉट सं. 162, ग्राम चिपयाना बुजुर्ग, परगना एवं तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विशेष रूप से विवरण संयुक्त उप रजिस्ट्रार, दादरी के कार्यालय में 8231 के साथ दस्तावेज के रूप में पंजीकृत बिक्री प्रलेख, दिनांक 21.05.2011 में दिया गया है। जिसकी चौहद्दी: उत्तर : प्लॉट सं. 161, दक्षिण : प्लॉट सं. 163, पूर्व : 19 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 169.
तिथि: 22.1.2020 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नोएडा मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BALLARPUR INDUSTRIES LTD.
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	Ballarpur Industries Limited.
2.	Date of incorporation of corporate debtor	April 26, 1945
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act/ Registrar of Companies-Mumbai
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L21010MH1945PLC010337
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Registered Office :** P.O. Ballarpur Paper Mills - 442901, District Chandrapur, Maharashtra. **Head Office :** First India Place, Tower-C, Block-A, Sushant Lok I, Mehrauli Gurgaon Road, Gurugram - 122002. **Shreegopal Plant** Jagadhari Road, Yamuna Nagar, Haryana 135001 **Other Principal Office :** Unit Kamalapuram, Mangapet Mandal, District Warangal - 506 172, Telangana
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	January 17, 2020 (Order uploaded on NCLT website on January 22, 2020)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	July 15, 2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Divyesh Desai IBBI/PA-001/IP-P00169/2017-18/10338
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	B2 402B Marathon Innova, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 divyeshdesai@singhico.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	B2 402B Marathon Innova, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 divyeshdesai@singhico.com
11.	Last date for submission of claims	February 5, 2020 (being 14 days from the date of receipt of order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a)Weblink:**https://ibbi.gov.in/home/downloads** (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Ballarpur Industries Ltd. on January 17, 2020. The creditors of Ballarpur Industries Ltd., are hereby called upon to submit their claims with proof on or before February 5, 2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The Financial Creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
Date : January 23, 2020
Place : MUMBAI
Sd/-
Divyesh N Desai
IBBI/PA-001/IP-P00169/2017-18/10338

यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :
पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.)
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम 29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2020 को अपराह्न 01:30 बजे, महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यसूची के अनुसार अन्य विषयों के साथ बिना लेखा परीक्षा के दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।
कृते यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड
हस्ता/-
(मनीष कुमार सिंह)
कम्पनी सचिव
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.01.2020

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
UNO MINDA
CIN: L74899DL1992PLC050333
Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 Website: www.unominda.com
E-mail: tksrivastava@mindagroup.com
Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन, 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 6 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.unominda.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली तरुण कुमार श्रीवास्तव
तिथि: 23 जनवरी, 2020 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना
ओ.ए. नं. 596/2019
भारतीय स्टेट बैंक आवेदक
बनाम
प्रियंका चोपड़ा प्रतिवादीगण
सेवा में,
डी-1, प्रियंका चोपड़ा, निवासी 376, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, डॉन बॉस्को स्कूल के निकट, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110019
जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 9.3.2020 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज 23 दिसम्बर, 2019 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी-III, नई दिल्ली

शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस क. लि.
शुभम
कॉर्पोरेट कार्यालय: 425, उद्योग विहार फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल: customercare@shubham.co, वेबसाईट: www.shubham.co
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (यहां के बाद शुभम वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2289723/- 31.12.2019 को तथा 01.01.2020 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य चार्जेज एवं लागत नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	ऋण सं./ऋणधारक (कों) सह-ऋणधारक	मांग सूचना राशि	मांग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति	एफिक्सेशन की तिथि
1.	0DEL1703000005004702 हरकेश, विजय, माया देवी	रु. 608473/-	25.10.2019	सम्पत्ति सं. ए-133, खसरा नं. 197, जगतपुरी इलाका, शाहदरा पूर्व, दिल्ली-110093	20.1.2020
2.	0PRV1805000005012669 राम कुमार, सुनीता देवी	रु. 1449852/-	25.10.2019	एफ.नं. 201, एसएफ, पी नं.-1074/1, ख.नं. 1074, ग्राम कापसहेरा का विस्तारित लाल डोरा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110037	20.1.2020
3.	0DEL1710000005008727 संजय, सुदेश	रु. 10,46,631/-	25.10.2019	खेवट नं. 180/175, खतोनी नं.-280 खसरा नं.-3080(0-14), ग्राम-बहादुरगढ़, हरियाणा	20.1.2020

स्थान: गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 23.01.2020 शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लि.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा/ सम्पर्क नं. - 7838324723
परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की सौरभ बंसल, अशोक बंसल, सौरभ इंडिया प्रा. लि. सुनीता बंसल (ऋणधारक-सह-ऋणधारकों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 9.4.2019 को आईएनआर 26697422.43/- की वसूली के लिये 14.02.2020 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य आईएनआर 1,95,00,000/- (रुपये एक करोड़ पंचानवे लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 19,50,000/- (रुपये उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) होगी।
अचल सम्पत्ति का विवरण
ग्रेटर कैलाश-II, ग्राम बहापुर, नई दिल्ली-110048 में स्थित सम्पत्ति सं. ई-345, भू तल 'उक्त तल' के पते में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। पूर्वः प्लॉट नं. ई-343, पश्चिमः प्लॉट नं. ई-347, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः सड़क।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।
डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 21.1.2020 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
IndiaShelter
पंजी. कार्या.: प्लॉट-15, छठा तल, सेक-44, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002
मांग सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित ऋणधारकों जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त की है जिन्होंने आईएसएफसीएल को अपने ऋण के इक्वेटेड मासिक किश्तों (ईएमआई) के भुगतान में चूक की है तथा उनकी ऋण खाता को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणधारकों ने आईएसएफसीएल को अचल परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस तिथि को आईएसएफसीएल को ऋणधारकों पर बकया तथा देय ऋण तथा राशि को नीचे दर्शाया गया है। एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न ऋणधारकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है तथा अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सूचना जारी किया है जिसका विवरण इस प्रकार है: यदि ऋणधारक इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी उसका कब्जा तथा बिक्री करने के अधिकार सहित सरफैसी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। आम जनता को सलाह दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का व्यवसाय न करें।

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टर/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम, ऋण खाता सं.	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (अचल सम्पत्तियों का विवरण)	मांग सूचना तिथि एवं राशि
1.	पुष्पा वर्मा, विजय वर्मा तथा अंकिता वर्मा, सभी निवासी: सरकारी स्कूल के निकट, सेक्टर-141, शाहदरा, गौतम बुधनगर-201304, उ.प्र. सभी का अन्य पता: बिल्डिंग नं. 82, ग्राम भंगेल, सोनार वाली गली, नोएडा, गौतम बुध नगर, नोएडा-201301 विनय व

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement.)

HindPrakash HINDPRAKASH INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as Hindprakash Lonsen Industries Private Limited under the provisions of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated November 11, 2008 issued by the Assistant Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Further, pursuant to Shareholder's Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on February 16, 2018, the name of our Company was changed to Hindprakash Industries Private Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated March 14, 2018 issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on November 15, 2018 and consequent upon conversion, the name of our Company was changed to Hindprakash Industries Limited vide a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad dated November 29, 2018 bearing Corporate Identity Number U24100GJ2008PLC055401. For further details please refer to chapter titled "General Information" and "History and Certain Corporate Matters" beginning on pages 48 and 131 respectively.

Registered Office: 301, Hindprakash House, Plot No.10/6, GIDC, Vatva, Ahmedabad- 382445, Gujarat, India
Tel: +91-79-6812 7000-10 | **Fax No.:** +91-79 6812 7096 | **Email:** info@hindprakash.com | **Website:** www.hindprakash.in
CIN: U24100GJ2008PLC055401 | **Contact Person:** Mr. Hetal Kishorbhai Shah, Chief Financial Officer

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 28,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF HINDPRAKASH INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "HIL" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 40 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 30 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1152 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UPTO 1,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. UPTO 27,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 40 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1092 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.63% AND 26.19%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 238.

ISSUE **OPENED ON: WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020**
CLOSED ON: FRIDAY, JANUARY 17, 2020

PROPOSED LISTING: JANUARY 27, 2020*

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated November 11, 2019 from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the EMERGE Platform of NSE. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of NSE beginning on page 232 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited.

**Subject to the receipt of listing and trading approval from the NSE EMERGE Platform.*

All Applicants were allowed to participate in the Issue either through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") or through UPI Mechanism.

SUBSCRIPTION DETAILS

The issue has received 647 applications for 5778000 equity shares resulting in 2.00 times subscription (including reserved portion of Market maker).

The details of applications received in the issue (before technical rejections) are as follows:

Category	No. of applicants	%	No. of Equity shares	%	Subscription (times)*
Market Maker	1	0.15	150000	2.60	1
Retail Individual Investors	580	89.65	1740000	30.11	1.27
Other than retail individual Investors	66	10.20	3888000	67.29	2.85
Total	**647**	**100**	**5778000**	**100**	**2.00**

** Subscription times have been computed based on the issue size as per the Prospectus.*

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds (including withdrawal) are detailed below:

Category	No. of applicants	No. of Equity shares
Market Maker	Nil	Nil
Retail Individual Investors	38	114000
Other than retail individual Investors	2	48000
Total	**40**	**162000**

After eliminating technically rejected applications, the following table gives us category wise net valid applications:

Category	No. of applicants	%	Issue Size	No. of valid shares applied	% of Total Applied	Subscription (times)
Market Maker	1	0.16	150000	150000	2.67	1
Retail Individual Investors	542	89.30	1365000	1626000	28.95	1.19
Other than retail individual Investors	64	10.54	1365000	3840000	68.38	2.81
Total	**607**	**100**	**2880000**	**5616000**	**100**	**1.95**

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – National Stock Exchange of India Limited on January 22, 2020.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 40/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1 time. The total number of shares allotted in this category are 1,50,000 Equity Shares.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% To Total	Total No. of shares applied in each category	% To Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
1,50,000	1	100	1,50,000	100	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1:1		1	1,50,000	0
Grand Total	**1**	**100**	**1,50,000**	**100**	**1,50,000**	**1,50,000**	**1,50,000**			**1**	**1,50,000**	**0**

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 40/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.19 times. The total number of shares allotted in this category are 1365000 Equity Shares to 455 successful applicants.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% To Total	Total No. of shares applied in each category	% To Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
3000	542	100	16,26,000	100	13,65,000	2518.45	3000	68	81	455	13,65,000	0
Grand Total	**542**	**100**	**16,26,,000**	**100**	**13,65,000**	2518.45	3000	**68**	**81**	**455**	**13,65,000**	**0**

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Non Institutional Investors, at the issue price of ₹ 40/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 2.81 times. The total number of shares allotted in this category are 1365000 Equity Shares to 62 successful applicants.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% To Total	Total No. of shares applied in each category	% To Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant (before rounding off)	Allocation per Applicant (after rounding off)	Ratio of allottees to applicants: RATIO 1	Ratio of allottees to applicants: RATIO 2	Number of successful applicant (after rounding off)	Total no. of Shares Allocated/ allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
6000	7	10.93	42000	1.09	14930	2132.86	3000	5	7	5	15000	70
9000	4	6.24	36000	0.93	12797	3199.25	3000	1	1	4	12000	-797
12000	6	9.37	72000	1.87	25594	4265.67	3000	1	1	6	18000	-7594
		0.00		0.00			3000	1	2		9000	9000
15000	9	14.05	135000	3.51	47988	5332	3000	1	1	9	27000	-20988
		0.00		0.00			3000	7	9		21000	21000
18000	4	6.24	72000	1.87	25594	6398.5	6000	1	1	4	24000	-1594
		0.00		0.00			3000	1	4		3000	3000
24000	1	1.56	24000	0.62	8531	8531	9000	1	1	1	9000	469
27000	6	9.37	162000	4.21	57586	9597.67	9000	1	1	6	54000	-3586
		0.00		0.00			3000	1	6		3000	3000
30000	3	4.68	90000	2.34	31992	10664	9000	1	1	3	27000	-4992
		0.00		0.00			3000	2	3		6000	6000
33000	1	1.56	33000	0.85	11730	11730	12000	1	1	1	12000	270
45000	3	4.68	135000	3.51	47988	15996	15000	1	1	3	45000	-2988
		0.00		0.00			3000	1	3		3000	3000
48000	1	1.56	48000	1.25	17063	17063	18000	1	1	1	18000	937
51000	4	6.24	204000	5.31	72516	18129	18000	1	1	4	72000	-516
54000	1	1.56	54000	1.41	19195	19195	18000	1	1	1	18000	-1195
60000	2	3.12	120000	3.12	42656	21328	21000	1	1	2	42000	-656
75000	1	1.56	75000	1.95	26660	26660	27000	1	1	1	27000	340
81000	1	1.56	81000	2.11	28793	28793	30000	1	1	1	30000	1207
120000	2	3.12	240000	6.25	85313	42656.5	42000	1	1	2	84000	-1313
123000	4	6.24	492000	12.81	174891	43722.75	42000	1	1	4	168000	-6891
		0.00		0.00			3000	1	2		6000	6000
300000	2	3.12	600000	15.62	213281	106640.5	105000	1	1	2	210000	-3281
		0.00		0.00			3000	1	2		3000	3000
375000	1	1.56	375000	9.76	133301	133301	132000	1	1	1	132000	-1301
750000	1	1.56	750000	19.53	266601	266601	267000	1	1	1	267000	399
Grand Total	**64**	**100**	**3840000**	**100**	**1365000**					**62**	**1365000**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on January 23, 2020 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. National Stock Exchange of India Limited and has authorized the corporate action for allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The Refund/allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about January 24, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to January 23, 2020. In case the same is not received within ten days, investors may contact Registrar at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated January 07, 2020 ("Prospectus").

In terms of Prospectus dated January 07, 2020 and as per Regulation 253 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to Public shall initially be made available for allotment to a) Retail Individual Investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to b) individual applicants other than retail investors and other investors including corporate bodies / institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net issue to any one of the categories specified in (a) or (b) shall/may be made available for allocation in any other category, if so required. Explanation: Chapter IX, part VIII (253) of SEBI (ICDR) Regulation, 2018. if the retail individual investor is entitled to more than fifty percent, on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue **Bigshare Services Pvt. Ltd.** at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged, UPI details and payment details at the address of the Registrar given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400059, Maharashtra India
Tel No.: +91-22-6263 8200 | **E-mail :** ipo@bigshareonline.com | **Website:** www.bigshareonline.com;
Contact Person: Swapnil Kate | **SEBI Registration No:** INR000001385

FOR HINDPRAKASH INDUSTRIES LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sanjay Prakash Mangal
Managing Director
DIN: 02825484

Date : January 23, 2020
Place : Ahmedabad, Gujarat

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE HINDPRAKASH INDUSTRIES LIMITED.

Raka

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : लोनी, गाजियाबाद, फोन : 120-2600430, 2903290, ई-मेल: bm0534@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा : लोनी, गाजियाबाद / श्री भास्कर मुखर्जी और श्रीमती सुमिता मुखर्जी	निवासशी, मकान नं. ए–3, सैक्टर सी–3, दोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 250 वर्ग मी. और चौहदी : पूरब में – प्लॉट नं. ए–2, पश्चिम में – प्लॉट नं. ए–4, उत्तर में – 18.00 मी. चौडी रोड नं.3, दक्षिण में – प्लॉट नं ए–34	28-08-2018 / 22-01-2020	₹ 8,63,676.18 दिनांक 31.07.2018 से भविष्य का ब्याज इत्यादि

दिनांक 22-01-2020, स्थान : लोनी, गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : इन्दिरापुरम जीए–1, गोल्ड क्रेस्ट, प्लॉट नं सी/जीएम–3, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, फोन : (0120) 2690229, ई–मेल: bm1207@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा : इंदिरापुरम, गाजियाबाद / श्री अनुज शर्मा पुत्र श्री गर्भु शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. डी–482, मूतल, बिना छत के अधिकार के, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद – 201005 में स्थित, क्षेत्रफल 35.78 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री अनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री गर्भु शर्मा के नाम पर है। पंजीकरण दिनांक 31.01.2013, बही नं. 1, जिल्द नं. 9026 पेज नं 53 से 82 क्र.सं. 1175 सब रजिस्ट्रार ।।। गाजियाबाद में वजीफा, चौहदी : पूरब में – 15फीट चौडी रोड, पश्चिम में – मकान नं डी–481, उत्तर में – मकान नं. डी–483, दक्षिण में – मकान नं. डी–477	06-11-2019 / 22-01-2020	₹ 5,20,483.39 और दिनांक 31.10.2019 तक भविष्य का ब्याज इत्यादि

दिनांक 22-01-2020, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालय: 2–बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस (नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सेक्शन 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा ऋणीयों को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया गया, जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाये चुकता कर दें।

ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणीयों व जमानतकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन संपत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रभारों के अधीन होगा। हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / बंधककर्ता / जमानतकर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि
	शाखा– पडरौना शाखा		
1.	**ऋणकर्ता:– मेसर्स अनन्या इन्टरप्राइजेज** प्रोप श्री विनय उपाध्याय पुत्र शिव कुमार उपाध्याय **जमानतकर्ता / बंधककर्ता: श्रीमती अमरावती** पत्नी शिव कुमार उपाध्याय	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर मौजा बालोता टप्पा पकरी गंगासनी परगना– सिधुवा जोबना तहसील पडरौना जिला कुशीनगर (गाटा सं. 330 निकट किरत आई. टी.आई. कॉलेज), **चौहद्दी :– पूर्व:** श्री मालादीन एवं श्री प्रहलाद का प्लाट **पश्चिम:** इन्टरलॉकिंग रास्ता **उत्तर:** श्रीमती रीता देवी का मकान, **दक्षिण:** खड़ंजा रास्ता	मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि रू. 21,20,464/- मांग तिथि: 25.10.2019 कब्जा तिथि: 18.01.2020
2.	**ऋणकर्ता / बंधककर्ता:– श्रीमती वन्दावती देवी** पत्नी श्री जय किशोर तिवारी **सह –आवेदक: श्री जय किशोर तिवारी** पुत्र चंचल तिवारी	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर आराजी सं. 298 मौजा बेलवा मिश्रा टप्पा चकड़ी गंगासनी परगना सिधुवा जोबना तहसील पडरौना जिला कुशीनगर, **चौहद्दी :– पूर्व:** विक्रेता का प्लाट, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** विक्रेता का प्लाट, **दक्षिण:** श्री राम भवन पाण्डेय का मकान	मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि रू. 9,96,382/- मांग तिथि: 16.10.2019 कब्जा तिथि: 18.01.2020

दिनांक: 24.01.2020 — स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए
क्षेत्रीय निदेशक पीठ, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
आहूजा शॉप प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 115, दीपाली, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 के मामले में – आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 2 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते– बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
115, दीपाली, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

कृते एवं के लिये, आवेदक
हस्ता./–
स्थान: नई दिल्ली — वीरेन्दर कुमार आहूजा
तिथि: 21.1.2020 — (निदेशक)
DIN: 01588346

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
सोकारी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (CIN:U74899DL1994PTC057604) जिसका पंजीकृत कार्यालय 7/5, भू तल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 में है, के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "संघ क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 21 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30(तीस) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली: बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिये
सोकारी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
स्थान: नई दिल्ली — विजय चोपड़ा
तिथि: 21.01.2020 — निदेशक
DIN: 00233674

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण- II, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 141/2017 — दिनांक 14.01.2020

पंजाब नेशनल बैंक मैसर्स एडीगियर इण्टरनेशनल

मेरे आदेश दिनांक 14.01.2020 के अनुसार निम्नलिखित सम्पत्ति का विक्रय सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा 28.02.2020 को कथित वसूली प्रमाण–पत्र में किया जायेगा :–
नीलामी विक्रय वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" द्वारा किया जायेगा
नीलामी की तिथि तथा समय : 28.02.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर के बीच (12.00 बजे दोपहर के बाद आवश्यकतानुसार 5 मिनटों के विस्तार सहित)

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)
आवासीय प्लॉट सं. एमए–23, मौलश्री एवेन्यू, डीएलएफ सिटी फेज–III, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित	उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में रु. 4,51,00,000/- (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख मात्र)	रु. 45,10,000/- (रुपये पैंतालीस लाख दस हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

2. ज.ध.रा. या तो वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 141/2017 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर के माध्यम से या निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जानी है : पंजाब नेशनल बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा, डीसीएम बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001, खाता सं. 1522002200000316, आईएफएससी कोड : PUNB0152200. कथित डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर अथवा ज.ध.रा. के रूप में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण, साथ में पहचान (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व–प्रमाणित प्रति जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो, तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति अधिकतम 26.02.2020 को 5.00 बजे अपराह्न तक वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली के पास पहुँच जानी चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा. के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. जिस लिफाफे में प्रेषक के विवरण जैसे पता, ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नं. आदि के विवरण सहित ज.ध.रा. अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. के भुगतान का प्रमाण हो उस पर "RC No.141/2017" अंकित होना चाहिए।
4. सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है वहीं है" तथा "जो कुछ वही है" के आधार पर किया जायेगा।
5. संविदाकारों को अपने प्रस्ताव जमा करने तथा

खबर कोना

यूएई में दुबई डेजर्ट क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान शॉट लगाते स्पेन के सर्जियो ग्रासिया।

डॉ. बीसी राय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिल्ली की कमान आशु को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जनवरी।

डॉ. बीसी राय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिल्ली अंडर-17 टीम की कमान युवा स्ट्राइकर आशु को सौंपी गई है। 28 जनवरी से शुरू हो रही प्रतियोगिता में शुभम बिस्वास को उप कप्तान बनाया गया है। फुटबॉल दिल्ली के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण ने टीम को किट भेंट करते हुए उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दीं।

मोहन बागान ने नेरोका को हराकर शीर्ष पर स्थिति मजबूत की

इंफल, 23 जनवरी (भाषा)।

मोहन बागान ने गुरुवार को एकतरफा मुकाबले में नेरोका एफसी को 3-0 से हराकर आइलीग अंक तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। नोंगदाम्बा नाओरेम ने 27वें मिनट में मोहन बागान को बढ़त दिलाई जबकि उनके अच्छे मूव पर पापा दियावारा ने 53वें मिनट में टीम की ओर से दूसरा गोल दागा। स्थानापन्न खिलाड़ी कोमरोन तुर्सनोव ने इंजरी टाइम में बागान की तरफ से तीसरा गोल दागा। इस जीत से बागान की टीम के नौ मैचों में 20 अंक हो गए हैं और उसने दूसरे स्थान पर मौजूद मिनर्वा एफसी पर छह अंक की बढ़त बना ली है।

ईस्ट बंगाल ने मारियो रिवेरा को नया मुख्य कोच बनाया

कोलकाता, 23 जनवरी (भाषा)।

ईस्ट बंगाल ने गुरुवार को मारियो रिवेरा को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। यह पद एलेजांद्रो मेनेडेज के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। रिवेरा उनके पूर्व सहायक थे। क्लब ने बयान में कहा कि उन्हें सत्र के अंत तक (31 मई) मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यूएफा प्रो लाइसेंस कोच रिवेरा ने ज्यादातर कोचिंग स्पेन में क्लबों को दी है। वह टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ परिचित हैं जो बचे हुए सत्र में निश्चित रूप से फायदेमंद स्थिति होगी। उनके फरवरी के दूसरे हफ्ते में क्लब से जुड़ने की उम्मीद है।

आइसीसी ने ओमान के क्रिकेटर को अस्थायी रूप से निलंबित किया

दुबई, 23 जनवरी (भाषा)।

आइसीसी ने ओमान के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुलरहीम अल बालुशी को 2019 पुरुष टी-20 विश्व कप क्वालीफायर के दौरान भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के बाद गुरुवार को तुरंत प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। अल बालुशी को आइसीसी भ्रष्टाचार रोधी संहिता के अनुच्छेद 2.1.1, अनुच्छेद 2.1.4, अनुच्छेद 2.4.4 और अनुच्छेद 2.4.7 के अंतर्गत आरोपित किया गया। अल बालुशी के पास इन आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय है।

सिमोन से जीत में किर्गियोस के छूटे पसीने, नडाल तीसरे दौर में

आस्ट्रेलिया ओपन

मेलबर्न, 23 जनवरी (एएफपी)।

स्थानीय स्टार खिलाड़ी निक किर्गियोस ने कड़े मुकाबले में जीत के साथ गुरुवार को आस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल के तीसरे दौर में जगह बनाई। वहीं रफेल नडाल ने भी जीत दर्ज की। लेकिन टूर्नामेंट में प्रदूषित वर्षा के रूप में नई चुनौती आई जिससे कोर्ट कीचड़ के कारण खेलने योग्य नहीं रहे। सफाई के दौर और विलंब के एक दिन बाद आस्ट्रेलिया के किर्गियोस ने चार सेट में फ्रांस के जाइल्स सिमोन को हराया। महिला एकल में विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने ब्रिटेन की हैरियर डार्ट को हराया।

जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए धनराशि जुटाने के प्रयास में अहम भूमिका निभाने के कारण लोकप्रिय हुए किर्गियोस ने चार सेट में 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 से जीत दर्ज की। इस जीत ने किर्गियोस ने चौथे दौर में रफेल नडाल के साथ संभावित मुकाबले की ओर कदम बढ़ाए। इस साल टूर्नामेंट को जंगलों की आग के कारण फैले धुएं और राख, तेज बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा है। इससे पहले धूल-मिट्टी वाली बारिश के कारण मेलबर्न पार्क के कोर्ट पर कीचड़ की परत जम गई जिसे साफ करने में कई घंटे लग गए और कई बाहरी कोर्ट उपयोग में नहीं लाए जा सके। खेल दोबारा शुरू होने पर जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फॉर्म में वापसी का संकेत देते हुए इगोर गेरासिमोव को 7-6 (7/5), 6-4, 7-5 से हराया। पांचवें वरीय डोमिनिक थिएम को हालांकि आस्ट्रेलिया के 140वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्स बोल्ट के खिलाफ पांच सेट तक जूझना पड़ा। थिएम ने हालांकि धैर्य बरकरार रखते हुए 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2 से जीत दर्ज की।

महिला एकल में हालेप ने डार्ट को 6-2, 6-4 से हराया जबकि बेलिंडा बेनसिच ने पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको को शिकस्त दी जो इस महीने अपने पिता के निधन के बावजूद टूर्नामेंट में खेल रही थीं। दो बार की ग्रैंडस्लैम विजेता गारबाइन मुगुरुजा ने स्थानीय खिलाड़ी अजला टोमलानोविच को 6-3, 3-6, 6-3 से हराया।

महिला एकल में विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने ब्रिटेन की हैरियर डार्ट को हराया।

चोट के कारण सनिया मिर्जा आस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर

मेलबर्न, 23 जनवरी (भाषा)।

मातृत्व अवकाश के बाद टेनिस कोर्ट पर लौटी सानिया मिर्जा पहले ग्रैंडस्लैम के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गईं। उन्हें चोट के कारण महिला युगल के पहले दौर का मैच बीच में छोड़ना पड़ा। सानिया और यूक्रेन की नादिया किचेनोक ने पिछले सप्ताह ही होबार्ट इंटरनेशनल युगल खिताब जीता था।

अभ्यास के दौरान सानिया के दाहिने पैर में चोट लगी है। वह दो साल बाद टेनिस कोर्ट पर लौटी हैं। सानिया और किचेनोक 2-4 से पीछे चल रहे थे जब चीनी टीम ने सानिया की सर्विस तोड़ी और सेट जीत लिया। सानिया को पहले सेट के बाद मेडिकल टाइमआउट लेना पड़ा। दूसरे सेट के पहले ही गेम में उनकी सर्विस टूटी और वह आगे खेल नहीं सकीं।

नौकाचालक भोकानल से प्रतिबंध हटाया गया

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के हस्तक्षेप के बाद गुरुवार को नौकाचालक दत्तू भोकानल पर 2018 एशियाई खेलों के बाद लगे दो साल के निलंबन को हटा दिया गया। भोकानल उस भारतीय चौकड़ी में से एक सदस्य थे जिसने एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन उन्होंने एकल स्कल को बीच में ही छोड़ दिया था। इसलिए उन्हें पिछले साल मार्च में भारतीय नौकायन महासंघ (आरएफआइ) ने प्रतिबंधित कर दिया था।

अपने स्पष्टीकरण में भोकानल ने कहा था कि वह नाव से गिर गए थे जो पलट गई थी। लेकिन बत्रा ने आरएफआइ से इस फैसले की समीक्षा को कहा जिसके बाद राष्ट्रीय संस्था ने आइओए प्रमुख को सूचित किया कि भोकानल का निलंबन हटा दिया गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ लय बरकरार रखने उतरेगा भारत

अंडर-19 विश्व कप

ब्लोमफोंटेन, 23 जनवरी (भाषा)।

लगातार दो जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी गत चैंपियन भारतीय टीम आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के सामने उतरेगी। उसका लक्ष्य इस मुकाबले में जीत की लय कायम रखने का होगा। चार अंक लेकर ग्रुप में शीर्ष पर रही भारतीय टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को 90 रन से हराने के बाद जापान को दस विकेट से मात दी। प्रियम गर्ग की अगुआई वाली टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी।

दूसरी ओर न्यूजीलैंड को जापान से अंक बांटने पड़े क्योंकि मैच बारिश की भेट हो गया। उसने श्रीलंका को हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। न्यूजीलैंड 2018 में अपनी मेजबानी में हुए अंडर 19 विश्व कप में आठवें स्थान पर रहा था। अब वह अपनी सीनियर टीम की तरह प्रदर्शन करना चाहेंगे जो 2019 पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी।

विश्व टी-20 : 16 टीमों के आइसीसी क्वालीफायर से चार देशों को मिलेगा प्रवेश

दुबई, 23 जनवरी (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को पुष्टि की कि भारत में 2021 में होने वाले आइसीसी विश्व टी-20 के लिए 16 टीमों में से चार देश क्वालीफाई करके पहुंचेंगे। यह टूर्नामेंट आठ टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता की जगह लेगा जिसका आयोजन इंग्लैंड में 2017 में किया गया था।

आइसीसी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, 11 क्षेत्रीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट पांच आइसीसी क्षेत्रों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, पूर्व एशिया पैसिफिक और यूरोप) में कराए जाएंगे। इसमें से आठ टीमें दो वैश्विक क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं में से एक में जगह बनाएंगी।

दबाव से उबरना ही सफलता की कुंजी : हरमनप्रीत

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा)।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि आस्ट्रेलिया में होने वाले महिला टी-20 विश्व कप में दबाव का सामना करना ही सफलता की कुंजी है। इंग्लैंड और मेजबान आस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में हरमनप्रीत ने यह बात कही।

भारतीय टीम पिछले टी-20 विश्व कप और वनडे विश्व कप से सेमी फाइनल में बाहर हो गई थी। हरमनप्रीत ने कहा कि हम पिछले दो विश्व कप में काफी करीब पहुंचे लेकिन हमें दबाव का सामना करना सीखना होगा। हम पिछले दो विश्व कप में ऐसा नहीं कर सके।

ओलंपिक में क्वालीफाई करने से एक जीत दूर भारत

गोंडोमर (पुर्तगाल), 23 जनवरी (भाषा)।

भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीमें बुधवार को क्वालीफायर में क्रमशः लक्जमबर्ग और स्वीडन के खिलाफ जीत दर्ज करके पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले पुरुष खिलाड़ी जी साथियान को लुका म्लादेनोविच के खिलाफ जीत दर्ज करने में काफी पसीना बहाना पड़ा लेकिन पांचवीं वरीय भारतीय टीम के अन्य सदस्यों ने आसान जीत दर्ज की।

शुक्रवार को यहां राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में भारत का सामना 11वें वरीय स्लोवेनिया से होगा। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर भारतीय टीम तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लेगी। भारत ने ओलंपिक इतिहास में कभी टीम के रूप में क्वालीफाई नहीं किया है और उसका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत स्पर्धाओं तक सीमित रहा है।

शरत कमल और हरमीत देसाई ने पहले युगल में जाइल्स मिशेली और एरिक ग्लोड को 11-9, 16-14, 11-6 से हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। दुनिया के 30वें नंबर के खिलाफ साथियान ने इसके बाद पहले दो गेम गंवाने के बाद म्लादेनोविच को 8-11, 9-11, 11-3, 13-11, 11-6 से शिकस्त दी। दुनिया के 33वें नंबर के खिलाड़ी अनुभवी शरत ने ग्लोड को 11-3, 11-3, 12-14, 11-5 से हराकर भारत की 3-0 से जीत सुनिश्चित की।

वरीयता से स्लोवेनिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है लेकिन शरत ने कहा कि यह बराबरी का मुकाबला होगा। स्लोवेनिया की टीम में 40वें नंबर के डार्को जोर्गिक और 62वें नंबर के बोजान टोकिच की मौजूदगी के संदर्भ में शरत ने कहा, 'उनकी टीम काफी संतुलित है।' पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला टीम भी इतिहास रचने से एक जीत दूर है।

सत्रहवें नंबर की भारतीय टीम ने 11वीं वरीय स्वीडन की टीम को 3-2 से हराया। अर्चना कामत ने पांचवें और निर्णायक मुकाबले में लिंडा बर्गस्ट्रोम के खिलाफ मैच प्वाइंट बचाने के बाद 11-8, 8-11, 9-11, 11-7, 13-11 से जीत दर्ज की। भारत की यादगार जीत की नींव हालांकि टीम की शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ी मनिका बत्रा ने रखी जिन्होंने अपने दोनों एकल मुकाबलों में बर्गस्ट्रोम और क्रिस्टीना कालबर्ग को क्रमशः 3-1 और 3-2 से शिकस्त दी। भारत को अगर शुक्रवार को रोमानिया की मजबूत टीम को हराना है तो विशेष प्रदर्शन करना होगा।

शुक्रवार को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में भारत का सामना 11वें वरीय स्लोवेनिया से होगा।

भारत पर लगा प्रतिबंध सशर्त हटा

तीरंदाजी संघ

कोलकाता, 23 जनवरी (भाषा)।

विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ के चुनाव के एक सप्ताह के भीतर गुरुवार को उस पर लगा निलंबन सशर्त हटा दिया। प्रतिबंध हटाते हुए विश्व तीरंदाजी ने भारतीय संघ को निर्देश दिया कि वह खिलाड़ियों की सदस्यता को लेकर अपने संविधान में बदलाव करे, संचालन से जुड़े मुद्दों का हल निकाले और रणनीतिक योजना तैयार करे। उसके साथ ही एएआइ को इन मुद्दों पर तिमाही रिपोर्ट देने को भी कहा।

विश्व तीरंदाजी ने एक बयान में कहा कि संस्था ने 18 जनवरी को नई दिल्ली में हुए चुनाव के बाद भारतीय तीरंदाजी संघ पर लगा निलंबन सशर्त हटा दिया है। कार्यकारी बोर्ड ने यह फैसला किया।' बयान के अनुसार, 'गुरुवार 23 जनवरी 2020 से भारतीय तीरंदाजों को विश्व तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति होगी। महासंघ को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने संविधान में बदलाव करते हुए खिलाड़ी की सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट करे, रणनीतिक योजना बनाए और संचालन के जुड़े अन्य मुद्दों को हल करे।'

एएआइ को पांच अगस्त को निलंबित किया गया था। भारतीय तीरंदाजों को निलंबन के कारण तटस्थ खिलाड़ियों के तौर पर खेलना पड़ा जिससे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उनकी संभावना पर सीधा असर पड़ा। गुरुवार को प्रतिबंध हटने के बाद अब भारतीय तीरंदाज तिरंगे तले प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत को अगला टूर्नामेंट तीन सप्ताह के भीतर लास वेगास में इंडोर विश्व सीरीज में खेलना है।

टीम के हित में कप्तानी छोड़ने को भी तैयार : विलियमसन

ऑकलैंड, 23 जनवरी (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में शर्मनाक हार के बाद आलोचना झेल रहे केन विलियमसन ने संकेत दिया कि टीम के हित में होने पर वह न्यूजीलैंड की कप्तानी छोड़ने को तैयार हैं। यह पूछने पर कि क्या वह अभी भी तीनों प्रारूपों में कप्तानी करना चाहते हैं, विलियमसन ने कहा कि मेरा हमेशा से यह सोचना रहा है कि टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। यदि ऐसा लगता है कि टीम के लिए यही अच्छा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

उन्होंने कहा कि टीम को सही दिशा में ले जाने वाली हर बात के लिए मैं तैयार हूं। यह कोई निजी बात नहीं, टीम की बात है। विलियमसन ने कहा कि पिछली नाकामियों को भुलाकर अब उनकी टीम को भारत के खिलाफ श्रृंखला पर ध्यान देना होगा।

सोनिया लाठेर सेमी फाइनल में, निकहत जरीन बाहर

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप की पूर्व रजत पदक विजेता सोनिया लाठेर (57 किग्रा) ने गुरुवार को बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे स्ट्रैंदजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। गत चैंपियन निकहत जरीन (51 किग्रा) बाहर हो गईं। दो बार की एशियाई रजत पदकधारी लाठेर ने कड़े मुकाबले में आयरलैंड की मिचेला वाल्श पर 3-2 से जीत हासिल की।

भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज

ऑकलैंड, 23 जनवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में शुक्रवार को भारतीय टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगी। टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए अहम मानी जा रही इस श्रृंखला में चोटों से प्रभावित कीवी टीम का सामना ब्लू टाइगर्स से होगा। इस व्यस्त सत्र में भारतीय टीम अस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीं पर आखिरी वनडे के पांच दिन के भीतर टी-20 मैच खेल रही है।

विराट कोहली की कप्तानी में टीम मंगलवार को ऑकलैंड पहुंची और बुधवार को आराम किया। टीम ने गुरुवार को अभ्यास किया। दूसरी ओर व्यस्तता के कारण टीम प्रबंधन चयन में निरंतरता लाने में कामयाब रहा है। टी-20 विश्व कप इस साल अक्तूबर में आस्ट्रेलिया में होगा।

शिखर धवन, हार्दिक पंड्या, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार की चोटों के बावजूद वैकल्पिक खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता साबित करके टीम को कमी नहीं खलने दी है। धवन के विकल्प के तौर पर केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद धवन के लौटने पर उनके साथ अच्छी सलामी जोड़ी बनाई जब रोहित शर्मा को आराम दिया गया था। इस बार भी धवन की गैर मौजूदगी में रोहित और राहुल पारी की शुरुआत करेंगे।

कप्तान कोहली ने संकेत दिया है कि बल्लेबाज विकेटकीपर के तौर पर राहुल की दोहरी भूमिका से टीम को अधिक विकल्प मिले हैं। कोहली के अनुसार राहुल वनडे और टी-20 दोनों में विकेटकीपिंग करते रहेंगे। वह टी-20 में पारी की शुरुआत करेंगे लेकिन वनडे में मध्यक्रम में ही उतरेंगे।

भारत अगर पांच गेंदबाजों को लेकर उतरता है और छठे विकल्प के रूप में शिवम दुबे को बाहर रखता है तो पंत और पांडे दोनों अंतिम एकादश में आ सकते हैं। हरफनमौलाओं के रूप में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के विकल्प हैं। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का खेलना तय है और ऐसे में शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से एक का चयन होगा।

न्यूजीलैंड ने पिछले साल टी-20 श्रृंखला में भारत को 2-1 से हराया था। उसने श्रीलंका दौरे पर टी-20 श्रृंखला में भी 2-1 से जीत दर्ज की और इंग्लैंड से पांच मैचों की श्रृंखला 2-2 से ड्रा कराई। टी-20 में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद न्यूजीलैंड का मनोबल गिरा हुआ है क्योंकि आस्ट्रेलिया ने हाल ही में उसे 3-0 से हराया। इससे केन विलियमसन की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं।

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम के सदस्य। (फाइल)

व्यस्त कार्यक्रम पर बोले कोहली

अब सीधे स्टेडियम में उतरकर खेलना होगा

ऑकलैंड, 23 जनवरी (भाषा)।

व्यस्त कार्यक्रम के बीच भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेटर अब उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जब स्टेडियम पर ही सीधे उतरकर खेलना शुरू करना होगा। भारत पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला के पहले मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड से खेलेगा। इससे पांच दिन पहले ही भारत में आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला खत्म हुई है।

कोहली ने कहा कि अब हम उस स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं कि सीधे स्टेडियम पर लैंडिंग करके खेलना होगा। कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है। और इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता। मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऐसा ही है जहां लगातार खेलना होता है।

कोहली ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली श्रृंखला वनडे थी तो हम मैदान पर काफी समय रहे। उससे पहले कुछ टी-20 खेले। पिछले तीन मैच टी-20 नहीं थे तो अब हमारे लिए यहां खेलना आसान होगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में क्रिकेटरों को दूसरे देशों की तरह सिर पर नहीं बिठाया जाता लिहाजा यहां खेलना इत्मीनान से भरा होता है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 68, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

MARUTI SUZUKI

NEXA

INTRODUCING

XL6

FEELS JUST RIGHT

NEXA

INSPIRING ONE MILLION customers

Scan the QR code for an exciting Facebook AR experience.

CREATE. INSPIRE.

Quad Chamber LED Headlamps with DRLs

All-black Interiors with Captain Seats

Smartplay Studio

Automatic Transmission with Hill Hold & ESP

NEXA Safety Shield

- DUAL FRONT AIRBAGS
- ABS WITH EBD
- PEDESTRIAN PROTECTION COMPLIANT
- FULL FRONTAL IMPACT COMPLIANT, FRONTAL OFFSET IMPACT COMPLIANT, SIDE IMPACT COMPLIANT
- ISOFIX
- HEARTECT PLATFORM

T&C Apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purposes only.

Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[NEXA]
www.nexaexperience.com
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE

WEST DELHI
NEXA DWARKA SECTOR 9 — MAGIC AUTO — PH: 7290055667
NEXA RAJOURI GARDEN — TR SAWHNEY AUTOMOBILES — PH: 9999525750
NEXA JANAKPURI — DD MOTORS — PH: 9081900800
NEXA MAYAPURI — KRISH AUTOMOTORS — PH: 7838555076
NEXA DWARKA SECTOR 14 — COMPETENT AUTOMOBILES COMPANY — PH: 8860011600
NEXA MOTI NAGAR — AAA VEHICLEADES PVT. LTD. — PH: 8448993400
NEXA WEST PUNJABI BAGH — JAGMOHAN AUTOMOTIVES PVT. LTD. — PH: 7290054930

EAST DELHI
NEXA GOKULPURI — VIPUL MOTORS PVT. LTD. — PH: 9870194313
NEXA PREET VIHAR — TR SAWHNEY AUTOMOBILES — PH: 7290091122
NEXA AKSHARDHAM — FAIRDEAL CARS — PH: 9999525161

NORTH DELHI
NEXA GHAZIPUR — MAGIC AUTO — PH: 9871755000
NEXA DILSHAD GARDEN — COMPETENT AUTOMOBILES — PH: 8377007962
NEXA ROHINI SECTOR 10 — SAYA AUTOMOBILES LTD. — PH: 9582777477
NEXA NARELA — DD MOTORS — PH: 9081900800
NEXA PITAMPURA — KRISH MOTORS — PH: 7838555047
NEXA GT KARNAL ROAD — RANA MOTORS — PH: 7289999111
NEXA WAZIRPUR — COMPETENT AUTOMOBILES — PH: 9582668646

SOUTH DELHI
NEXA KAILASH COLONY — RANA MOTORS — PH: 9999788886
NEXA LAJPAT NAGAR — BAGGA LINK MOTORS — PH: 9818199367
NEXA OKHLA PHASE 1 — PREM MOTORS — PH: 011-42900000, 7065074531

CENTRAL DELHI
NEXA GREEN PARK — TR SAWHNEY AUTOMOBILES — PH: 7290099520
NEXA MOHAN CO-OPERATIVE — PLATINUM MOTO CORP — PH: 011-40347777, 9899118890
NEXA KAROL BAGH — DD MOTORS — PH: 9081900800

REWARI
NEXA DELHI ROAD — DINCO 4 WHEELS LLP — PH: 7082100301

NOIDA
NEXA SECTOR 63 — VIPUL MOTORS — PH: 9599814775
NEXA SECTOR 10 — FAIR DEAL CARS — PH: 9953993450
NEXA SECTOR 1 — ROHAN MOTORS — PH: 8376800026

GREATER NOIDA
NEXA IND AREA GREATER NOIDA — ROHAN MOTORS — PH: 8744000600

MANESAR
NEXA IMT MANESAR — PLATINUM MOTO CORP — PH: 9953345344

GHAZIABAD
NEXA MEERUT ROAD — ROHAN MOTORS LTD. — PH: 9599040601

FARIDABAD
NEXA SAHIBABAD — MOTORCRAFT SALES — PH: 8130582222
NEXA FARIDABAD CENTRAL — VIPUL MOTORS — PH: 9599814771
NEXA MATHURA ROAD — PASCO AUTOMOBILES — PH: 9999120572
NEXA NIT — BVA AUTO — PH: 1294121212

GURGAON
NEXA SECTOR 62 — VIPUL MOTORS — PH: 9205899710
NEXA IDC SEC 14 — PREM MOTORS — PH: 124-4440000, 7065074501
NEXA RAJIV CHOWK GURGAON — RANA MOTORS — PH: 8585991111
NEXA MG ROAD — PASCO AUTOMOBILES — PH: 9711290001
NEXA GOLF COURSE ROAD — TR SAWHNEY AUTOMOBILES — PH: 9999525740
NEXA SOHNA ROAD — COMPETENT AUTOMOBILES — PH: 0124-2877000, 7290025353

SOHNA
NEXA SOHNA — PASCO AUTOMOBILES — PH: 9899961000

SUZUKI connect — ADVANCED TELEMATICS SOLUTION
A REVOLUTIONARY WAY TO CONNECT TO YOUR CAR
- Vehicle Tracking
- Emergency Alert
- Driving Behaviour Analysis
- Live Vehicle Status
- Vehicle Alerts

Offered separately as Genuine NEXA Accessory